खण्ड-464, अंक-6
बुधवार, 13 आषाढ़, शक संवत् 1929
(4 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 464 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रश्नोत्तर	1-53
व्यवधान के कारण अनुत्तरित महत्वपूर्ण प्रश्नों हेतु श्री अध्यक्ष से समय दिये जाने का अनुरोध	53-55
समाजवादी पार्टी द्वारा सदन के फ्लोर पर धरना दिये जाते समय सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मोबाइल से वीडियोग्राफी किये जाने सम्बन्धी कृत्य पर व्यवस्था का प्रश्न	55-56
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	57-58
इलाहाबाद जनपद के श्री बजरंग बली निवासी 73-न्यू लश्कर लाइन को विद्युत बकाया के आरोप में जेल भेजने के पश्चात् उनकी मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58
आजमगढ़ सदर निवासी श्री सीताराम की पत्नी की मकान गिर जाने से दबकर हुयी मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत गाजीपुर को जिले से हटाकर उनके मूल विभाग हथकरघा निगम भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में टोंस नदी (भैसही नदी) के किनारे रामगढ़ बिन्द बस्ती के सामने छलका बनाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
वाराणसी में शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे पेयजल आपूर्ति से तथा प्रदूषित जलापूर्ति से लोगों को हो रहे कष्ट के समाधान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
महामाया नगर की तहसील सिकन्दराराऊ में अवैध भू-आवंटन की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
गोरखपुर के मानीराम क्षेत्रान्तर्गत टिकरिया नालापार रोड का चौड़ीकरण एवं ऊँचाईकरण का कार्य बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय प्रमुख जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद बांदा के केन नदी पैलानी, तारा, चिल्ला आदि क्षेत्रों में कटान होने से पिचिंग कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम झकहियां के ठेकेदार श्री इसरार अहमद को फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर 'ए' क्लास का ठेकेदार बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	62-63
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	63
जिला को-आपरेटिव बैंक प्रतापगढ़ में धन के दुरुपयोग तथा व्याप्त अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	63-64
लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	64-67
उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007 (महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	67
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ...	67
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)	67-68
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)	68
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)	68
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	69-132
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	132-134
प्रदेश में फल एवं सब्जियों को शीघ्र पकाये जाने हेतु आक्सीटोसिन के विषाक्त इन्जेक्शन का प्रयोग किये जाने तथा प्रतिबन्धित इन्जेक्शन की उपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य	134-135
जनपद प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ अन्तर्गत हरे पेड़ों की कटाई कर कोयला बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन राज्य मंत्री का वक्तव्य...	135-139
प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में निर्धारित मात्रा से अधिक कीटनाशक व रासायनिक खादों के प्रयोग से खाद्य पदार्थों के विषाक्त होने से निरन्तर बढ़ रही घातक बीमारियों के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का केवल वक्तव्य ...	139-141

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद आजमगढ़ के सदर क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	141
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भौराकलां अन्तर्गत ग्राम आदमपुर निवासी पूर्व प्रधान की निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	141-143
जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में कौथला नामक झील के भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	143-144
जनपद चन्दौली की कोतवाली मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम डाण्डी में डकैतों द्वारा गृह स्वामी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य..	144-145
नत्थी	146

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-358

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम, हाजी	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक यादव पुत्र महेश्वर सिंह, श्री	फिरोजाबाद

आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ	
कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पण्डित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इक्बाल, श्री	बिजनौर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान महसूद, श्री	सहारनपुर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह	
(ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रुखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ	
सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली

सत्यमेव जयते संसद

जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी, चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहावाद
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलवीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर

भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, अनू, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुँवर	कुशीनगर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ	
पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली

राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधाकृष्ण उर्फ आर0के0 शर्मा, श्री	बरेली
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टंडन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर

शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाटक, श्री	बलिया
श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन, श्री	बलिया
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य (दीपू भइया), श्री	बरेली
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर

नोट :-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनन्त कुमार मिश्रा) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित चीनी उत्पादन नीति के अन्तर्गत 25 प्रतिशत एथनॉल उत्पादन की अनिवार्यता सुनिश्चित किये जाने की मांग

**1-श्री हुकुम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित चीनी उत्पादन नीति के अन्तर्गत कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य देने के लिए चीनी मिलों में कम से कम 25 प्रतिशत एथनॉल उत्पादन की अनिवार्यता सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

यथा समय विचार किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न तो मैंने इसलिए किया था इनका समय अभी है लेकिन यथासमय लिखा है इसमें, अभी तो समय आया है आपका आगे-आगे आपका समय आयेगा या नहीं आयेगा आप यह कह नहीं सकते हैं। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में भी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें भी एक नई चीनी उद्योग के सम्बन्ध में नीति लाने की बात कही गयी है। जब नई नीति आनी है मान्यवर, जो प्रश्न मैंने किया है यह केवल प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश से सम्बन्धित है अगर एथनॉल का उत्पादन नहीं होगा कोई वैकल्पिक ऊर्जा का श्रोत नहीं ढूंढेंगे, जो हम पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर आधारित होकर चल रहे हैं, अरबों रुपया विदेश में जा रहा है और उधर यह समस्या आपके सामने रोज रहती है कि गन्ने के दाम क्या हैं, उस दिन आपने जवाब देते हुये कहा था कि चीनी का दाम एकदम गिर गया। मान्यवर, जब ऐसी अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है तो कम से कम एक वैकल्पिक नीति लेकर आयें। एथनॉल आज सारे विकसित देशों में, विकासशील देशों में नई टेक्नोलोजी लेकर आया है। ब्राजील में इस समय यह कानून बना दिया गया कि वहां पर पेट्रोल में कम से कम 25 प्रतिशत एथनॉल मिलाया जाय। ब्राजील हिन्दुस्तान के मुकाबले ज्यादा चीनी उत्पादन कर रहा है तो वहां पर ऐसी टेक्नोलाजी ला सकते हैं मान्यवर, वहां ऐसी स्थित आ गयी है अगर चीनी के दाम बढ़ जाते हैं तो इस तकनीक के कारण इसकी वजह से शुगर मिल तुरन्त अपने उत्पादन को चीनी में ला सकते हैं और चीनी के दाम गिरते हैं तो उस गन्ने से एथनॉल के उत्पादन में ला सकते हैं जब इतनी व्यावहारिक बात है तो माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यथा समय तो कुछ होता नहीं है। क्या प्रदेश सरकार की ओर से कोई इस प्रकार का अध्ययन कराया गया है कि हमारे प्रदेश में कितने गन्ने का उत्पादन, लगभग 24 लाख हेक्टेयर में आपके भूमि में गन्ना पैदा हो रहा है इस समय अगर इतना गन्ने का उत्पादन है और मिलें भी इतनी सारी लग गयी हैं, चीनी का दाम बराबर

गिरता जा रहा है किसानों का 2600 करोड़ रुपया बाकी है तो ऐसी स्थिति में अध्ययन कराने के बाद में इसी की जो नीति आ रही है उसको 15 दिन लेट कर दीजिये अगर वह व्यवहारिक है तो व्यवहारिकता के नाते प्रस्तावित जो नीति आपकी है उसमें एथनॉल के उत्पादन पर बल दिया जाय और चीनी मिलों के लिये यह लागू कर दिया जाय कि उत्पादन का 25 प्रतिशत वह एथनॉल पैदा करें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 5 प्रतिशत एथनॉल मिलाने के लिये पेट्रोलियम कम्पनियों से कहा है कि वह मिला सकते हैं, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है वह चाहें तो मिला सकते हैं यह उनके ऊपर है। स्वेच्छा से कोई बाध्यता नहीं है। मामला यह है कि पेट्रोलियम कम्पनियां जब उनकी मांग ही नहीं है एथनॉल बना करके हम स्टोर करके रख लें और उसकी मांग न हो तो मान्यवर, एथनॉल का उत्पादन मांग पर ही निर्भर करता है जितनी मांग होगी उतना हम दे रहे हैं, जब मांग ही नहीं तो हम बनाकर क्या करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, इसमें यह लिखा है कि प्रस्तावित चीनी उत्पादन नीति में, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित चीनी उत्पादन नीति क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इसके उत्तर में तो कुछ है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओझा जी, इस प्रश्न में माननीय सदस्य यह नहीं पूछे हैं। इसमें माननीय सदस्य पूछे हैं कि इस नीति में एथनॉल के उत्पादन के लिये कोई विचार करेंगे, यह मसला है। प्रस्तावित चीनी नीति के लिये आप अलग से प्रश्न लगा दें वह अलग से बता देंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, प्रश्न में बहुत स्पष्ट है उत्तर प्रदेश की प्रस्तावित चीनी उत्पादन नीति के अन्तर्गत किसानों को, तो यह चीनी उत्पादन नीति क्या है, यह हम जानना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आप एक चीज समझ लें, उन्होंने यह पूछा है कि जो प्रस्तावित चीनी नीति है, उसके अन्तर्गत क्या सरकार एथनॉल के उत्पादन पर विचार कर रही है या कितना प्रतिशत उत्पादन करायेंगे। मुख्य प्रश्न यह है इस प्रश्न के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी बतायें हैं। आप नीति के संदर्भ में अलग से पूछ लीजिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी के प्रश्न में बहुत स्पष्ट दिया हुआ है, प्रस्तावित चीनी उत्पादन नीति, मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ओझा जी, उन्होंने संदर्भ दिया है कि प्रस्तावित चीनी नीति जो है, उसके संदर्भ में इतने प्रतिशत एथनॉल उत्पादन की अनिवार्यता करेंगे मिलों पर। यह प्रश्न है। आप नीति के बारे में अलग से पूछ लीजियेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक बात कही आपने कि मांग नहीं है पहले उत्पादन तो हो, जब है ही नहीं तो मांग का सवाल क्या होगा। मान्यवर, यह आपकी जानकारी में है कि पिछले साल जो 20 डालर प्रति बैरल का रेट था वह बढ़ाकर 65 डालर प्रति बैरल का रेट कर दिया गया एकदम शूट हुआ और सारे देश के सामने एक संकट की घड़ी पैदा हो गयी। उत्तर प्रदेश की पूरे देश में 1/5 आबादी है और गन्ना सबसे जयादा यहां पैदा होता है और चीनी सबसे ज्यादा यहां पैदा होती है। चीनी मिल सबसे ज्यादा यहां पर है तो सबसे पहले हमारे प्रदेश की जिम्मेदारी आती है लीड लेने की। अगर हम ही लीड नहीं लेंगे तो हम क्या आलोचना करेंगे। आपका यह कहना कि मांग नहीं की तेल कम्पनियों ने। तो मांग की बात तो बाद में आयेगी। आज हमारे अपने रिर्सोसेस प्रदेश के रिर्सोसेस में शामिल हैं। सारे के सारे पेट्रोल के खर्चे के सामने दबते जा रहे हैं और हम कोई महत्वपूर्ण काम विकास का कर ही नहीं पा रहे हैं इसी में सारा पैसा हमारा जा रहा है। बाकी स्रोत हमारे पास हैं क्या, इसलिये मैं कहना चाहता हूं एक अध्ययन हमारे पास है मंत्री जी, आप चाहेंगे तो मैं आपके पास भिजवा दूंगा। इसमें लिखा गया है कि जितना भी भूमि के नीचे का तेल उपलब्ध है कुछ समय के बाद में उसका 80 प्रतिशत समाप्त होने वाला है। 2040 तक यह समाप्त होने वाला है तो योजना तो अभी से आप बनाना शूरू करें, 2040 में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, यह अलग बात है। लेकिन कम से कम योजना की शुरुआत तो हम करें, ऐसी समस्या जब आयेगी, जब जमीन के नीचे का सारा तेल ही खत्म हो जायेगा तब त्राहि-त्राहि यहां मचेगी, तब लोग कहेंगे कि किस तरह के लोग यहां बैठे थे जिन्होंने 20 साल की, 30 साल की, 50 साल की योजना भी नहीं बनाई इसलिये मैंने यह प्रश्न किया। प्रश्न यह नहीं है कि उनकी मांग नहीं है। प्रश्न यह है नं0 एक, आपके यहां गन्ने के रूप में कच्चा माल उपलब्ध है आपके यहां उसका सोर्स उपलब्ध है मिल के रूप में और तीसरी बात, प्रदेश में खुद इसकी खपत इतनी है जो हम 1/5 का अनुमान लगा सकते हैं पूरे देश के अनुपात में। सारी चीजें हमारी हैं और गन्ने का मूल्य बकाया है चीनी का दाम गिरता जा रहा है तो सारे के सारे कारण ऐसे हैं तो इनको देखते हुये, इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें पहल लेनी चाहिये। मैंने सवाल कर दिया, इसलिये नहीं, नीति आपकी आयेगी, श्रेय आपको मिलेगा और अगर आपकी नीति आ ही रही है तो आप इसमें विचार कर लें कि क्या यह फिजिबल होगा और अगर व्यवहारिक होगा तो आप इसको इसमें शामिल कर लें। नहीं व्यवहारिक होगा तो सदन के सामने कह दें कि नहीं व्यवहारिक पाया गया। लेकिन यह जो बिन्दु आपने कहा कि मांग नहीं है, मांग कहां से होगी। मान्यवर, क्या आपको जानकारी होगी कि इस समय देश में 122 प्लांट एथनॉल बनाने के लग चुके हैं, उत्तर प्रदेश में कितने लगे हैं ? अगर मांग न होती तो 122 प्लान्ट क्यों लगते देश में

और वह भी विभिन्न स्रोतों के, केवल गन्ना ही नहीं है। वेस्ट भी है कार्न भी है उनसे लग रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि गन्ना हमारे पास में है, मिल भी ऐसी स्थिति में आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिये और नई चीनी नीति जो आप लायेंगे जिसमें गन्ना भी शामिल होगा उसमें निश्चित रूप से सरकार का मंतव्य आना चाहिये, मान्यवर, मैं यह सवाल करना चाहता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य को भी बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में 18 करोड़ लीटर एथनॉल दिया जा रहा है उसमें से सबसे ज्यादा 8 करोड़ लीटर केवल उत्तर प्रदेश से ही जा रहा है। कोई ऐसा प्रान्त नहीं है जिस प्रान्त में उत्तर प्रदेश के बराबर एथनॉल दिया जा रहा हो कोई और प्रान्त भारतवर्ष में नहीं है और जहां तक माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि इसको बढ़ाया जाए तो हम भी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिये। लेकिन इसकी अनुमति भारत सरकार को देना है और भारत सरकार को अनुरोध करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार पत्र लिखने जा रही है कि इसको बढ़ाया जाए।

श्री हुकुम सिंह-

आप पत्र लिख रहे हैं, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं। पत्र लिखिये, अनुमति लीजिये और नयी नीति जब आये तो एथनॉल का प्रावधान करके लाइये, हम भी आपका स्वागत करेंगे, इसके लिये हम धन्यवाद देते हैं। मान्यवर, आज तक तो लिखा नहीं आपने पत्र। केन्द्र सरकार की जो नीति है मैं आपको बता दूं वह रिनेवेबिल स्रोत की है, उसमें केन्द्र सरकार ने 25 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है कि 25 प्रतिशत पेट्रोल, डीजल के अलावा वैकल्पिक स्रोत होना चाहिये। उसी को देखकर मैंने प्रश्न किया था, जब केन्द्र सरकार की नीति 25 प्रतिशत की है तो आपको वह कैसे मना कर देंगे ?

प्रदेश के प्रभावित जनपदों के चिकित्सालयों में वायरल इन्सेफेलाइटिस/जापानीज इन्सेफेलाइटिस के उपचार के सम्बन्ध में सरकार से पूछे गये उपाय

**2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में है कि प्रदेश के लगभग 25 जिलों में वायरल इंसेफेलाइटिस और जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी का उचित इलाज न होने के कारण विगत पाँच वर्ष में लगभग 3000 बच्चों की मौत हो चुकी है ? क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस रोग की समुचित चिकित्सा हेतु कोई निर्देश दिये गये हैं और उक्त के अनुपालन हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

वर्ष 2002 से 2006 तक प्रदेश के 36 जनपदों में वायरल इन्सेफेलाइटिस/जापानीज इन्सेफेलाइटिस से 10414 व्यक्ति ग्रसित हुये जिनमें से 2667 व्यक्तियों की विभिन्न स्थानों पर मृत्यु हुई थी। आलोच्य अवधि में प्रभावित जनपदों के चिकित्सालयों में वायरल इन्सेफेलाइटिस/ जापानीज इन्सेफेलाइटिस के उपचार की समुचित व्यवस्था की गयी थी।

जी हां। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अपने विभिन्न आदेशों में इस रोग के उपचार तथा रोकथाम हेतु प्रभावित जनपदों में टीकाकरण, बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में वेक्टर बोर्न डिजीज कन्ट्रोल सर्विलेन्स यूनिट एवं रिहेब्लीटेशन सेन्टर की स्थापना, गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेन्टर की स्थापना, नोडल सेन्टर की स्थापना तथा जे0 ई0 रोग से प्रभावित जनपदों में चिकित्सकों/कर्मियों के प्रशिक्षण कराये जाने आदि के आदेश दिये गये हैं।

मई-जून 2007 में 11 जनपदों में 1 से 15 वर्ष आयु वर्ग के 94.99 लाख बच्चों का जे0 ई0 वैक्सीन से टीकाकरण कराया गया। गोरखपुर मेडिकल कालेज में वेक्टर बोर्न सर्विलेन्स यूनिट की स्थापना की जा चुकी है। गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेन्टर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है, जो शीघ्र ही स्थापित हो जायेगा। विकलांग कल्याण विभाग द्वारा बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में रिहेब्लीटेशन सेन्टर की स्थापना की जा रही है तथा वायरल इन्सेफेलाइटिस नोडल सेन्टर की स्थापना का प्रकरण अभी विचाराधीन है। जे0 ई0 प्रभावित 34 जिलों में रैपिड रिस्पान्स टीम के चिकित्सकों/कर्मियों का प्रशिक्षण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय अत्यन्त गम्भीर है और जनजीवन से जुड़ा हुआ है। जो उत्तर दिया गया है कि पत्र की समुचित व्यवस्था की गयी थी आलोच्य वर्षों में अगर यह सही है तो इतने लोग मरे नहीं होते। मान्यवर, लगभग तीन हजार लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मेरा कहना यह है कि समुचित उपचार की व्यवस्था न तो तब थी और न अब है। जो समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा अपने स्तर पर इसका विशेष संज्ञान न लेने के कारण लोगों को जनहित याचिका दायर करनी पड़ी और उसका संज्ञान लेते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष उपचार की व्यवस्था हेतु निर्देश दिये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो भी निर्देश दिये गये उसके अनुपालन के सम्बन्ध में जो कुछ यहां बताया गया, इसमें एक चीज स्पष्ट है कि यह बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में ही जो कुछ है, हो रहा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त भी क्या माननीय उच्च न्यायालय ने समय-समय पर जनहित याचिका में जो निर्देश दिये हैं, उसमें क्या अन्य जो प्रभावित जिले हैं, वहां भी इन सुविधाओं के विस्तार हेतु कोई निर्देश दिये गये हैं ? और यदि दिये हैं तो उन जगहों पर क्या सरकार कर रही है उसकी प्रगति क्या है ? इस वर्ष में यह रोग उस तरह की स्थिति में पहुंचा तो उसका मुकाबला करने के लिये सरकार की क्या तैयारी है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी यह अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है और इसके ऊपर सरकार का रवैया भी अत्यन्त गम्भीर है। इसके लिये जो वैक्सीन होती है उसे भारत सरकार चीन से आयात करती है और उसके बाद प्रदेशों में देती है। जितनी संख्या में हमको वैक्सीन मिली है आज की तारीख तक उसका टीकाकरण में उपयोग हो चुका है। जितने मुख्य चिकित्साधिकारी हैं उन सबको आवश्यक

निर्देश हैं इस बीमारी से लड़ने के लिये वह दिये जा चुके हैं, बैठकें हो चुकी हैं। वर्ष 2006 में सर्वाधिक संवेदनशील 7 जनपद थे, ये जनपद हैं-गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर तथा लखीमपुर खीरी। इस वर्ष बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, रायबरेली, श्रावस्ती, सहारनपुर, सीतापुर, बाराबंकी, मऊ एवं अम्बेडकरनगर में एक साल से 15 साल तक की आयु वर्ग के 94.99 लाख बच्चों का टीकाकरण मई/जून, 2007 में जितने सिंगिल डोज थे लगाया जा चुका है। हमारा प्रयास यह है कि आगे भी जैसे ही हमें वैक्सीन उपलब्ध होगा हम उसका समुचित उपयोग करेंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय मंत्री जी यदि सम्भव हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दें। मैंने यह पूछा था कि बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर है वहां जो कुछ व्यवस्था प्रगति पर है उसके अलावा अन्य जो प्रभावित जनपद पिछले दिनों रहे हैं, आगे भी संभावना है, वहां भी कोई चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की आपकी योजना है, यदि है तो उसकी प्रगति क्या है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, जितना भी गोरखपुर वाला प्रश्न है वहां पर कन्संट्रेट करके पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा रिसर्च सेन्टर बनाया जा चुका है। उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बीमारी होती है। इस बीमारी के फैलने के कारण अभी मैंने बताया कि सी0 एम0 ओज को निर्देश दिय गये हैं। स्वास्थ्य विभाग का पूरा स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से हर जिले में वैक्सीन लगाने के लिये लोग उपलब्ध हैं। हमको जितना भारत सरकार से मिलेगा हम उसको पूरा लगा देंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस भयंकर रोग की रोकथाम के लिये इस प्रदेश में कितने वैक्सीन की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को देखते हुये फौरी तौर पर यह सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से हमारे पास पुराने आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से जो हमारी आवश्यकतायें हैं क्योंकि हम भारत सरकार के अधीन हैं, वही चीन से इम्पोर्ट करती है निश्चित रूप से भारत सरकार को लिख दिया गया है जैसे ही वैक्सीन आयेगा हम उसका उपयोग करेंगे। हम पूरी तरह से इसमें भारत सरकार पर निर्भर हैं।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जितना चीन से आयात होकर आया उसका उपयोग कर लिया गया और इसके लिये भारत सरकार पर निर्भर हैं जब आगे आयेगा तो उसका उपयोग किया जायेगा।

श्री अवधेश प्रसाद-

आवश्यकता कितनी है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बता दिया कि भारत सरकार से लिखा पढ़ी कर रहे हैं।

श्री अवधेश प्रसाद-

मंत्री जी भारत सरकार के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। यह भी कह रहे हैं कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है और यह भारत सरकार की राह देख रहे हैं। यह खतरनाक बीमारी है। आपने स्वयं आंकड़े बताये कि इतने बच्चे मर चुके हैं। तो भारत सरकार से पाने के लिये क्या प्रयास किये ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बताया है कि पत्र लिखा गया है।

डा0 पी0 के0 राय-

यह जापानी इन्सेफेलाइटिस पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जिस जनपद से मैं आता हूं कुशीनगर जनपद विगत वर्षों में सर्वाधिक प्रभावित जनपद रहा है। यह बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक तरह से महामारी का रूप ले चुकी है। वायरल डिजीज है इसलिये इसका बचाव करना सबसे ज्यादा उपयोगी कदम हो सकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बचाव करने के लिये एरियल फागिंग और जो सुअर बाड़े की बात बार-बार आती है दिल्ली से एक्सपर्ट आये उन्होंने भी कहा कि सुअर बाड़ों को बस्तियों से दूर रखा जाय तो इस दिशा में कोई प्रयास हुआ है ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इसके टीकाकरण के अभियान को राष्ट्रीय टीकाकरण के अभियान के साथ जोड़ने का कार्य आपके द्वारा किया जायेगा जैसा कि मैंने कहा मैं पहले भी कहता आ रहा हूं। जो 94 लाख 99 हजार टीके की बात आपने कही है यह टीकाकरण क्या पहली डोज है ? यह जो पहले टीके लगे हैं उन लोगों को दूसरे बूस्टर डोज का टीका भी लगाया गया है इसकी जानकारी आप प्राप्त करा दें।

श्री अध्यक्ष-

इतने सारे अनुपूरक प्रश्न एक साथ न पूछें।

डा0 पी0 के0 राय-

इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। 18-20 प्रतिशत बच्चे जो जापानी इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित होते हैं वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं उन विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिये पूर्ववर्ती मुलायम सिंह यादव सरकार ने उन विकलांग बच्चों को 50 हजार रुपये सहायता स्वरूप प्रदान करने का कार्य किया था क्या उसे पुनः देने के ऊपर सरकार विचार करेगी ?

श्री अनन्त कुमार मिश्रा-

जो रोकथाम के लिये हमारे स्तर से होना है। हमारे पास चिकित्सालयों में जो औषधियां रखे जाने की आवश्यकता होती है वह सब उपलब्ध है। जो कीटनाशक होते हैं प्रिवेंशन के लिए वह हमारे पास उपलब्ध हैं। जो हमारे चिकित्सक हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है उनकी ट्रेनिंग हमारे यहां चल रही है हमने 15 लैब कहां पर लगानी है प्रदेश सरकार द्वारा उसके लिये जगहों को

चिन्हित कर लिया गया है। संविदा पर चिकित्सकों की नियुक्तियां भी कर रहे हैं जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, हमारे महाराजगंज में इस ...

श्री अध्यक्ष-

ओझा जी, आप बैठ जायं। मैंने पाण्डेय जी को बुला लिया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की यह बड़ी विकराल समस्या है। बच्चों और लोगों की मृत्यु से संबंधित रिकार्ड तो आपके पास है लेकिन इससे जो लोग विकलांग हो जाते हैं उनका आपके पास कोई रिकार्ड नहीं है। आज आप गांव में जाकर परीक्षण करेंगे तो पायेंगे कि 2/4 विकलांग आपको अवश्य मिल जायेंगे और उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आज तक बोल नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इसके बचाव की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके पास प्रिवेंटिव उपचार तो इसके लिये है लेकिन क्या इसके लिये क्यूरेटिव उपचार भी उपलब्ध हैं ? इसके क्यूरेटिव की जो व्यवस्था है वह आपके मेडिकल कालेज में हैं जनपदों में छोटे-छोटे अस्पताल हैं जब कोई रोगी वहां जाता है तो वहां के डाक्टर यह नहीं बताते हैं कि वह मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित है उसको इधर उधर घुमाते रहते हैं जब वह मरणासन्न हो जाता है तब बताते हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको क्योर करने की जो दवा है वह आपके पास उपलब्ध है ? अगर नहीं है तो आप उसकी व्यवस्था कहां से करेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कार्य-स्थगन के रूप में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने इस प्रश्न को उठाया था और उस दिन मैंने जवाब देते हुये कहा था कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं और उस क्षेत्र के हैं, जैसा अभी आपने देखा कि हमारे कितने डाक्टर साथी लोग इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछने के लिये खड़े हुये। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक बैठक कराई जायेगी और जो सुझाव आयेंगे उसके अनुसार सरकार द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित रूप से कराई जायेगी।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न सं0-1 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री अजय राय उपस्थित नहीं थे। तारांकित प्रश्न सं0-2 पुकारा गया)

(कई सदस्यों एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग बैठ जायं। जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि एक बैठक हो रही है। डा0 साहब बैठ जायं। जब बैठक होगी तो आप लोग भी अपने सुझाव उसमें दे दीजियेगा। मंत्री जी ने कह दिया है कि विशेषज्ञों के साथ बैठक करके इस समस्या का निदान करने का रास्ता निकालेंगे तो फिर अब पूछने की क्या जरूरत है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह एक डाक्टर हैं, इनको तो बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जी के निवेदन पर, चूंकि मैं तारांकित प्रश्न ले चुका हूं और अब यह नियमानुसार नहीं करना चाहिये लेकिन ओम प्रकाश जी ने निवेदन किया है कि इसलिये मैंने संकेत किया है, सुना तो नहीं जाना चाहिये पर मैं उनको अनुमति दे रहा हूं। ओझा जी, आप बैठ जायं आपसे दुनिया के लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। ओझा जी, आप बैठ जायं आपसे तो अभी बहुत आशीर्वाद लेना है।

श्री राजेन्द्र सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जापानी इन्सेफेलाइटिस का जो वैक्सीन है वह जापान में मरे हुये वाइरस से बनता है और चीन में जो वैक्सीन बनता है वह जिन्दा वाइरस से बनता है। जापान के अन्दर वैक्सीन 0, 7, 30 दिनों पर देने की गुणवत्ता है और चीन के अन्दर जो वैक्सीन है वह अमेरिका की मेडिकल एथारिटी ने बिल्कुल रिजेक्ट किया हुआ है वह अप्रूव नहीं किया है लेकिन हमारे यहां आज भी वही वैक्सीन इस्तेमाल हो रहा है। इस वैक्सीन के बहुत ज्यादा एडवर्स इफैक्ट हैं। जापान में जो वैक्सीन है वह बहुत इफैक्टिव है इसके साइड इफैक्ट भी कम है और यह तीन डोज में देने वाला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जापानी इन्सेफेलाइटिस के वैक्सीन को जापान से क्यों नहीं आयात करते हैं ? चीन से क्यों आयात करते हैं जिसके कि साइड इफैक्ट्स भी बहुत हैं ओर एफ0 टी0 ए0 द्वारा अप्रूव भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि वे जल्द ही इस बारे में बैठक बुला रहे हैं, आप उसमें जाकर सुझाव दे दीजियेगा।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारी की भांति जनवरी, 2007 से देय महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान किया जाना

*1-श्री अजय राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को जनवरी, 2007 से देय महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान कर दिया

गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त महंगाई भत्ते की किश्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (कुमारी मायावती)-

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को जनवरी, 2007 से देय महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान हेतु शासनादेश संख्या-बे0आ0-1-702/दस-2007-42 (एम)/97, दिनांक 06 जून, 2007 को निर्गत कर दिया गया है। उक्त महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2007 से दिनांक 31 मई, 2007 तक की देय अवशेष धनराशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और 01 जून, 2007 से (जून, 07 का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2007 को देय) नकद किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मिट्टी के तेल की काला बाजारी को रोकने के सम्बन्ध में शासनादेश

•2-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी के कारण इसकी कालाबाजारी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालाबाजारी को रोकने के लिए कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

जी नहीं। मिट्टी तेल की कालाबाजारी व व्यवर्तन रोके जाने हेतु थ्री स्टेज चेकिंग की व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 निर्गत किया गया है।

श्री विद्यासागर गुप्ता-

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी के लिए मिट्टी का तेल मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश में इसकी जबर्दस्त कालाबाजारी हो रही है। गरीब आदमी को मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। जबकि ब्लैक में जितना चाहिए मिट्टी का तेल ले लीजिए। मान्यवर मंत्री जी ने कहा है कि 1997 में एक शासनादेश हुआ था मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह जो कालाबाजारी हो रही है। सैकड़ों लोग दुकान के बाहर खड़े रहते हैं और वापस चले जाते हैं। एक-एक दिन की छुट्टी करते हैं फिर भी मिट्टी का तेल नहीं मिलता है तो इसके लिए वर्तमान सरकार ने क्या किया है ? और इसके लिए क्या योजना बना रही है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, इस प्रदेश को एक लाख 80 हजार किलोलीटर किरोसीन की आवश्यकता है। भारत सरकार एक लाख 32 हजार किलोलीटर मिट्टी का तेल उत्तर प्रदेश सरकार को देती है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में किरोसीन तेल की कमी है। दिनांक 12-10-06 को भारत सरकार को पत्र लिखा गया था। भारत सरकार ने जो गैस के कनेक्शन बांटे हैं उत्तर प्रदेश में। उस आधार पर मिट्टी का तेल बढ़ाने से इन्कार कर दिया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में तेल की

कमी है। हमने पिछले महीने से अभियान चलाया है जिससे अधिकांश जनपदों में कार्यवाही की गई है। एक ऐसी कमेटी को पहली बार बनाने का काम किया है जिसमें आर0एफ0सी0, उपायुक्त खाद्य, और तेल कम्पनियां और मंडल कमिश्नर का एक प्रतिनिधि, अन्तर मंडलीय गोरखपुर मंडल का मुरादाबाद में और मुरादाबाद मंडल का गोरखपुर में इस तरह से जांच अगले महीने से हमने किया है पांच तारीख से, निश्चित रूप से परिणाम सामने आए हैं। पहली बार लोगों ने कहा है कि मिट्टी का तेल, राशन गरीबों में बंटा है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 मंत्री जी हमारे बगल के जिले से आते हैं। 'चिराग तले अंधेरा' हमने तो अपने जिले में 35 रुपये लीटर मिट्टी का तेल बिकते देखा है। मा0 मंत्री जी ने कहा कि विभिन्न जनपदों में जांच कराई। तो क्या मंत्री जी इस सदन को बताना चाहेंगे कि गोरखपुर जिले में क्या जांच हुई ? कौन-कौन लोग ब्लैक कर रहे हैं। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई है ? क्योंकि कमी एक चीज है लेकिन वह कमी में 'कोढ़ में खाज की तरह' है जो कमी में चोरी हो जाना। सारे सिस्टम में चोरी हो रही है। आर0एफ0सी0 के नीचे जो माध्यम बना हुआ है चोरी हो रही है तो मा0 मंत्री जी गोरखपुर के बारे में बता सकें कि इनकी-इनकी जांच हुई, यह यह, दोषी पाए गए ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, गोरखपुर में कोई नहीं पकड़ा गया। मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ, रायबरेली, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, झांसी, फैजाबाद, बस्ती, इलाहाबाद, कौशाम्बी, सोनभद्र इन जिलों में लोग पकड़े गए हैं। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जिनके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या गोरखपुर में चोरी की जांच करायेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

लिखकर दे दें।

श्री अध्यक्ष-

लिखकर दे दें जांच करा लेंगे।

श्री सुल्तान बेग-

मान्यवर, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जनपद बरेली, में जितने भी थोक के दुकानदार हैं, वहां सबसे 2 रुपये लीटर मिट्टी के तेल का अतिरिक्त वहीं रोक लिया जाता है। यह गम्भीर मामला है, मैंने इस पर सवाल भी दिया था। यह अतारांकित प्रश्न भी आ गया और इसमें है कि वहां पर कोई भी कालाबाजारी हो ही नहीं रही है। 2 रुपये लीटर थोक से जहां से कोटेदार लेने जाता है, वहीं रोक लिया जाता है और इसलिए जब हम जांच के लिए अनुरोध करते हैं तो कहा जाता है कि इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही है। तो मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी कम से कम इसको दिखवा लें।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

लिखकर दे दें।

श्री सुल्तान बेग-

मान्यवर, जहां पर इतनी बड़ी कालाबाजारी खुल्लमखुल्ला हो रही हो, आप कहें तो जो लोग यह काम कर रहे हैं, उनके नाम बता दें। मेरा अनुरोध है कि इसमें कोई कस्टम कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

लिखकर दे दीजिए।

श्री कौकब हमीद-

मा0 अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाई है तो यह मान ही गए हैं कि तेल की कमी है, कितने लीटर तेल की कमी है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा कि एक लाख अस्सी हजार किलो लीटर की आवश्यकता है और एक लाख बत्तीस हजार किलो लीटर उपलब्ध हो रहा है।

(श्री राम विशुन आजाद, श्री उदयराज, चौधरी सत्यपाल सिंह, श्री दीप नारायण सिंह तथा श्रीमती सीमा द्विवेदी आदि सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बहुत अनुपूरक हो गए हैं। अब आप लोग ही फैसला करिए। सब लोग तो पूछ लिए, किसी महिला सदस्य को पूछने देंगे ? तेल की व्यवस्था तो उनको देखनी है। लालटेन उनको जलानी है। आजाद जी, आप बैठ जायें। सीमा द्विवेदी जी आप अपना प्रश्न रखें।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सीमा द्विवेदी जी को बुला लिया है। आप बैठ जायें, एक मा0 महिला सदस्य खड़ी हैं, आप लोग तो उनको चारों ओर से घेर लिए हैं। आपके पीछे खड़ी हैं, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आजाद जी, आप बैठ जायें।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मा0 अध्यक्ष जी हम आपके आभारी हैं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं जैसा आपने बताया कि हमको इतनी उपलब्धता है, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से मिलता बहुत कम है। मान्यवर, मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है, जितनी आपकी उपलब्धता है मान लीजिए किसी गांव में किसी

व्यक्ति को प्रति माह 5 लीटर मिट्टी का तेल मान्य है तो उसको 5 लीटर मिट्टी का तेल मिलना चाहिए। आपके पास कम है, आप मांगते ज्यादा हैं, लेकिन मिलता कम है, यह तो दूसरी बात हो गई लेकिन मेरे कहने का मतलब है, गांवों में गरीबों को जिनको मिट्टी का तेल आवंटन किया जाता है उनको मान लीजिए 2 लीटर तेल दिया जाता है, एक परिवार को, लेकिन वहां का कोटेदार वहां के लोग मिल करके मैं आपसे स्पष्ट रूप से दो गांव बताना चाहूंगी चाहें तो आप जांच करा लें, मान्यवर, देवकली गांव है, विधान सभा गढ़वारा में, विकास खण्ड सुजान नगर में, वहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं मेरी शिकायत यह है कि जितना तेल अनुमन्य हो उनको उतना दिया जाए, उसकी चोरी न की जाए मेरी आपसे यह शिकायत है।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

आप लिखकर दे दें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, बहुत अनुपूरक हो गए हैं। राम विशुन आजाद जी, उदय राज जी, आप लोग बैठिए। नए लोगों को भी मौका मिलेगा ?

(श्रीमती कृष्णा राज के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृष्णा राज जी, आपका कोटा पूरा हो गया है।

श्री दीप नारायन सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि माननीय मंत्री जी ने कोटे और खपत की बात कही है। लेकिन उसमें सच्चाई यह है कि जिनको मिटटी का तेल की आवश्यकता है उन्हें तेल नहीं मिल रहा है। आज मिटटी का तेल ट्रैक्टर और जनरेटरों में इस्तेमाल हो रहा है। मान्यवर, आज मिलावटी तेल पूरे प्रदेश में इस्तेमाल किया जा रहा है। मान्यवर, खपत का आंकड़ा दिया है लेकिन जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं उनका जो आंकड़ा है उन तक मिट्टी का तेल पहुंचाने के लिए प्रबंध किया जाना चाहिए। यह इंतजाम किया जाना चाहिए कि मिट्टी का तेल ट्रैक्टरों और जनरेटरों में इस्तेमाल न हो। जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी तब तक गरीबों तक मिट्टी का तेल नहीं पहुंचने वाला है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, यह पहली सरकार है जिसने इस तरह की जांच की व्यवस्था की है। मान्यवर, आज आर0एफ0सी0, उपायुक्त खाद्य, सहायक नियंत्रक एवं बांट माप अधिकारी, पेट्रोलियम ऐजेंसी के प्रतिनिधि को भी इसकी जांच में शामिल करने का काम पहली बार सरकार ने किया है और मैनुअल बदलकर अंतरमण्डलीय स्तर पर पहली बार सरकार ने जांच की व्यवस्था की है। जो भी इस तरह के मामले होंगे उसमें निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी।

(श्री राम विशुन आजाद, चौधरी सत्यपाल सिंह सहित विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर सदन में शोरशराबा उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

बहुत ज्यादा हो गया है। अब बैठ जाइए। आगे और प्रश्न हैं।

चौधरी सत्यपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी लगातार हो रही है। पिछली सरकार में 5-6 महीने प्रयास करके इस कालाबाजारी को रोका गया था लेकिन आज भी लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। 2-3 महीने से तेल का वितरण नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खैर विधान सभा क्षेत्र के खैर ब्लाक में मिट्टी का तेल ब्लैक कर दिया जाता है तो उसमें क्या कार्यवाही कराएंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें।

(श्री राम विशुन आजाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आजाद जी, आप बैठें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, गम्भीर प्रश्न है और जब आप यहां हमारे साथ रहते थे तो आपने नियम-49 में मांग की है और नियम-49 में पीठ से एतराज होता रहा है। तो इस गम्भीर समस्या पर आपकी ओर से एक आश्वासन आ जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार का पक्ष लिया जाना चाहिए। लेकिन उसकी भी एक हद होगी। यह गरीबों से जुड़ी हुई गम्भीर समस्या है, तात्कालिक है, आज की समस्या है। नियम-49 में मान लिए जाने योग्य है। इसलिए हमारी सबकी तरफ से नियम-49 की नोटिस मान लें। और मान्यवर, इसको लिखकर भी दे देंगे, मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें इतने अनुपूरक हुए हैं और मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि यह व्यवस्था थ्री स्टेज चेकिंग की उन्होंने की है और जो मूल प्रश्नकर्ता थे उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है तो ठीक है इसमें कड़ाई करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मैंने बहुत सारे अनुपूरक प्रश्नों को पूछने का अवसर दिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्न में स्वतः प्रश्न हैं। इसमें यह है कि क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में मिट्टी के तेल की कमी के कारण इसकी कालाबाजारी हो रही है। जो जानकारी उनको

थी उन्होंने सदन को दे दी लेकिन सदन उससे सहमत नहीं है। मिट्टी के तेल की कमी के कारण काला बाजारी हो रही है और सरकार संतुष्ट नहीं कर पा रही है, इसलिये हम नियम-49 में चर्चा हेतु मांग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण इसका स्पष्ट उत्तर आ गया है। माननीय मंत्री जी जवाब दे चुके हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हम नियम-49 में चर्चा की मांग कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। यह सरकार चर्चा से भाग क्यों रही है, काला बाजारी से क्यों भाग रही है ?

श्री उदयराज-

मान्यवर, हम लोगों ने नियम-49 के अन्तर्गत लिखकर दे दिया है। आप इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह बजट सत्र है और इसमें विभिन्न विभागों की अनुदानों की मांग पर चर्चा करने का अवसर आयेगा। पिछली सरकार के दौरान खाद्य एवं रसद विभाग में जिस तरह से लूट खसोट मची हुयी थी उस पर माननीय मंत्री जी ने नियंत्रण शरू किया है इससे इनको घबराहट होने लगी है। अधिकांश लोग इस तरह के हैं जिनकी पीड़ा से इस तरह के सवाल उठ रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बिल्कुल सही बात है, लूटने वालों पर चर्चा हो जाये, हम इससे सहमत हैं।

हाजी याकूब कुरैशी-

मान्यवर, इनकी तो सी0 बी0 आई0 जांच होनी चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही है, मैं उस पर बल देता हूं। जो यह कहा गया कि 'क्योंकि लूटने वाले लोगों को लूटने का मौका नहीं मिल रहा है इसलिये परेशान है,' इस पर चर्चा होनी चाहिये।

हाजी याकूब कुरैशी-

कई सौ करोड़ रुपये का जो चन्दा मिला है उसकी भी मान्यवर, जांच होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

स्पष्ट उत्तर आ चुका है। आप लोग बैठ जायें। (व्यवधान)

गन्ना पेराई सत्र 2006-07 में कृषकों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के बकाये का ब्याज सहित भुगतान के निर्देश

3-श्री हुकुम सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री इमरान मसूद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गन्ना पेराई सत्र 2006-07 में चीनी मिलों को कृषकों द्वारा आपूर्ति किये गये गन्ने के बकाए का ब्याज सहित भुगतान 31 जुलाई, 2007 तक कराना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

चीनी मूल्य में अप्रत्याशित कमी के कारण गन्ना मूल्य भुगतान प्रभावित हुआ है। फिर भी प्रदेश की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को समस्त गन्ना मूल्य दिनांक 31-08-2007 तक चरणबद्ध रूप से अनिवार्यतः अद्यावधिक ब्याज सहित भुगतान किये जाने का निर्देश दे दिया गया है। चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान में अपेक्षित सुधार न होने पर चीनी मिलों के विरुद्ध उ0 प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं विनियमन) अधिनियम-1953 के अन्तर्गत विधि कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम-49 की चर्चा के बारे में क्या निर्णय लिया। क्या हुआ नियम-49 की चर्चा का ?

(व्यवधान)

(माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या-03 पुकारे जाने पर एवं श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी माननीय मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने पर, समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन के वेल में आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय आजम खां साहब, आपकी लिखित सूचना आ गई है, मैं इसका परीक्षण करा लेता हूं। आप लिख कर दे दिये हैं, मैं परीक्षण करा लूंगा। परीक्षण कराने के बाद उस पर निर्णय दे दूंगा।

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने तीसरा प्रश्न ले लिया है। पहले आप नियम-49 की सूचना के सम्बन्ध में कुछ निर्णय दे देते, उसके बाद प्रश्न-03 लेते, तो उचित होता।

श्री रामविशुन आजाद-

पहले अध्यक्ष जी की पीठ से मांग के सम्बन्ध में निर्णय होना चाहिये उसके बाद में अगला प्रश्न लेना चाहिये।

(विपक्ष के कई सदस्य इस बीच सरकार विरोधी नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

आप यह बोल करके नहीं कर पायेंगे। माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर जाकर बैठ जायें। मैंने कह दिया है कि आपने लिख कर दे दिया है, मैं इसका परीक्षण करा लूंगा। माननीय आजम खां साहब ने नियम-49 में लिख कर दे दिया है, मैं उसका परीक्षण करा लूंगा। परीक्षण करा करके सबको अवगत करा दूंगा। अगर आप सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं, और सदस्यों का हक मारना चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप रोकना चाहते हैं तो आप इस आचरण से रोक लीजिये, लेकिन मैं उसका परीक्षण करा लूंगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम-49 में माननीय अध्यक्ष जी का विवेक होता है कि चर्चा हो या न हो। सदस्य उसमें नोटिस देते हैं, सूचना देते हैं, चर्चा की मांग करते हैं, उसका परीक्षण होता है। परीक्षणोपरान्त माननीय अध्यक्ष जी को अधिकार है कि उस पर चर्चा करायें या न करायें। मान्यवर, यह तो पीठ के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं, सरकार के ऊपर नहीं। मान्यवर, आपको विवश कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह की जो गतिविधियां हैं, यह संसदीय लोकतंत्र के विपरीत है और यह ऐसे लोग हैं मान्यवर, जो संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं और यह दबाव के द्वारा सदन का संचालन कराना चाहते हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से यह उचित नहीं है। यह अनैतिक कार्य है। इस तरह से पीठ पर दबाव डालना अनैतिक कार्य है और जहां तक चर्चा का सवाल है मान्यवर, अनुदान की मांग आयेगी और उस पर चर्चा करने का पूरा अवसर मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सूचना ले लिया है, मैं उसका पूरा परीक्षण करा लूंगा और परीक्षण कराने के बाद उसमें चर्चा का औचित्य बनेगा तो चर्चा भी करा दूंगा, लेकिन कुछ मौका तो दें। केवल दबाव के आधार पर जबरदस्ती कर दिया जाय। आपने लिख कर दिया है, मैं चर्चा करा लूंगा, यही होता भी रहा है, माननीय पाण्डेय जी बैठे हैं, हमारे पूर्व विधान सभा अध्यक्ष बैठे हैं, आप उनसे पूछ लें। हम लोग देते थे, वह परीक्षण कराते थे। आप भी संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं आपको भी पूरी जानकारी है। आप आसन ग्रहण कर लें, मैं परीक्षण करा लूंगा।

(विपक्ष के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ में वर्ष 2005-06 व 2006-07 में नियम विरुद्ध करोड़ों रुपये के टेण्डर आमंत्रित किये जाने की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*4-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ड्रेनेज मण्डल अलीगढ़ और अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ में वर्ष 2005-06 और 2006-07 में करोड़ों रुपये के कार्य बिना टेन्डर (निविदा) आमंत्रित किये नियम विरुद्ध कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

किसी विशिष्ट मामले में शिकायत प्राप्त होने पर जांच करा ली जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान के मध्य श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सत्तापक्ष के लोगों द्वारा मोबाइल फोन से फोटो लिया जा रहा है। सदन की पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है। यह गलत है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, 49(3) आप पढ़ने का कष्ट करें। कोई सदस्य जो ऐसा विषय उठाना चाहते हों उस दिन से जिस दिन वह उस विषय को उठाना चाहते हों तीन दिन पूर्व प्रमुख सचिव को उसकी लिखित सूचना भेजेंगे...

(घोर व्यवधान)

(सदन के वेल से समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री राम किशुन कहने लगे कि मान्यवर आप देखें कि यह वीडियोग्राफी हो रही है। यह सदन की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी हो रही है।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आप यह नियमावली के नियम 49 के प्रावधान का अवलोकन करने का कष्ट करें। इसमें दिया हुआ है कि सूचना के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी होगी जिसमें सम्बद्ध विषयों पर चर्चा उठाने के कारण बताये जायेंगे। किन्तु अध्यक्ष सम्बद्ध मंत्री की सम्मति में सूचना की अवधि सम्बन्धी अपेक्षा को हटा सकेंगे। इसमें यह भी है कि यदि आवश्यक हो तो एक ही उपवेशन में दो सूचनायें ली जा सकेंगी। यदि दो से अधिक सूचनायें प्राप्त हुई हों और अध्यक्ष ने उनको स्वीकार कर लिया हो तो अध्यक्ष यह निश्चित करेंगे कि उसमें से कौन सी दो ली जायें। इसमें यह भी स्पष्ट वर्णित है कि कोई सदस्य जो ऐसा विषय उठाना चाहते हों, उस दिन से, जिस दिन वे उस विषय को उठाना चाहते हों, तीन दिन पूर्व प्रमुख सचिव को उसकी लिखित सूचना भेजेंगे।

मान्यवर, लिखित रूप से सूचना प्राप्त होने के उपरान्त आप उसका परीक्षण करायेंगे। परीक्षण करके आप के द्वारा चर्चा का निर्णय लिया जायेगा। यह निश्चित रूप से अनैतिक रूप से इस तरह से दबाव डाला जा रहा है। यह कदापि उचित नहीं है। यह संसदीय परिपाटी का उल्लंघन है। पीठ पर एक तरह से हमला है।

श्री अध्यक्ष-

सूचना का परीक्षण कराया जायेगा। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं तो श्री यशपाल सिंह चौहान जी का है। माननीय सिंचाई मंत्री जी।

(सदन के वेल में मौजूद समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगाने लगे। श्री राम किशुन कहने लगे कि माननीय अध्यक्ष जी यह कैमरा यहां कैसे आया है)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह सदन की परम्परा नहीं है, यह गलत परम्परा है वेल में आकर बोल नहीं सकते हैं। इन्हें अपनी कुर्सी पर जाये बिना बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। नियमावली के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है।

(सदन के वेल से श्री मो0 आजम खां कहने लगे कि 'मोबाइल जब्त किया जाय उनका, यह अपराधी लोग हैं। अपराधियों को सदन के अन्दर आने का कोई अधिकार नहीं है।)

श्री अध्यक्ष-

वहां सीट पर जाकर कहें। इस बात को सदन के संज्ञान में लाने के लिये वहां से जाकर कहें। इसका कोई औचित्य नहीं है, यह नियमों में नहीं है। यही बात वहां से जाकर कहें ताकि सदन उस पर विचार करे।

(मार्शल ने तत्काल मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया)

श्री अध्यक्ष-

आपने एक सूचना देने की बात कही है नियम 49 के अन्तर्गत वह आता है यह देखने का विवेक अध्यक्ष पर है। आप दबाव डाल रहे हैं कि आज ही फैसला हो जाये। मैं इसका परीक्षण करा लूंगा। आपने दे दिया अब मेरे विवेक पर है, मैं उसका परीक्षण करा लूंगा। यह परम्परागत होता रहा है परीक्षण के बाद आपका निर्णय आ जायेगा।

(व्यवधान के मध्य)

कुछ तो नियम बतायेंगे। वरिष्ठ सदस्य माननीय चौधरी साहब हैं, माननीय आजम खां साहब हैं, आप नियम 49 में देते हैं अध्यक्ष का विवेक होता है वह परीक्षण करते हैं, परीक्षण के बाद चर्चा स्वीकार करना न स्वीकार करना लेकिन आपने दिया, मैं चौधरी साहब परीक्षण करा ले रहा हूं। इस मसले पर जनहित से जुड़ा है, मैं परीक्षण करा लूंगा। फिर हम निर्णय दे देंगे। लेकिन अब उस पर नहीं कि हम करेंगे इसी पर। आप देख लें चौधरी साहब परीक्षण कराने का, आप नियमावली पढ़ लें मेरे विवेक पर उसका परीक्षण कराया जाता है।

(वेल में आये हुये माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अभी सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि यह अध्यक्ष का विवेक है कि वह चर्चा करावें या न करावें।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा हो रही है, आज भी चर्चा होनी है, माननीय सदस्य को उसमें पूरी छूट होती है चर्चा करने की लेकिन मान्यवर, इनके पास चर्चा करने के लिये कुछ है ही नहीं इन्होंने जो पाप कर रखा है उसकी चर्चा सदन में न होने पाये इसलिये

इस तरह का नाटक करने का काम कर रहे हैं। इनका अराजक कार्यों का सदन में उजागर न होने पाये इसलिये इस तरह से सदन में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अन्यथा अभी 20 मिनट बाद सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा होगी और उस चर्चा के दौरान भी इस बात को भी रखा जा सकता है लेकिन है ही नहीं कुछ और जब कुछ है ही नही, नहीं तो निश्चित रूप से यह नाटक इस तरह की अराजकता फैलाने का काम कर रहा है।

(वेल में आये हुये सदस्य नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है।

(समाजवादी पार्टी सदस्यों द्वारा वेल से नारेबाजी के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप चर्चा की मांग कर रहे हैं एक पत्र आ गया, नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग। मैंने कहा, इसका परीक्षण करा लेंगे। यह परम्परा है कि सूचनायें दी जाती हैं, अध्यक्ष के विवेक पर होता है। इसका परीक्षण करा लिया जायेगा जैसा होगा, हम व्यवस्था दे देंगे। माननीय आजम खां साहब ने नियम-49 में दिया है माननीय चौधरी साहब ने दिया है। नियम-49 में हमारे यहां पत्र आ गया, अब अध्यक्ष का विवेक है। उस पर चर्चा कराना न कराना उसका विवेक है। हम उसका परीक्षण करा ले रहे हैं, मुझको परीक्षण का मौका दे दीजिये। यह व्यवस्था परम्परा रही है। माननीय पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने भी कहीं न कहीं इस तरह की व्यवस्थायें दी हैं। आप हमें इसका परीक्षण करा लेने दीजिये, इसका मौका दे दें आप। आप नियमावली देख लें। नियम-49 में दिया है, मैं उसका परीक्षण करा लूंगा। अध्यक्ष के विवेक पर है अब इस तरह से हो हल्ला करना ठीक नहीं है। सदन में अन्य माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रदेश की जनता से जुड़े प्रश्न हैं, उनके भी तो हक मारे जा रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। बहुत महत्वूपर्ण प्रश्न हैं मेरा प्रश्न प्रदेश में बढ़ती महंगाई से सम्बन्धित है। मान्यवर, हर सदस्य का अधिकार है वह भी चुनकर आता है।

श्री अध्यक्ष-

आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, माननीय हुकुम सिंह जी का भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय नियम-49 में चर्चा के लिये परीक्षण किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप नियमावली का नियम-49 देख लें, इसमें परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अध्यक्ष के विवेक पर है।

(श्री सतीश महाना के पुनः खड़े होने पर)

आगे महाना साहब का महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन सदन व्यवस्थित नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर आये, सही उत्तर आये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, नियमावली में परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

विवेक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरा यह कहना है कि एक विषय प्रश्न के माध्यम से आया।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बैठ गये।)

श्री अम्बिका चौधरी-

आप स्वीकार करें या न स्वीकार करें, यह आपका विवेक हो सकता है, इसमें किसी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। आप उचित समझते हैं या नहीं, इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, इसमें किसी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, कुछ परम्पराओं का भी ख्याल रखें। नियम-49 में दिया गया है चर्चा के लिए, जांच के लिए रोका गया, परीक्षण हुआ दूसरे दिन, तीसरे दिन निर्णय हुआ कि चर्चा स्वीकार की गई और आप कह रहे हैं कि आज ही पत्र दिया है आज ही निर्णय हो जाए। जब आप मेरे विवेक पर भरोसा रख रहे हैं तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप सचिवालय से रिकार्ड मंगाकर देख लें, नियम-49 पर बाद में निर्णय नहीं होता, नियम-49 पर आप स्वीकार करते हैं मान्यवर, यह आपका विवेक है, इसलिए परीक्षण कराने के लिए टालें नहीं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, परम्पराएं रही हैं या नहीं, नियम-49 में आपने पत्र दिया है।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, बहुत लम्बे समय तक हम भी सदन में रहे हैं और परम्पराओं को निभाने वाले भी रहे हैं। चाहे यहां हो चाहे लोक सभा में हों, स्पीकर अपनी चेयर से तुरन्त कह देते हैं कि आधा घण्टे की चर्चा स्वीकार। चाहें तो आप देख लें कि कितनी बार चेयर से ही कह दिया गया और चेयर से वह भी स्थगित करने लायक प्रश्न था, आपने उसे भी स्वीकार नहीं किया। हम लोग एक बार ही कहते हैं, हम सरकार का सम्मान नहीं गिरा सकते और इससे तो सरकार का सम्मान और भी गिरा। आप देख लीजिए चाहे लोकसभा की कार्यवाही मंगा करके देख लें, चाहे किताब पढ़ लें, चेयर स्वयं अपने विवेक से घोषणा कर सकती है। लेकिन बार-बार

किताब-किताब, यहां कोई वकालत नहीं हो रही है। हम सदन चलाना चाहते हैं हम कभी सदन में बाधा डालने वाले नहीं हैं, आप जो निर्देश देंगे हम उसे मानेंगे लेकिन यह कहेंगे कि हम धमकी दे रहे हैं, हमने धमकी नहीं दी, हम आपके सम्मान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन इधर से शुरू करके जब आपने मान लिया तो संसदीय कार्यमंत्री का चेहरा क्यों देख रहे हैं। संसदीय कार्यमंत्री का भी काम है, वह दोनों पक्षों को लेकर चलता है। हम बहुत देख चुके हैं इस सदन में भी और संसद में भी, संसदीय कार्यमंत्री स्वयं पूछ लेते हैं कि क्या दिक्कत है, हम सुन लेंगे। लेकिन हर बात में किताब-किताब, परम्परा और नैतिकता बहुत बड़ी होती है, लोकतंत्र में परम्पराएं और नैतिकता बहुत बड़ी चीज है, यह नियम और संविधान से ऊपर है। इतना गम्भीर मामला है, आप आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार नहीं कर सकते। रोज कहा जाता है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, तो आखिर सरकार चर्चा से क्यों डरती है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, सरकार चर्चा से भाग नहीं रही है। मैंने पहले ही कहा कि आय-व्ययक 2007-08 पर चर्चा हो रही है और आज भी निर्धारित है। कल भी हम लोगों ने चाहा था कि सदन ज्यादा समय तक चले और चर्चा हो लेकिन बीच में सदन कुछ जल्दी उठ गया। जहां तक मान्यवर, नियम-49 का सवाल है नियम में है कि अध्यक्ष किसी ऐसे पर्याप्त लोकमहत्व के विषय पर जो सदन में हाल ही में प्रश्नोत्तर का विषय रहा हो, चर्चा करने के लिए आधे घण्टे का समय निर्धारित कर सकेंगे। यह आपका अधिकार है, चर्चा का जब पर्याप्त अवसर न हो तो चर्चा स्वीकार कर लें। चर्चा का पर्याप्त अवसर है, कोई दूसरी सूचना भी नहीं है। प्रश्नकाल के बाद आय-व्ययक पर चर्चा होगी और आय-व्ययक पर जब चर्चा होगी तो मुश्किल से आधे घण्टे में ऐसा अवसर आ जाएगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है क्योंकि आधे घण्टे में चर्चा का अवसर आ रहा है। जो नियम-49 में चर्चा होती है, उसके लिए दिन निर्धारित है। और केवल दो दिन इसके लिए निर्धारित है नियमों के अनुसार, उसी दो दिन में चर्चा होगी। मान्यवर, आज वह विषय भी नहीं आ पायेगा। मंगलवार और वृहस्पतिवार के दिन सामान्य कार्य के उपरान्त नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा होती है। हमने भी देखा है, मा0 नेता प्रतिपक्ष का बहुत दिनों का अनुभव है, हमने उनसे भी सीखा है। हम लोग भी नियम-49 की चर्चा की मांग करते रहे, बहुत बार स्वीकार कर दिये गये, स्वीकार करने के बाद जब चर्चा का समय आता है तो लोग चर्चा के लिए उपस्थित नहीं रहते हैं, न चर्चा की मांग करने वाले, न ही चर्चा करने वाले क्योंकि सामान्य कार्य के उपरान्त इस पर चर्चा होती है। जब अवसर मिल रहा है निश्चित रूप से हम कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहते। मान्यवर, खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री जी ने जितने प्रश्न हुये हैं उसका जवाब दिया है। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में आपका विवेक है, नियमों के अनुसार 3 दिन पहले सूचना दी जाती है उसके अनुसार मा0 अध्यक्ष अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। आपका विवेक है उसे कोई चुनौती नहीं है। आपका विवेक है, अगर ऐसा पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है यह महसूस करते हैं कि तत्काल आवश्यक है। तत्काल तो चर्चा नहीं होगी, सामान्य कार्य के उपरान्त चर्चा किया जायेगा। आज चर्चा तो नहीं आ

रही है उससे पहले ही चर्चा का अवसर मिल रहा है। दूसरे माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि बजट सत्र है खाद्य एवं रसद विभाग की अनुदान मांग आयेगी, नेता प्रतिपक्ष की सलाह से उस दिन का निर्धारण होता है, उनकी सलाह ली जाती है। जब खाद्य एवं रसद विभाग का दिन निर्धारित होगा तो चर्चा का पर्याप्त अवसर मिलेगा तो इस बात पर मैं नहीं समझता कि यह जिद किस लिये कि नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा करायी जाये। चर्चा का अवसर न हो तो हमें स्वीकार है, हर दृष्टि से स्वीकार है, आपका निर्णय शिरोधार्य है, किसी तरह से कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, निश्चित रूप से विषय बहुत गम्भीर है। काला बाजारी के मिट्टी के तेल की बात आयी। सदन का वातादरण कुछ क्रिया-प्रतिक्रिया ऐसी हो जाती है जिस पर अगर भविष्य में अंकुश लगे जो अप्रिय स्थिति पैदा होती है वह न होने पाये। नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा में आपका विवेक है और आपकी वाणी से मैंने यह महसूस किया है कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करना चाहते हैं। इसलिए चर्चा कब होगी, आप क्या निर्णय लेंगे, यह आपके विवेक के ऊपर छोड़ दिया जाये। परम्परा के अनुसार इस विश्वास के साथ कि आप विपक्ष का पूरा आदर करेंगे। मैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष उपस्थित हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस विश्वास के साथ कि माननीय अध्यक्ष जी हम सबकी भावनाओं का आदर करते हैं, इस स्थिति को समाप्त करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उनके आग्रह पर इसको आपके विवेक पर छोड़ा जाता है। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वह अपने आसन पर आ जायं।

(वेल में बैठे हुये समाजवादी पार्टी के सदस्यगण अपने-अपने आसन पर वापस आ गये।)

(इसी मध्य सत्तापक्ष के किसी सदस्य द्वारा टीका किये जाने पर)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, आप इंगित करें कि घटिया लोग, घटिया बातें न करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण से निवेदन है कि ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी या ऐसी भाषा का प्रयोग न करें कि सदन में कटुता का वातावरण बन जाय। सदन की गरिमा बनाए रखी जाय। यहां पर कई सम्मानित नेता हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, श्री ओम प्रकाश सिंह जी बैठे हैं हुकुम सिंह जी बैठे हैं तिवारी जी हैं उनसे सीखें। सदस्यों से निवेदन है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनसे कटुता बढ़े और सदन की गरिमा गिरे। आपको अगर कुछ कहना है तो उसके लिए तमाम तरीके हैं। आपके शब्दों से अगर किसी को आघात लगेगा तो इससे आपकी लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए फील्ड है सदन में किसी को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग

करेंगे तो इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली नहीं है। हमें वरिष्ठ लोगों का सम्मान करना चाहिए। उनसे सीखने की आदत डालनी चाहिए। सदन को सुव्यवस्थित करने में इस मामले को जिस तरह से श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने हमारे विवेक पर छोड़ा और सदन को व्यवस्थित किया उसके लिए मैं नेता प्रतिपक्ष और ओम प्रकाश सिंह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया।

जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा के गांव दगवा में सीपेज को रोकने हेतु समुचित प्रबन्ध किये जाने विषयक जानकारी

*5-श्री उदय भान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा के गांव दगवा में नहर के सीपेज की वजह से किसानों की फसल नष्ट हो रही है ? यदि हां, तो उसे ठीक करने हेतु क्या कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस दिशा में समुचित प्रबन्ध कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद इलाहाबाद के तहसील बारा में जारी राजवाहा के कि0मी0 1.500 से निरौधा माइनर निकलती है। इस माइनर के कि0मी0 1.00 से 2.80 के अन्तर्गत दगवा गांव की सींच होती है। इस सींच के कि0मी0 1.400 से 2.500 तक भराव सींच होने तथा नहर का सेक्शन मानक से कम होने के कारण आंशिक सीपेज होने लगी है, परन्तु फसल नष्ट होने के बारे में किसानों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

आंशिक सीपेज को रोकने हेतु प्रश्नगत सींच के बैंक डौला का मजबूतीकरण व टो पर काउन्टर वर्म बनाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

अगले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल 2008 में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने की मांग

*6-श्री सतीश महाना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। इसके लिए अलग से नीति बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बांदा को केन नदी की बाढ़ से बचाये जाने हेतु कार्य योजना

*7-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 2007-2008 में केन नदी की बाढ़ से बचाने के लिए तटबन्ध बनाने की कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद बांदा को केन नदी की बाढ़ से बचाने हेतु निम्न लिखित 03 परियोजनायें बनाई गई हैं :-

1-बांदा शहर को केन नदी की बाढ़ से बचाने हेतु मार्जिनल बंध का निर्माण (लागत रु0 726.47 लाख।)

2-निम्न नाले पर आर0सी0सी0 रेगूलेटर तथा मार्जिनल बंध की सुरक्षा के निर्माण कार्य (लागत रु0 529.09 लाख।)

3-बांदा शहर के बाढ़ के पानी को निकालने हेतु पम्प हाऊस का निर्माण (लागत रु0 636.62 लाख।)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में किसानों की फसल की सिंचाई हेतु नहरों को नियमित चलाने तथा नहरों में प्रचुर मात्रा में पानी का उपलब्ध कराया जाना

*8-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में किसानों की फसल की सिंचाई हेतु नहरों को नियमित चलाने तथा इन नहरों में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसको कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

टिहरी डैम के निर्माण के पश्चात 1100 क्यूसेक अतिरिक्त जल आगरा नहर को दिये जाने की योजना है। इस हेतु समानान्तर हिण्डन कट के माध्यम से आगरा नहर की क्षमतावृद्धि की परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

आगरा नहर से जनपद आगरा में किसानों की फसल की सिंचाई हेतु नहरों को नियमित चलाने तथा इन नहरों में प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो जायेगा।

समानान्तर हिण्डन कट परियोजना का कार्य पूर्ण कराकर वर्ष 2009 में आगरा नहर में रबी फसल हेतु अतिरिक्त 1100 क्यूसेक जल उपलब्ध हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की बंद पड़ी चीनी मिलों के विस्तारीकरण, नवीनीकरण व विक्रय की कार्यवाही

*9-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि उ0 प्र0 रा0 ची0 निगम द्वारा संचालित प्रदेश की 23 चीनी मिलें वर्षों से बन्द पड़ी हैं, जिससे प्रदेश के गन्ना किसानों के सामने जीविकोपार्जन की विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन बन्द पड़ी चीनी मिलों के विस्तारीकण, नवीनीकरण या नीलामी का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की केवल 11 चीनी मिलें बन्द चल रही हैं। किसानों के हितों के दृष्टिगत इन चीनी मिलों के क्षेत्र के गन्ने को अन्य कार्यरत निकटवर्ती चीनी मिलों को व्यावर्तित कर दिया गया है।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के विक्रय/निजीकरण करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार अग्रेतर कार्यदाही सुनिश्चित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में गंगा नदी पर स्थित शास्त्री पुल की लागत व टोल टैक्स की वसूली

1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में गंगा नदी पर स्थित शास्त्री पुल की लागत कितनी थी और उससे टोल टैक्स के रूप में अब तक कितना रुपया वसूला जा चुका है ? टोल टैक्स की वसूली कब तक जारी रहेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद इलाहाबाद में रा0मा0 सं0-2 के कि0मी0 214-216 में गंगा नदी पर स्थित शास्त्री पुल की लागत पहुंच मार्ग सहित रु0 1150.72 लाख है। इस सेतु पर वर्ष 2006-07 तक कुल रु0 3442.018 लाख की वसूली हो चुकी है। भारत सरकार के राजपत्र संख्या सा0का0नि0 876 (अ) दिनांक 4 दिसम्बर, 2001 के अनुसार इस सेतु पर टोल टैक्स की वसूली सतत् चलती रहेगी।

जनपद सिद्धार्थनगर में बजहा से कपिलवस्तु तथा बसंतपुर-धनगढवा तक मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने की मांग

2-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर में बजहा से कपिलवस्तु (अलीगढवा) होते हुए बसंतपुर-धनगढवा तक के मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के उस्का बाजार से मोहाने के बीच करछुलिया घाट पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

3-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के उस्का बाजार से मोहाने के बीच करछुलिया घाट पर पड़ने वाला पाइल ब्रिज (लकड़ी) जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो उक्त घाट पर पक्के पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पाइल सेतु काफी पुराना होने के कारण कमजोर हो गया है। पुल की मरम्मत कराकर हल्के वाहनों का आवागमन चालू है।

पक्के पुल का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के महादेवा बाजार की सड़क पर जर्जर लकड़ी के पुल के स्थान पर पक्का पुल बनवाये जाने की मांग

4-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के तेतरी बाजार (सिद्धार्थनगर) से महदेवा बाजार जाने वाली सड़क पर पिठनी घाट का लकड़ी का पुल (पाइल ब्रिज) जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पक्का पुल बनवाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पाइल सेतु पुराना होने के कारण कमजोर हो गया है। पुल की मरम्मत कराकर वाहनों का आवागमन चालू है।

पक्के पुल का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला सिद्धार्थनगर के मोहाना बाजार से लोटन बाजार जाने वाली सड़क हेतु अधिग्रहीत किसानों की भूमि का मुआवजा दिलवाये जाने की मांग

5-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के मोहाना बाजार से लोटन बाजार जाने वाली सड़क हेतु अधिग्रहीत की गयी किसानों की जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किसानों को मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, कुल 59 दावेदारों में से केवल 19 का मुआवजा शेष है। समाचार-पत्र में प्रकाशन के उपरान्त भी इन 19 किसानों के वैध उत्तराधिकारियों द्वारा दावे प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं।

जी हां।

वैध दावेदारों की उपलब्धता पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखनऊ के ओ0सी0आर0 (विधायक निवास-नं0-3) स्थित सर्वेन्ट क्वार्टर नं0 7 व 8 के सामने लगी पानी की टंकियों के ओवर फ्लो को रोका जाय

6-श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ओ0 सी0 आर0 (विधायक निवास नं0-3) लखनऊ स्थित सर्वेन्ट क्वार्टर नं0-7 व 8 के सामने लगी पानी की टंकियों में ओवर फ्लो होकर पानी गिरता रहता है तथा जलभराव होने से संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ओवर फ्लो को रोकने के उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

पानी के ओवर फ्लो रोकने हेतु पानी की टंकियों में फ्लोट वाल्व लगा दिये गये हैं, जिससे पानी की टंकियों से पानी ओवर फ्लो होना बंद हो गया है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत एवं निर्मित मार्गों की स्थिति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पूर्वान्चल विकास निधि के राज्यांश जिलांश से स्वीकृत एवं निर्मित सभी मार्गों की वर्तमान स्थिति के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र

सं0 क-3/270586, 587, 588 दिनांक 03-07-06 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित अपूर्ण तथा पूर्ण कार्यों की स्थिति से माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य को मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-543/पू0वि0नि0/07, दिनांक 25-06-2007 द्वारा अवगत करा दिया गया है। उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

देखिये नत्थी (क) आगे पृष्ट 146 पर)

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में चिलबिला रजवहा-पूरे दयाल से नरहरपुर सतेवर मार्ग निर्माण हेतु आगणन तथा कार्य के निर्माण सम्बन्धी जानकारी

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग प्रतापगढ़ का पत्र संख्या 3459/13 सी/06, दिनांक 11-9-2006 जो विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के मार्ग चिलबिला रजवहा-पूरे दयाल से पूरे फुरमान होते हुए नरहरपुर सतेवर मार्ग निर्माण लम्बाई 2.20 किमी0 की स्वीकृति हेतु आगणन अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़, फतेहपुर वृत्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ में बघला जलाशय में पानी कम होने के कारण बाधित सिंचाई के सुधार हेतु कार्यवाही

9-श्री उदय भान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहायाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ में बघला जलाशय के माध्यम से खेतों की सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी ? यदि हां, तो कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल इस जलाशय से लाभान्वित होता था ? क्या यह भी सच है कि उक्त जलाशय में पानी कम होने के कारण सिंचाई बाधित हो रही है ? यदि हां, तो शासन स्तर से इसके सुधार हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

बाघला टैंक से 1024 हेक्टेयर कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

जी हां। विगत तीन वर्षों से अनावृष्टि के कारण बाघला टैंक को निर्धारित जल स्तर तक नहीं भरा जा पा रहा है, जिसके कारण सिंचाई में कमी आयी है।

सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाघला टैंक पूर्ण रूपेण वर्षा पर निर्भर है। जब क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होगी, तभी जलाशय अपनी पूरी क्षमता से भरा जा सकेगा और क्षेत्र की निर्धारित सिंचाई हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में चौधरी चरण सिंह यमुना पम्प नहर से सिंचित भूमि का विवरण

10-श्री उदय भान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की विधान सभा क्षेत्र बारा की कितनी जमीन की सिंचाई कमला पम्प नहर के माध्यम से की जाती है ? क्या यह सच है कि सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र का मात्र 40% हिस्सा ही नहरों के माध्यम से सिंचित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कुल कितने हेक्टेयर खेतों की सिंचाई की गई है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कमला पम्प नहर का वर्तमान नाम चौधरी चरण सिंह यमुना पम्प नहर है। इस नहर प्रणाली से कुल 20089 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है।

जी नहीं। इस नहर प्रणाली से कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र का 59.4 प्रतिशत सिंचित होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

इस नहर प्रणाली से खरीफ में 9328 हेक्टेयर तथा रबी में 10761 हेक्टेयर, कुल 20089 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है।

ड्रेनेज मण्डल अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर के निर्माण में हुये एग्रीमेन्ट के अनुसार कार्यवाही

11-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज मंडल अलीगढ़ और उसके अन्तर्गत आने वाले खण्डों में वर्ष 2005-06 और 2006-07 में निर्माण कार्यों के कितने रुपये की एग्रीमेन्ट किये गये हैं, उनमें से कितने कार्य ऐसे हैं जिन पर शासन द्वारा आवंटित धन से अधिक के अनुबंध किये गये हैं ? क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़ के अन्तर्गत क्रमशः बुलन्दशहर खण्ड गंगा नहर, बुलन्दशहर के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में रु0 2897.75 लाख एवं वर्ष 2006-07 में रु0 4903.00 लाख,

अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ में वर्ष 2005-06 में रु0 917.66 लाख तथा वर्ष 2006-07 में रु0 4916.83 लाख तथा सिंखई खण्ड, फिरोजाबाद में वर्ष 2005-06 में रु0 165.11 लाख एवं वर्ष 2006-07 में 63.04 लाख धनराशि के एग्रीमेन्ट किये गये, अर्थात् मण्डल के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में कुल 3980.52 लाख तथा वर्ष 2006-07 में कुल रु0 9882.87 लाख के एग्रीमेन्ट गठित किये गये।

उपरोक्त सभी कार्य तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कराये गये हैं।

इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के मलावन रजबहा के जल परिवहन क्षमता को बढ़ाने की मांग

12-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 31-5-07 जो जिलाधिकारी, मैनपुरी को सम्बोधित है जिसमें मलावन रजवाहा मैनपुरी की सफाई न होने एवं लगभग 10-12 वर्षों से पानी न आने के कारण किसानों को भारी नुकसान होने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मलावन राजवाहे के जल परिवहन क्षमता को बढ़ाने की योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में वर्ष 2007-08 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त यमुना नदी पर चिल्ला ललौली के बीच पक्के पुल के निर्माण की मांग

13-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में यमुना नदी पर चिल्ला ललौली के बीच पक्के पुल के निर्माण के लिए वर्ष 2007-08 में वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो पुल का निर्माण कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृत बांदा पैलानी मार्ग से कुकुवा खास अमलोर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

14-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वित्तीय वर्ष 2007-08 में आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत बांदा पैलानी मार्ग से कुकुवा खास अमलोर सम्पर्क मार्ग की

स्वीकृति निर्गत हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

15-डा0 अजय तोमर-

[2सरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत की रमाला चीनी मिल में बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

16-डा0 अजय तोमर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों में बिजली उत्पादन करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो रमाला सहकारी चीनी मिल बागपत में बिजली उत्पादन का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रदेश में स्थापित होने वाली नई एवं विस्तारीकृत होने वाली चीनी मिलों में को-जनरेशन के माध्यम से बिजली उत्पादन एक महत्वपूर्ण अंग है।

सहकारी क्षेत्र की रमाला चीनी मिल जनपद बागपत में को-जनरेशन परियोजना स्थापित किया जाना विचाराधीन नहीं है। क्योंकि रमाला चीनी मिल के आस-पास निजी क्षेत्र में कई नई चीनी मिलें स्थापित हो जाने एवं चीनी मिलों की क्षमता बढ़ जाने से गन्ने की उपलब्धता में अनिश्चितता उत्पन्न हो गयी है।

जनपद हाथरस में सिकन्दराराऊ रजबाहा की पुनर्स्थापना व सफाई के लिये आवंटित धनराशि की जानकारी व टेल तक पानी न पहुंचने की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

17-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में जनपद हाथरस में सिकन्दराराऊ रजवाहा की पुनर्स्थापना व सफाई के लिए कितना धन आवंटित हुआ ? क्या उक्त आवंटित धनराशि के सापेक्ष सिकन्दराराऊ रजवाहा की माइनर भदवास व कचौरा की समुचित सफाई की गयी ? यदि हां, तो टेल तक पानी न पहुंचाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सिकन्दराराऊ रजवाहा प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना हेतु वर्ष 2005-06 में रु0 238.95 लाख की धनराशि आवंटित हुयी।

परियोजना के अनुसार सिकन्दराराऊ की भदवास एवं कचौरा माइनरों की क्षमता पुनर्स्थापना का कार्य करा दिया गया है।

टेल तक पानी पहुंचा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के जिलों में असिंचित भूमि हेतु राजकीय नलकूप एवं लघु डाल नहर बनाये जाने की योजना

18-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी एवं चित्रकूट मण्डल के जिलों में कुल कितनी भूमि सिंचाई योग्य है ? क्या यह सही है कि उक्त मण्डलों में अधिकतर भूमि असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मण्डलों हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में नये राजकीय नलकूप एवं लघु डाल नहर बनाने की कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2004-05 के आंकड़ों के अनुसार राजस्व मण्डल झांसी में 9.69 लाख हेक्टेयर तथा चित्रकूटधाम मण्डल में 10.64 लाख हेक्टेयर, कुल 20.33 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य है।

वर्ष 2004-05 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 50 प्रतिशत भूमि असिंचित है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में नेय राजकीय नलकूप बनाने की कार्य योजना बनाई गई है। नई लघु डाल नहर बनाने की कोई कार्य योजना अभी नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में राजस्व मण्डल झांसी में 12 तथा राजस्व मण्डल चित्रकूटधाम में 74 राजकीय नलकूप लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में बांदा-हमीरपुर राजमार्ग की टी0 ए0 सी0 जांच कराकर मानक के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने की मांग

19-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में बांदा-हमीरपुर राजमार्ग का निर्माण बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2005-2006 से चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य की प्रगति क्या है ? क्या उक्त कार्य मानक के विपरीत कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी0ए0सी0 जांच कराकर मानक के अनुसार निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बांदा में बांदा-हमीरपुर राजमार्ग के नाम से कोई मार्ग नहीं है, अपितु बांदा से पपरेन्दा (राजमार्ग संख्या-13) है तथा पपरेन्दा से पैलानी-जसपुरा-सुमेरपुर-हमीरपुर मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगति में है।

जनपद बांदा के अन्तर्गत उपर्युक्त मार्ग के भाग में 15.00 कि0 मी0 में पी0 सी0 स्तर तक 8.00 कि0 मी0 में प्रथम लेपन स्तर तक एवं 4.00 कि0मी0 में टाप कोट स्तर तक तथा 6.00 कि0मी0 में चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण है तथा 3.00 कि0 मी0 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में अछरौड़ मरौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण

20-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 2003-04 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) द्वारा अछरौड़ मरौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराया गया है जो वर्ष 2005-06 में पूर्ण हुआ है तथा निर्माण कार्य अधोमानक होने के कारण सम्पूर्ण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी कार्यदायी संस्था को दण्डित कर मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बांदा में अछरौड़ मरौली सम्पर्क मार्ग वर्ष 2003-04 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) से स्वीकृत हुआ था और वर्ष 2004-05 में मानक के अनुरूप पूर्ण हो गया था। यह मार्ग ग्रामीण मार्ग के रूप में सामान्य यातायात हेतु निर्मित किया गया था। मार्ग के समीप में ही केन नदी पर बालू घाट चालू हो जाने के कारण 30-40 टन भार के ट्रक गुजरने एवं मार्ग के 1.30 कि0 मी0 लम्बाई का भाग वर्षा काल में एक सप्ताह तक लगातार जलमग्न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है।

जांच की आवश्यकता नहीं है। मार्ग का सुधार कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में केन नदी से ग्राम पैलानी सिन्धनकला, खप्टिहा, तारा खजुरी मदनपुर को बचाने के लिये तटबन्ध बनाकर पीचिंग कार्य कराये जाने की मांग

21-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में केन नदी से ग्राम पैलानी सिन्धनकला, खप्टिहा कला, तारा खजुरी मदनपुर को बचाने के लिए तटबन्ध बनाकर पीचिंग कराने की कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम पैलानी सिन्धनकला, खप्टिहा कला, तारा खजुरी को केन नदी की बाढ़ से बचाने के लिये तटबंध बनाने की योजना मितव्ययी नहीं पायी गयी है। गांव मदनपुर जो यमुना नदी के तट पर स्थित है, के लिये एक योजना बनाई गई है।

निर्धारित प्रक्रिया अनुसार स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

22-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[2सरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0 19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

स्व0 राम किशन पुत्र श्री मैकू लाल निवासी किन्हावर जनपद मैनपुरी की पत्नी श्रीमती राम प्यारी को पुनरीक्षित वेतन का भुगतान

23-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 राम किशन पुत्र श्री मैकूलाल नि0 किन्हावर, पो0 किन्हावर, जनपद मैनपुरी की पत्नी राम प्यारी को हाई कोर्ट का दिनांक 1-1-86 से पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान करने का आदेश नलकूप खण्ड प्रथम इटावा को हुआ था ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का निर्णय दिनांक 16-5-2003 प्राप्त हुआ था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थ नगर में मदरहवा अशोगवा से मोहचोरवा घाट तक बायें तटबंध के निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु स्वीकृत हुई धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

24-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में अशोगवा से मदरहवां होते हुए मोहचोरवा घाट तक बूढ़ी राप्ती के बायें तट पर बन्धे के निर्माण एवं उच्चीकरण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद सिद्धार्थनगर में मदरहवा अशोगवा से मोहचोरवा घाट तक बायें तट पर नहीं बल्कि दांयें तट पर दो तटबंधों, मदरहवा अशोगवा तटबंध के उच्चीकरण एवं छगड़िहवा सोनवरसा तटबंध का निर्माण जो मोहचोरवा घाट हो कर जाता है, के निर्माण हेतु क्रमशः रु0 378.92 लाख एवं 461.35 लाख की स्वीकृति हुई थी, इस सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था को किया जा चुका है।

जनपद सिद्धार्थनगर के अशोगवा मदरहवा बांध से मोहचोरवा घाट तक स्वीकृत रेगुलेटर एवं उनका मूल्य

25-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अशोगवा मदरहवां होते हुए ग्राम मोहचोरवा घाट तक बने बन्धे पर कुल कितने रेगुलेटर स्वीकृत हुए थे, उसमें प्रत्येक की लागत क्या थी तथा अब तक उसमें कितने रेगुलेटर बनाये जा चुके हैं ? क्या सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद सिद्धार्थनगर के अशोगवा मदरहवा बांध से मोहचोरवा घाट तक कुल 5 अदद रेगुलेटर स्वीकृत हैं जिसमें अशोगवा मदरहवा बांध पर 1 अदद रेगुलेटर लागत रु0 70.08 लाख तथा छगड़िहवा सोनबरसा बांध पर 4 अदद रेगुलेटर जिसकी लागत क्रमशः रु0 17.89, 24.27, 24.27 व 18.49 लाख है। इस प्रकार 5 अदद रेगुलेटर बनाये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत छोटी गंण्डक के किनारे हरपुर बिन्दवलिया गांव को बाढ़ से बचाने हेतु ठोकर बनवाये जाने की मांग

26-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के अन्तर्गत छोटी गण्डक के किनारे हरपुर बिन्दवलिया गांव को बाढ़ से खतरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिन्दवलिया गांव को बाढ़ से बचाने के लिए ठोकर बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

विभाग की नीति के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के छोटी गण्डक पर बैकुण्ठपुर के पास बने पुल के दोनों तरफ अधूरे एप्रोच मार्ग का निर्माण एवं किसानों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग

27-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के छोटी गण्डक पर बैकुण्ठपुर के पास पुल बनकर तैयार हो चुका है, परन्तु पुल के दोनों तरफ एप्रोच मार्ग अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त पुल के दोनों तरफ किसानों के खेतों का मुआवजा देते हुए एप्रोच मार्ग का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, सेतु निर्माण कार्य पूर्ण है।

पहुंच मार्ग के दोनों तरफ 110-110 मीटर लम्बाई में मिट्टी का कार्य कराया जा चुका है तथा कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी है।

सेतु के अतिरिक्त पहुंच मार्ग लम्बाई 1.665 कि0 मी0 एवं भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में छोटी गण्डक पर महुआरन घाट पर बने पुल का टोल टैक्स समाप्त किये जाने की मांग

28-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में छोटी गण्डक पर महुआरन घाट पर बने पुल का टोल टैक्स कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2009-10 तक सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में छोटी गण्डक कैथवलिया, सबवर, बसन्तपुर धुसी के बीच पीपे का पुल बनाये जाने की योजना की जानकारी

29-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में छोटी गण्डक कैथवलिया, सबवर, बसन्तपुर धुसी के बीच पीपे का पुल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पीपे का पुल कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के मदरापाली बुलाकी विकास खण्ड रामपुर कारखाना में सड़क निर्माण का नियमानुसार निर्माण कार्य

30-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में वर्ष 2005-06 घटैला, चेटी, विकास खण्ड देवरिया एवं मदरापाली बुलाकी विकास खण्ड रामपुर कारखाना में हाटमिक्स प्लान्ट से सड़क बनाने का प्रस्ताव दिया गया था ? यदि हां, तो घटैला चेटी में 1000 मीटर के स्थान पर 1300 मीटर सड़क का प्राक्कलन अवर अभियन्ता द्वारा बनाया गया है ? यदि हां, तो

उक्त प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मदरापाली बुलाकी गांव में हरिजन बस्ती तक सड़क कब तक बना दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं, अपितु प्राकलन वास्तविक लम्बाई 1300 मी0 का बनाया गया था, किन्तु 300 मी0 की लम्बाई में भूमि सम्बन्धी व्यवधान होने के कारण 1.00 कि0मी0 में मार्ग का निर्माण कराया गया है। अतः प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कार्य पूर्ण है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के ड्रेनेज खण्ड में वर्ष 2006-07 में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

31-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-सिद्धार्थनगर के ड्रेनेज खण्ड में वित्तीय वर्ष 2006-07 में कौन-कौन कार्य स्वीकृत हुए तथा प्रत्येक कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि अवमुक्त की गई ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन कार्य पूर्ण हुये तथा कौन-कौन अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल 03 परियोजनायें स्वीकृत हुईं :-

1-कूड़ा घोघी तटबंध के कि0 मी0 16.35 पर ग्राम परसपुर पर कटाव निरोधक कार्य हेतु रु0 165.00 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी।

2-कूड़ा घोघी तटबंध के कि0मी0 19.00 ग्राम महुआ पर कटाव निरोधक कार्य हेतु रु0 70.00 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी।

3-सेवरहवा नाले की पुनरोद्धार की परियोजना हेतु रु0 77.31 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी।

परसपुर कटाव निरोधक कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण है। महुआ कटाव निरोधक कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण। सेवरहवा नाले का कार्य 15.00 कि0 मी0 के विरुद्ध 14.90 कि0 मी0 कार्य पूर्ण हो चुका है। इन तीनों परियोजनाओं को दिसम्बर, 2007 तक पूर्ण कराये जाने का कार्यक्रम है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में बानगंगा से निकलने वाली नहरों के टेल तक पानी का पहुंचाना

32-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-सिद्धार्थनगर में बानगंगा से निकलने वाली सभी छोटी-छोटी नहरों के टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। जनपद सिद्धार्थनगर में बानगंगा नहर प्रणाली पूर्णतया वर्षा पर निर्भर है इस वर्ष अभी तक वर्षा न होने के कारण बैराज में पूर्ण क्षमता तक जल उपलब्ध नहीं है, फिर भी कृषकों की विशेष मांग के कारण दिनांक 17-06-07 से नहरें चला दी गयी हैं। दिनांक 21-06-07 तक नहरों की टेल तक पानी पहुंच चुका है। शेष 13 नहरों पर बैराज की गेज पूर्ण होने पर तुरन्त नहरें चला कर सभी नहरों के टेलों पर पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ व बांसी में ब्लाकवार लगे खराब ट्यूबवेलों को चलाने व नालियों की मरम्मत कराया जाना

33-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ व बाँसी में कुल ब्लाकवार कितने ट्यूबवेल लगे हैं, उन ट्यूबवेलों में कितने खराब हैं तथा कितने चालू हालत में हैं ? क्या सरकार खराब ट्यूबवेलों को चलाने तथा ट्यूबवेलों की नालियों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नर्सीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-सिद्धार्थनगर की तहसील नौगढ़ व बांसी में ब्लाकवार लगे 212 ट्यूबवेलों का विवरण निम्नवत् है :-

तहसील नौगढ के अन्तर्गत ब्लाक का नाम	नलकूपों की संख्या
(1) नौगढ़	19
(2) उसका	19
(3) लोटन	54
(4) जोगिया	08
(5) वर्डपुर	04
योगः-	104

तहसील बांसी के अन्तर्गत ब्लाक का नाम	नलकूपों की संख्या
(1) बांसी	26
(2) मिठवल	43
(3) खेसरहा	39
योगः-	108

दिनांक 21-06-07 की बंदी सूचना के आधार पर 212 चलित नलकूपों में से तहसील नौगढ़ में 09 नलकूप तथा तहसील बांसी में 05 नलकूप, कुल 14 नलकूप खराब हैं, जिसमें

05 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 09 नलकूप विद्युत दोष से बन्द हैं। शेष 198 नलकूप चालू हालत में हैं।

जी हां

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में पटखोली से अजगरा तक के किसानों को सोनखर-गायघाट बांध का मुआवजा दिये जाने की मांग

34-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-सिद्धार्थनगर में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सोनखर-गायघाट बांध का मुआवजा पटखौली से अजगरा तक के किसानों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सोनखर-गायघाट नामक तटबन्ध नहीं है, अपितु राप्ती नदी पर भवारी गतपधार अजगरा तटबन्ध निर्मित है, जिसमें 12 ग्रामों के कृषकों की भूमि ली गई है। 12 ग्रामों में से 5 ग्रामों के कृषकों को भू-प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है।

धनावंटन न हो पाने के कारण।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में भू-प्रतिकर के भुगतान हेतु बजट व्यवस्था करायी गई है। अतः शेष 7 ग्रामों के कृषकों को भू-प्रतिकर का भुगतान यथाशीघ्र करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा चित्रकूट धाम मण्डल में वैधानिक ढंग से कराये गये स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

35-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल के जनपदों में उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गत वर्ष से किसानों की भूमि व गांव सभा की जमीनों पर बिना राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज कराये एवं बिना टेण्डर कराये पेटी कान्टेक्टरों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम कार्य कराये जाने हेतु एक कार्यदायी संस्था है। उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है।

उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण सामग्री विभागीय स्तर पर खरीद कर मात्रानुपाती कर्मकार (पी0आर0डब्लू0) के माध्यम से कार्य कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में बुन्देलखण्ड विकास पैकेज के अन्तर्गत बांदा-पपरेन्दा, पैलानी जसपुरा सुमेरपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य मानक के विपरीत कराये जाने की जांच की मांग

36-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बांदा में वर्ष 2005-2006 में बुन्देलखण्ड विकास पैकेज के अन्तर्गत बांदा-पपरेन्दा, पैलानी जसपुरा सुमेरपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 1375.78 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो सरकार समय से कार्य पूर्ण न कराने तथा मानक के विपरीत कार्य कराने की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कार्य मानक के अनुसार किया जा रहा है तथा कार्य को मार्च, 2008 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा में यमुना नदी एवं केन नदी पर पम्प नहर निर्माण सम्बन्धी सर्वे

37-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बांदा में यमुना नदी एवं केन नदी पर सिंचाई हेतु पम्प नहर निर्माण कराने सम्बन्धी वर्ष 2007-08 में शासन से सर्वे कराने के आदेश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सर्वे कब तक पूरा कराकर निर्माण कार्य चालू कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

सर्वे समयसाध्य कार्य है, जिसे यथा शीघ्र पूरा कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर के तरंग रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग

38-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोरखपुर महानगर के तरंग रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा तथा कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में स्वीकृत सूर्य कुण्ड रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने की मांग

39-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में सूर्य कुण्ड रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु स्वीकृत है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में स्वीकृत चार फाटक रेलवे क्रासिंग उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण कराये जाने की मांग

40-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में स्वीकृत चार फाटक रेलवे क्रासिंग उपरिगामी सेतु का निर्माण स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरिगामी सेतु स्वीकृत नहीं है।

जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र जलेसर के प्रमुख रजबाहों नूंह रजबाहा, पिलखतरा रजबाहा आदि कतिपय रजबाहों और माइनर की सफाई व टेल तक पानी पहुंचाये जाने की मांग

41-श्री कुवेर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जलेसर जनपद एटा के प्रमुख रजवाहा-नूंह रजवाहा, पिलखतरा रजवाहा, सकरौली रजवाहा, सोखावली रजवाहा तथा गोथआ माइनर की नियमित सफाई न होने के कारण टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजवाहों की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। वर्ष 2006-07 में रबी 1414 फसली से पूर्व प्रश्नगत रजवाहों एवं माइनर पर सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की बेटियों की शादी हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धनराशि की जानकारी

42-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की बेटियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता देने का कोई निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो यह निर्णय कब से लागू होगा और सरकार कितनी धनराशि की आर्थिक सहायता करेगी ?

अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू)-

राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/गरीब अभिभावकों की पुत्री के विवाह के लिये धनराशि रुपया 10,000/- देने की योजना वर्ष 2007-08 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद सुल्तानपुर में अमेठी बाई पास के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

43-श्रीमती अमिता सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर में अमेठी बाई पास के निर्माण की घोषणा तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा तीन वर्ष पूर्व की गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त बाई पास का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर में सुन्दरपुर ड्रेन की सफाई एवं खुदाई कराये जाने की मांग

44-श्रीमती अमिता सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सुल्तानपुर में सुन्दरपुर ड्रेन की सफाई एवं खुदाई न होने से अमेठी क्षेत्र के अन्तर्गत कृषकों की फसल डूबकर खराब हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की सफाई एवं खुदाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-96, फैजाबाद-इलाहाबाद पर दुर्गापुर से छीड़ा, विकास खण्ड-भादर, अमेठी जनपद सुल्तानपुर के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

45-श्रीमती अमिता सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राज मार्ग-96, फैजाबाद-इलाहाबाद मार्ग पर दुर्गापुर से छीड़ा, वि0खं0-भादर, अमेठी जनपद-सुल्तानपुर में 6 कि0मी0 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया गया किन्तु एक वर्ष के भीतर उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त मार्ग की मरम्मत माह सितम्बर, 2007 तक करा दिये जाने का प्रस्ताव है।

उ0 प्र0 की ग्राम सभाओं में सभी पात्र व्यक्तियों को बी0 पी0 एल0 कार्ड का उपलब्ध कराया जाना

46-श्रीमती अमिता सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 की ग्राम सभाओं में बी0पी0एल0 कार्ड बनाने हेतु जो संख्या निर्धारित की गई है, गांवों में उससे अधिक संख्या में पात्र व्यक्ति मौजूद हैं ? निर्धारित संख्या कम होने के कारण कई पात्र व्यक्ति बी0पी0एल0 कार्ड से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो शासन की मंशानुसार सभी पात्र व्यक्ति को बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध कराने हेतु शासन स्तर पर क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां। प्रदेश हेतु भारत सरकार द्वारा बी0 पी0 एल0 परिवारों की संख्या 106.79 लाख निर्धारित की गयी है, जिसमें 40.945 लाख लाभार्थी अन्त्योदय योजना के सम्मिलित हैं। उक्त संख्या प्रदेश के सभी जनपदों को आवंटित कर दी गयी है। भारत सरकार से लक्ष्य निर्धारित होने के कारण सभी पात्र व्यक्तियों को बी0 पी0 एल0 कार्ड दिया जा सका है।

पात्र व्यक्तियों को बी0 पी0 एल0 कार्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार से अतिरिक्त बी0 पी0 एल0 लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया जाता रहा है, परन्तु भारत सरकार ने लक्ष्य बढ़ाने में असहमति व्यक्त की है।

जनपद इलाहाबाद की ग्राम सभा नीबी, बारा में कमला पम्प नहर हेतु कृषकों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

47-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा नीबी, बारा, जनपद-इलाहाबाद में कमला पम्प नहर हेतु कृषकों की अधिग्रहीत जमीनों का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो मुआवजा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कुल प्रभावित 75 काश्तकारों में से 71 काश्तकारों को भू-प्रतिकर वितरित किया जा चुका है। शेष 4 काश्तकारों के भू-प्रतिकर के भुगतान के लिये बैंक ड्राफ्ट तैयार करा लिया गया है।

दिनांक 03-06-06 से 05-08-06 के मध्य वितरित किया गया है। मुआवजा वितरण हेतु शेष चार कृषकों को नोटिस दिनांक 08-12-06 भेजते हुए मुआवजा प्राप्त करने के लिए दिनांक 19-12-06 की तिथि निर्धारित की गई, परन्तु कोई काश्तकार निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुआ। इन कृषकों को भी शीघ्र मुआवजा वितरित किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कोधियारा के गांव आम्बा, ओसा, देवरा में नहर की टेल तक पानी न आने के कारण टोंस नदी पर पम्प हाऊस स्थापित किये जाने की योजना

48-श्री उदय भान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-इलाहाबाद के विकास खण्ड कोधियारा के गांव आम्बा, ओसा, देवरा इत्यादि नहर की टेल में पानी न आने के कारण सिंचाई से वंचित रह जाते हैं ? क्या उपरोक्त क्षेत्र की सिंचाई हेतु टोंस नदी पर पम्प हाऊस स्थापित कर सिंचाई करने की योजना पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। वर्तमान में विकास खण्ड कोधियारा के अन्तर्गत आने वाले गांव आम्बा, औसा, देवरा इत्यादि ग्रामों में रबी में पर्याप्त सींच तथा खरीफ में आंशिक सींच होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में निर्मित धर्मशाला ओवर ब्रिज की गुणवत्ता की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

49-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर महानगर में निर्मित धर्मशाला ओवरब्रिज में दो स्थानों पर धसान हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार इस ओवरब्रिज की गुणवत्ता की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए धसान की मरम्मत करायेगी। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

ओवरब्रिज की गुणवत्ता की जांच हेतु आदेश किया जा चुका है तथा क्षतिग्रस्त भाग को सुधार दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना में आवंटित आवासीय भूखण्डों की रजिस्ट्री कराकर कब्जा दिलाये जाने सम्बन्धी जानकारी

50-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर आई एवं जे के 115 आवासीय भूखण्डों का आवंटन लाटरी के माध्यम से दिनांक 31-8-2004 को किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण और लखनऊ नगर निगम के मध्य विवादित हो जाने के करण अभी तक भूखण्डों की रजिस्ट्री कर कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो शासन स्तर से भूमि पर उत्पन्न विवाद को समाप्त कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? भूखण्डों का कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा 3.718 हेक्टेयर ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव दिनांक 22-04-06 को राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया है। अवशेष विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से समन्वय स्थापित कर प्रकरण को निस्तारित किये जाने हेतु दिनांक 31-05-07 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ से अनुरोध किया गया है।

विवाद समाप्त होने के उपरान्त कब्जा आदि दिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम उमरा-नचरौला-संग्रामगंज के मध्य पाती नाले पर व लवेदा नचरौला के मध्य पुल निर्माण की मांग

51-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में पाती नाले पर ग्राम उमारा नचरौला-संग्रामगंज के मध्य सवेदा नवरौला के मध्य विभारपुर, धमसार के मध्य पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम उमरा-नचरौला-संग्रामगंज के मध्य पाती नाले पर लघु सेतु का निर्माण का औचित्य नहीं पाया गया है क्योंकि मार्ग लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

ग्राम लवेदा-नचरौला के मध्य एवं ग्राम विभारपुर-धमसार के मध्य पाती नाले पर अपस्ट्रीम में लगभग 2-2 कि0मी0 की दूरी पर दो लघु सेतुओं का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ में सिंचाई विभाग में 20 वर्षों से कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण किये जाने की मांग

52-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी लगभग 20 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किसी अन्य जिले में किया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। कतिपय कर्मचारी तैनात हैं।

कार्मिक विभाग की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2007-08 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत आखोप माइनर से निकली सड़क के निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

53-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलिया के विकास खण्ड सीयर अन्तर्गत अखोप माइनर से निकली सड़क जो ग्राम-तरछापार होते हुए सोनाडीह मार्ग तक मिल रही है, को पिच कराने का आदेश वर्ष 2003 व 2004-05 में हुआ था और सड़क पर थोड़ा कार्य कराकर वर्तमान समय में अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो अधोमानक कार्य की टी0ए0सी0 जांच तथा अधूरे कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की सुदामा कन्सट्रक्शन द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की जांच

54-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-बलिया की सुदामा कन्सट्रक्शन द्वारा वर्ष 2006-07 में सड़कों के निर्माण में अवैध रूप से अनधिकृत लोगों को निर्माण निगम, बलिया के अधिकारियों द्वारा भुगतान कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के संलग्न-पत्र के साथ दिनांक 8-6-07 को भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रकरण में जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की टिकैत राय कालोनी में वृक्षारोपण न कराकर सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच

55-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2006 में लखनऊ में वृक्षारोपण कराया गया था ? क्या यह सही है कि टिकैतराय एल0डी0ए0 कालोनी, लखनऊ में वृक्षारोपण न कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं, लखनऊ विकास प्राधिकरण की टिकैत राय कालोनी में वर्ष 2006 में कुल 1550 पेड़ों का वृक्षारोपण कराया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में आगरा-ग्वालियर राजमार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण व दोनों ओर जल निकासी का कार्य कराये जाने की मांग

56-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर में आगरा-ग्वालियर राजमार्ग पर सड़क क्षतिग्रस्त होने तथा दोनों ओर पानी की निकासी न होने के कारण जनता को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) का है, जिसकी मरम्मत उनके द्वारा की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में आगरा-तांतपुर राजमार्ग पर खेरिया मोड़ से धनौली तक जल निकासी हेतु सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण की मांग

57-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद में आगरा-तांतपुर राजमार्ग पर खेरिया मोड़ से धनौली तक क्षतिग्रस्त सड़क तथा सड़क के दोनों ओर जल निकासी न होने के

कारण लोगों के घरों में वर्षा के समय में पानी भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल निकासी हेतु सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है।

चूंकि प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम आगरा के अन्तर्गत आता है, अतः जल निकासी एवं नाले आदि का निर्माण कराया जाना नगर निगम आगरा से सम्बन्धित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में कोटण्डा माइनर, मुकुन्दपुर माइनर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत टेल तक पानी पहुंचाना

58-डा0 पी0 के0 राय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तमकुहीराज कुशीनगर में कोटण्डा माइनर, कोटण्डा रजवाहा, बहादुरपुर पथरवा, मुकुन्दपुर माइनर के टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है जिससे किसानों को सिंचाई करने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। प्रश्नगत सभी नहरें भगवानपुर रजवाहा से निकली हैं। वर्तमान समय में यह मुख्य रजवाहा कई स्थानों पर सिल्ट से पटा है जिसके कारण यह नहरें अपनी क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत पानी ले पा रही हैं जिसके कारण इन नहरों की टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

जी हां। भगवानपुर रजवाहा का कुल कार्य, अनुमानित लागत रु0 15.00 लाख की मशीनों के माध्यम से तथा कोटण्डा (कोटवा) माइनर, कोटण्डा रजवाहा, बहादुरपुर रजवाहा, मुकुन्दपुर माइनर तथा पयरवा माइनर हेतु अनुमानित लागत रु0 10.00 लाख का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत किया जाना प्रसतावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नहर की क्षतिग्रस्त पक्की पटरियों की मरम्मत हेतु परियोजना

59-डा0 पी0 के0 राय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नहर की पक्की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिससे जगह-जगह नहर टूटने की संभावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पटरियों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

तहसील तमकुहीराज जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नहर की पक्की पटरियां आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, किन्तु इससे मुख्य नहर के टूटने की कोई सम्भावना नहीं है।

जी हां। क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत के लिये सर्वेक्षण कराके आवश्यक परियोजना बनाई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज में बड़ी गण्डक नहर के मंझरिया स्केप का पेटा गहरा करके बांसी नदी में जोड़ने की कार्यवाही किये जाने की मांग

60-डा0 पी0 के0 राय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तमकुहीराज जनपद-कुशीनगर में बड़ी गण्डक नहर के मंझरिया स्केप का पेटा भर जाने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होने से बरबाद होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका पेटा गहरा करके बांसी नदी में जोड़ने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। तहसील तमकुही राज जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नहर के कि0मी0 115.400 बांयी पटरी से मंझरिया स्केप निकलती है। इसका परिकल्पित डिस्चार्ज 4000 क्यूसेक है जबकि वर्तमान में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण इसकी वास्तविक क्षमता लगभग 1600 क्यूसेक रह गयी है। यह स्केप साधारणतया आवश्यकता पड़ने पर 500 क्यूसेक से कम क्षमता पर चलाया जाता है। अतः इसमें कम पानी चलने के कारण फसल जलमग्न नहीं होनी चाहिये।

मंझरिया स्केप के पेटा सफाई के कार्य की परियोजना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुही में वी0 पी0 एवं अन्त्योदय कार्ड के वितरण में कथित अनियमितता की जांच

61-डा0 पी0 के0 राय-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील तमकुही राज जनपद कुशीनगर के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है ? क्या यह सही है कि इस श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों की संख्या के अनुरूप कार्डों की स्वीकृत संख्या में भारी अन्तर हैं एवं अपात्रों को कार्ड वितरण किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर पात्रों को कार्ड उपलब्ध कराकर इसकी संख्या को बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

चूंकि भारत सरकार से लाभार्थियों की संख्या निर्धारित है। अतः संख्या बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है। समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर राशन कार्डों का सत्यापन कराया जाता है तथा अपात्र कार्ड धारक पाये जाने पर कार्डों को निरस्त कर पात्र व्यक्तियों को कार्ड देने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के रामपुर बलडीहा में शराब की खोली गई दुकान की दूरी की वैधता

62-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शराब की मूल प्रस्तावित दुकान से उप दुकान खोलने के लिये यह जरूरी है कि प्रस्तावित उप दुकान तीन किलोमीटर के अन्दर होनी चाहिये ? यदि हां, तो महराजगंज जनपद के रामपुर बलडीहा जो मूल दुकान परसौनी बु0 से 5 कि0मी0 से अधिक दूरी पर खोलने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी इस अवैध दुकान को तत्काल बन्द कराकर जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

महराजगंज जनपद के रामपुर बलडीहा जो मूल दुकान परसौनी बु0 से 04 किलोमीटर दूरी पर न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर उप दुकान खोली गई है। इस उप दुकान व मूल दुकान के मध्य कोई अन्य देशी मदिरा की दुकान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2005-06 में मुख्य मंत्री की घोषणानुसार झांसी विधान सभा के क्षेत्र सिमराहा से श्रीनगर तक सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

63-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-06 में शासन द्वारा मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार झांसी विधान सभा क्षेत्र के सिमराहा से श्रीनगर तक 5 किमी0 सड़क का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

ग्राम सिमराहा को ग्राम श्रीनगर से जोड़ने वाले मार्ग की वास्तविक लम्बाई 4.00 कि0मी0 है। मार्ग का 1.200 कि0मी0 लम्बाई का भाग वन क्षेत्र में पड़ता है, जिसके कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध है।

वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्राप्त होने के उपरान्त ही उक्त अवशेष लम्बाई में निर्माण कार्य पूर्ण कराना सम्भव हो सकेगा।

64-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज व बहेड़ी में गेहूं व चावल तथा मिट्टी के तेल की काला बाजारी रोकने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

65-श्री सुल्तान बेग-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज व तहसील बहेड़ी में बी0पी0एल0 का गेहूं व चावल तथा मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-5-2007 प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी नहीं। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-5-2007 प्राप्त हुआ है।

शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच जिला पूर्ति अधिकारी, बरेली, उप जिलाधिकारी मीरगंज एवं बहेड़ी से करायी गयी। जांचोपरान्त शिकायत निराधार एवं असत्य पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की तहसील व थाना मीरगंज के ग्राम सिरोधी अंगदपुर में कच्ची शराब बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

66-श्री सुल्तान बेग-

क्या आबकारी मंत्री को जानकारी है कि जनपद-बरेली की तहसील व थाना मीरगंज के ग्राम सिरोधी अंगदपुर में कच्ची शराब बनाने तथा बेचने का अवैध धन्धा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध धन्धा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बरेली की तहसील व थाना मीरगंज के ग्राम सिरोधी अंगदपुर में माह अक्टूबर, 2005 के बाद कच्ची शराब बनाने तथा बेचने का अवैध धन्धा किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई अभियोग पकड़ा गया है।

सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम जमलापुर, हुसेनापुर, रौसर के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

67-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि भावल खेड़ा ब्लाक जनपद-शाहजहांपुर के ग्राम जमलापुर, हुसेनापुर, रौसर, दलियापुर, कटिया कम्मू, वाजिदपुर को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त

हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

दनियापुर सम्पर्क मार्ग का स्वामित्व मण्डी परिषद का है। डीगरपुर असरानी नहर पटरी से वाजिदपुर मार्ग निर्माणाधीन है। शेषमार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

68-श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा-

[2सरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

व्यवधान के कारण अनुत्तरित महत्वपूर्ण प्रश्नों हेतु श्री अध्यक्ष से समय दिये जाने का अनुरोध

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के संबंध में हमारा आग्रह है कि हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण हथियार प्रश्नों का है। इसी के माध्यम से अपने क्षेत्र और प्रदेश की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार से उत्तर प्राप्त करने का समय मिलता है। कभी-कभी सदन में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है यह सामयिक चीज है सामान्य रूप से कभी-कभी ऐसा हो जाता है। मेरा निवेदन है कि जो समय व्यवधान में निकल गया उसके बदले में 10-15 मिनट का समय दे दें इससे जो उत्तर आए हैं उन पर अनुपूरक पूछ लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का काल समाप्त हो चुका है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने मुझे पुकार लिया था। मैं प्रश्न करने वाला था लेकिन सदन अव्यवस्थित हो गया और मैं बैठ गया। इसीलिए मैंने निवेदन किया है आप की अगर इच्छा हो।

श्री अध्यक्ष-

हमारी भावनाएं आपके साथ हैं। लेकिन इस तरह से एक नई परम्परा बन जाएगी।

श्री हुकुम सिंह-

यह पहली बार नहीं है ऐसा पहले भी हुआ है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

ऐसा कोई उदाहरण नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मैं आधा दर्जन उदाहरण दे सकता हूं। आपको अगर कोई आपत्ति हो तो हम बैठ जाएंगे। अध्यक्ष महोदय की इच्छा होगी तो सवाल कर लेंगे। नहीं होगी तो नहीं करेंगे।

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

उदय राज जी बैठ जाएं। ओम प्रकाश सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, दो विकल्प है या तो हुकुम सिंह जी के आग्रह को आप मान लें या फिर इसे इस रूप में लें कि प्रश्नों को उत्तरित न मानकर अगले दिन के लिए ले लें जिससे प्रश्न जीवित रहेगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

जब प्रश्नों के उत्तर आ गये तो कैसे उत्तरित न माना जाय ? इसको कहां से कर पायेंगे ?

सिंचाई एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश पर उत्तर भी पढ़ दिया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जब कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना विपक्ष का अधिकार है। हम अपना समय दे रहे हैं और आपसे आग्रह कर रहे हैं तो सरकार क्यों कतरा रही है ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह सदन नियमों और परम्पराओं के आधार पर चलता हैं जो नियम बने हैं वह हमारी नियमावली में दिये हुये हैं और परम्परायें मान्यवर, समयानुसार जैसा समय हुआ, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जैसा उचित समझा गया वैसा किया गया और वह परम्परा में आ गया। मान्यवर, मेरा कहना है कि परम्परायें पहले भी बनी हैं और आज भी एक नया दिन होगा जब आप एक नई और अच्छी परम्परा बनायेंगे। मान्यवर, जब सदन की कार्यवाही चल रही थी आपने मेरा नाम अपने श्रीमुख से पुकार लिया था। मैंने सुना था और भी माननीय सदस्यों ने सुना था और आप स्वंय भी मान रहे हैं कि आपने मुझे बुलाया था और कहा था कि आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। मान्यवर, आज प्रदेश में महंगाई का हाहाकार मचा हुआ है। मान्यवर, आप हमारे प्रश्न को कल ले लीजिये या फिर ऐसा दिशा निर्देश दे दीजिये कि हम अपनी बात कह दें और सरकार का पक्ष भी आ जाय। मान्यवर, आप ऐसे अध्यक्ष होंगे जो नई परम्परा शुरू करेंगे। पहले खराब तरीके से होती थीं अब अच्छे तरीके से होंगी।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश जी और महाना जी भी जान रहे हैं कि मैं तो निवेदन कर रहा था। प्रश्नों का काल समाप्त हो गया। अब यदि मैं हुकुम सिंह जी को कोई अनुपूरक प्रश्न करने की अनुमति देता हूं तो श्री महाना साहब भी हाथ मार रहे हैं। इसलिये हम चाहते हैं कि कोई ऐसी परम्परा न

बने जिससे हमारे आज के एजेण्डे की मदों को समय से न लिया जा सके। इसलिये नियमों से चलिये। नियमों का महत्व है। नियम-41 में जो व्यवस्था है उसको आप जान रहे हैं। कहिये तो मैं आपको पढ़कर सुना दूं।

'मौखिक उत्तर न दिये जाने वाले प्रश्नों का लिखित उत्तर यदि उत्तर के लिये किसी तिथि को निर्धारित कोई अल्पसूचित अथवा तारांकित प्रश्न किसी कारण से उक्त तिथि को सदन में न लिया जा सके तो उसका उत्तर दिया हुआ माना जायेगा और ऐसे समस्त प्रश्नों के लिखित उत्तर उस दिन की कार्यवाही के अंश के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे।'

जब इस तरह की एक व्यवस्था है, इन प्रश्नों के सम्बन्ध में तो इस व्यवस्था के आधार पर भी आपकी भावनाओं का आदर कर सकता हूं।

नेता, विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, आप ऐसा निर्देश दे सकते हैं कि दूसरे नियमों में इस महत्वपूर्ण सवाल को उठा सकते हैं। कल उठा लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, किसी दूसरे नियम में इस महत्वपूर्ण मसले को उठा लीजियेगा।

समाजवादी पार्टी द्वारा सदन के फ्लोर पर धरना दिये जाते समय सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मोबाइल से वीडियोग्राफी किये जाने सम्बन्धी कृत्य पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब क्या व्यवस्था का प्रश्न है ? कहिये।

श्री उदय राज-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस समय मिट्टी के तेल की काला बाजारी का प्रश्न उठा हम लोगों ने उस पर अनुपूरक प्रश्न उठाने का प्रयास किया, आपसे चर्चा की मांग की और उसके बाद हम लोगों को मजबूर होकर वेल में आना पड़ा। मान्यवर, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हुआ। मान्यवर, हम इस पर आपकी व्यवस्था चाहेंगे। मान्यवर, जिस समय हम लोग वेल में पहुंचे तो आज किस तरीके से कुछ सदस्यों के द्वारा फोटोग्राफी की जा रही थी। मान्यवर, मैं 10-12 साल से इस सम्मानित सदन का सदस्य हूं और आज तक कभी हमने ऐसा नहीं देखा। मान्यवर, जिन माननीय सदस्यों ने इस तरह की कार्यवाही की है उनके बारे में निश्चित रूप से आपकी व्यवस्था आ जानी चाहिये ताकि दोबारा इसकी पुनरावृत्ति न हो।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पूर्व में भी कहा था कि कोई भी माननीय सदस्य मोबाइल लेकर नहीं आयेंगे, अगर वे मोबाइल लेकर आयेंगे तो उनके मोबाइल जब्त कर लिये जायेंगे। जैसा पहले था कि बाद में

वापस कर दिये जायेंगे। लेकिन अब वापस नहीं किये जायेंगे। इसलिये कोई माननीय सदस्य सदन के अंदर मोबाइल लेकर न आये। आज जिस तरह का आचरण किया गया है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, उस तरह के आचरण की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो। कोई माननीय सदस्य सदन में मोबाइल लेकर न आयें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आपने निर्णय दिया है वह पूरे सदन के लिये दिया है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि किसी माननीय सदस्य ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकार्डिंग की है वह इस आदेश से गवर्न नहीं होती है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दो सदस्यों के पास मोबाइल थे और सम्भवतः वह तीसरी चौथी रो के सदस्य थे।

श्री अध्यक्ष-

अगर ऐसा हुआ है तो माननीय आजम खां साहब ऐसे लोगों को चिन्हित कराया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से यह खेद का विषय है और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस पक्ष से ऐसा कोई आचरण न होने पावे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जो मोबाइल के अन्दर रिकार्ड हो गया सदन के अन्दर उस पर भी तो आप कोई अपना निर्णय दे दें।

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 आजम खां जी वह मोबाइल मैंने अपने पास मंगा लिया है उसको डिलीट करा दूंगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसलिये भी थोड़ा गम्भीर है मामला, कि इस तरह से अगर मोबाइल से फिल्म ली जाएगी तो हो सकता है इन सदस्यों की तस्वीरें बाहर अपराधियों को दे दी जाएं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसकी निन्दा कर दी है। जो आपने कहा उसके लिये मैंने सतर्क कर दिया वह मोबाइल मैंने अपने संरक्षण में ले लिया है इसको डिलीट कर दिया जाएगा।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 जुलाई, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 12 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी की है, इन्होंने इलाहाबाद जनपद के श्री बजरंग बली, निवासी 73 न्यू लश्कर लाइन, इलाहाबाद को विद्युत बकाया के आरोप में जेल भेजने के पश्चात् उसकी मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी की है, इन्होंने आजमगढ़ सदर के निवासी सीता राम की पत्नी की मकान गिर जाने से दबकर हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तीसरी सूचना श्री शिवगतुल्ला अंसारी जी की है, इन्होंने अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत गाजीपुर को जिले से हटाकर उनके मूल विभाग हथकरघा निगम भेजे जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

चौथी सूचना श्री कालीचरन राजभर जी की है, इन्होंने गाजीपुर के विधान सभा जहूराबाद के अन्तर्गत औंस नदी (भैंसही नदी) के किनारे रामगढ़ बिन्द बस्ती के सामने छलका बनाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

पांचवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की है, इन्होंने वाराणसी में शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे पेयजल अनापूर्ति से तथा प्रदूषित जलापूर्ति से लोगों को हो रहे कष्ट के समाधान के सम्बन्ध में सूचना दी है।

छठीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान जी की है, इन्होंने महामाया नगर की तहसील सिकन्दराराऊ में नियमों को ताक पर रखकर किये गये अवैध भू-आवंटन की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

सातवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव जी की है, इन्होंने मानीराम क्षेत्रान्तर्गत टिकरिया-बालापुर रोड का चौड़ीकरण एवं ऊंचाईकरण का कार्य बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी है।

आठवीं सूचना श्री अशोक कुमार कंसल जी की है, इन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय प्रमुख जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

नवीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी की है, इन्होंने जनपद बांदा के केन नदी के पैलानी, तारा, चिल्ला, सादी व मदनपुर के कटान होने से पिचिंग कराने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दसवीं सूचना श्री राम किशुन जी की है, इन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम झकहियां के ठेकेदार श्री इसरार अहमद को फर्जी प्रमाण-पत्र पर ए क्लास का ठेकेदार बनाये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई है, वे निम्नलिखित है।

1-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा

2-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव व श्री शिवगतुल्ला अंसारी के अतिरिक्त अन्य सभी सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं)

इलाहाबाद जनपद के श्री बजरंग बली, 73 न्यू लश्कर लाइन को विद्युत बकाया के आरोप में जेल भेजने के पश्चात् उनकी मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद जनपद में बजरंग बली पुत्र स्व0 कालीदीन निवासी 73 न्यू लश्कर लाइन, इलाहाबाद को पूर्णरूपेण स्वस्थ हालत में गिरफ्तार करके विद्युत बकाया के आरोप में 6/7 जून की रात्रि में जेल भेज दिया गया। बजरंग बली अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति थे जो सिलाई करके पूरे परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। विद्युत अभियन्ता ने 5 हजार रुपये की तत्काल मांग की और असमर्थता व्यक्त करने पर पुलिस की सहायता से मारपीट कर जेल भेजवा दिया। उनके भाई के जेल जाने पर जेल अधिकारियों ने 11 जून को कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे मिलना नहीं चाहता। 13 जून को बजरंग बली की स्वरूपरानी चिकित्सालय में मृत्यु हो गयी। मृत्यु के उपरान्त मृतक के घर वालों को सूचना देकर सादे कागज पर हस्ताक्षर करा लिया गया। घरवालों द्वारा विद्युत अभियन्ता, स्थानीय पुलिस, जेल प्रशासन के खिलाफ शिकायत तथा मुआवजे मांगने पर पुलिस वाले शिकायत वापसी हेतु धमका रहे हैं। स्व0 बजरंग बली की मृत्यु से विधवा पत्नी, भाई-बच्चे बेसहारा होकर भुखमरी के कगार पर आ गये हैं, एवं आतंकित-भयभीत हैं।

अतः निवेदन है कि तत्काल सूचना ग्रहण कर दोषियों को दंडित कराने तथा बेसहारा परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की कृपा करें।]

आजमगढ़ सदर निवासी सीताराम की पत्नी की मकान गिर जाने से दबकर हुई मृत्यु के फलस्वरूप परिजनों को शीर्षक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर आजमगढ़ में दि0 26-2-2007 को रात्रि में निवासी सीताराम शहर तहसील सदर, की पत्नी मकान गिर जाने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से दबकर मर गयी थी। प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं उसके पास एक ही टूटा मकान था जिसमें परिवार के साथ रहा करता था मकान जर्जर होने के कारण रात्रि में गिर गया उसमें उसकी पत्नी सोते हुये दबकर मर गयी प्रार्थी लाचार और बेसहारा व्यक्ति है इसे आज तक सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं मिल पायी है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस लाचार बेबस को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग करता हूं।

अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत गाजीपुर को जिले से हटाकर उनके मूल विभाग हथकरघा निगम भेजे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिबगतुल्ला अन्सारी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्तमान समय में जो अपर मुख्याधिकारी जिला पंचायत गाजीपुर तैनात हैं जिनका मूल विभाग हथकरघा निगम है ये प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं जिसकी अवधि फरवरी, 2007 में समाप्त हो चुकी है, जिले का विकास कार्य ठप्प पड़ा है इनके द्वारा वित्तीय अनियमितता की जा रही है जिले में भ्रष्टाचार इनके द्वारा खुलेआम किया जा रहा है, सारे विकास कार्य ठप्प पड़े हुये हैं इनको मूल विभाग हथकरघा निगम में भेजा जाय। इनकी तैनाती को लेकर जिलापंचायत गाजीपुर कर्मियों में भी रोष व्याप्त है और हटाने की मांग कर रहे हैं।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल अपर मुख्याधिकारी जिलापंचायत गाजीपुर को जिले से हटाकर उनके मूल विभाग हथकरघा निगम में भेजे जाने की मांग करता हूं।

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्र में टौंस नदी (भैसही नदी) के किनारे रामगढ़ बिन्द बस्ती के सामने छलका बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कालीचरण राजभर-

[अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा के अन्तर्गत टौंस नदी (भैसही नदी) बहती है। के किनारे रामगढ़ बिन्द बस्ती है हर साल नदी का पानी बरसात के दिनों में बढ़ जाने के कारण काफी कटान होती हैं जिससे बिन्द बस्ती का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है, जिससे वहां के लोगों में अत्यन्त रोष, आक्रोश तथा दुःख व्याप्त हैं।

अतः इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुये रामगढ़ बिन्द बस्ती के सामने नदी में छलका बनवाने की मांग करता हूं।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी में शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे पेयजल आपूर्ति से तथा प्रदूषित जलापूर्ति से लोगों को हो रहे कष्ट के समाधान के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अधिकांश मोहल्ले गलियों का तथा घनी आबादी का क्षेत्र हैं दर्जनों मोहल्ले ऐसे हैं जहां के लोगों को या तो अत्यन्त कम दबाव पर बहुत थोड़े समय के लिये पेयजल की आपूर्ति होती है जिनमें भी प्रदूषित जलापूर्ति भी शामिल है। दर्जनों मोहल्ले में अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोगों तक जलापूर्ति बिल्कुल शून्य है। इसकी शिकायत नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा जल संस्थान से किये जाने का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता है जिससे जल अनापूर्ति कष्ट झेल रहे लोगों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। प्रदूषित जलापूर्ति रोकने हेतु लाइन सिफ्टिंग कराना आवश्यक है जिसके लिये जल संस्थान के पास धन की कमी सबसे बड़ा रोड़ा है। पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से शून्य हो रहे मोहल्लों के लोगों तक जलापूर्ति सुनिश्चित करने एवं जिन क्षेत्रों में अत्यन्त कम दबाव तथा कम अवधि के लिये जलापूर्ति होता है उक्त क्षेत्रों में प्रेशर बढ़ने हेतु बड़े नलकूप तथा मिनी नलकूप ही एक मात्र विकल्प हो सकते हैं ऐसा जल संस्थान तथा जल निगम के अधिकारियों का निष्कर्ष हैं जिसके अनुसार फिलहाल 2 बड़े नलकूप तथा 4 छोटे नलकूप का प्रस्ताव नगर विकास विभाग में नियमानुसार आगणन सहित प्रेषित है जिन पर शासकीय स्वीकृति एवं आवश्यक धनराशि का आवंटन अपेक्षित है। पेयजलापूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व की दृष्टि से स्वीकृति एवं धनावंटन की अपेक्षा करता हूं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

महामाया नगर की तहसील सिकन्दराराऊ में अवैध भू-आवंटन की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यशपाल सिंह चौहान-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से तहसील सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर में नियमों को ताक पर रखकर किये गये अवैध तरीके से भू-आवंटन की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

ग्राम खेड़या कला परगना सिकन्दराराऊ तहसील सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर के फसली वर्ष 1410-1415 भाग-1 में 1410 फ0 आदेश रा0 नि0 व मू0 प0क011 के ग्रं0 3/18 को खाता सं0 252/11 पर आदेश हुआ कि मृतक सुलतान खां के स्थान पर मुनीर इरफान इलियास पुत्रगण सुलतान खां व श्रीमती भूरी बेवा सुलतान खां नि0 ग्राम बतौर वारिस अंकित हो ह0 ले0 18-01-03, 1412 फ0 आदेश श्रीमान तह0 महो0 मृ0 नं0 182 एच/तह0/15-2-05

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के अनुसार सालिगराम बनाम जालिम सिंह मौजा खेडिया कला में आदेश हुआ कि खतौनी 1404-1409 के खाता सं0 254 के गाटा सं0 254 मि0/.922 व गाटा सं0 245 क/0.207 हे0 से ग्राम समाज का नाम निरस्त करे सालिगराम पुत्र सरनाम सिंह नि0 न0 विजन म0 बरामई का नाम दर्ज हो। ह0ले0 28-3-05, 1412 फ0 आदेश श्रीमान तह0 महो0 मृ0 नं0 183 एच/तह0/15-2-05 दीनानाथ बनाम लालिम सिंह मौजा खेडिया कला में आदेश हुआ कि खतौनी 1404-1409 के खाता सं0 252 के गाटा सं0 254 मि0/.922 व गाटा सं0 245क/0.207 हे0 से ग्राम समाज का नाम निरस्त करके दीनानाथ पुत्र सरनाम सिंह नि0 नं0 विजन म0 बरामई का नाम दर्ज किया जाता है ह0 ले0 28-3-05।

मान्यवर, ग्राम सभा की जमीन को तहसीलदार ने अनियमित तरीके से मानक विपरीत दूसरे गांव के व्यक्तियों के नाम दर्ज करा दिया है जबकि राजस्व की जमीन पर गांववासियों का अधिकारी होता है। भारी घपला कर करोड़ों की हेराफेरी की गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं जमीन मुक्त कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गोरखपुर के मानीराम क्षेत्रान्तर्गत टिकरिया बालापार रोड का चौड़ीकरण एवं ऊंचाईकरण का कार्य बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय बहादुर यादव-

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र मानीराम जनपद गोरखपुर के टिकरिया-बालापार रोड का चौड़ीकरण एवं ऊंचाईकरण का कार्य बन्द कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र मानीराम जनपद गोरखपुर में टिकरिया-बालापार रोड का चौड़ीकरण एवं ऊंचाईकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसके तहत जगह-जगह गिट्टी एवं खोदाई करके गड्ढे कर दिये गये हैं। वर्तमान से समय में कार्य बन्द कर दिया गया है और पता करने पर इसका कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। जगह-जगह गिट्टी एवं गड्ढे होने के कारण आवागमन बाधित है जिसके कारण जनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। कार्य बन्द कर दिये जाने के कारण आवागमन में हो रही परेशानी के कारण जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य अविलम्ब पूर्ण कराया जाना आवश्यक हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये बन्द किये गये कार्य को अविलम्ब चालू कराकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के कतिपय प्रमुख जर्जर मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशोक कुमार कंसल-

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर के प्रमुख मार्गों की हालत अत्यन्त दयनीय होने के कारण आवागमन में हो रही परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, वर्तमान युग विकास का युग है किन्तु इसमें यातायात की अच्छी व्यवस्था के लिये बढ़िया उच्च स्तरीय सड़कों का होना अति आवश्यक है। जनपद मुजफ्फरनगर मुख्यालय से जोड़ने वाले अधिकांश मार्गों की हालत अत्यन्त दयनीय है जिनमें से प्रमुख रूप से मुजफ्फरनगर-बड़ौत मार्ग पर मुजफ्फरनगर से दाहा वाया बुढ़ाना एवं मुजफ्फरनगर-चरथावल-थाना भवन तथा बुढ़ाना से कांधला-शामली रोड अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण हालत में है। उपरोक्त मार्गों के टूट जाने के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं जिसके कारण जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। जनहित में उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये अविलम्ब उपरोक्त मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बांदा के केन नदी के पैलानी, तारा, चिल्ला आदि क्षेत्रों में कटान लेने से पिचिंग कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान विशेष महत्वपूर्ण विषय की तरफ कराना चाहता हूं जनपद बांदा में केन नदी से पैलानी, तारा चिल्ला सिन्धन कला सादी मदनपुर में प्रतिवर्ष भीषण कटान से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं। यदि केन नदी के किनारे बसे गांवों में पत्थर पिचिंग नहीं करायी गयी तो बस्तियां उजड़ जायेगी हजारों लोग पलायन कर जायेंगे इसलिये सिंचाई विभाग से केन नदी के किनारे उपरोक्त बसे गांवों में पत्थर की पिचिंग कराया जाना आवश्यक है।

अतः मैं आपका ध्यान उपरोक्त लोक महत्व के विषय की तरफ कराना चाहता हूं सूचना को स्वीकृत करने की कृपा करें।]

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम झकहियां के ठेकेदार श्री इसरार अहमद को फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर 'ए' क्लास का ठेकेदार बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम किशुन-

[अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ठेकेदार श्री इसरार अहमद निवासी ग्राम झकहियां, पोस्ट सेमरी रेहरा विकास खण्ड इटावा, जनपद-सिद्धार्थनगर के 'ए' क्लास के ठेकेदार बनकर अवैधानिक ढंग से लोक निर्माण ग्रामीण अभियंत्रक विभाग एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना में ठेकेदारी कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि इनके पास जो साधन होने चाहिये वह उपलब्ध नहीं हैं, जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुछ इन्होंने ठेकेदार बनने के लिये दर्शाया है वह फर्जी हैं-जैसे ट्रकरोलर, ट्रैक्टर ट्राली और न ही इनके पास कोई टेक्निकल स्टाफ है जो बान्ड की प्रतिलिपि इन्होंने पेश किया है वह कार्य न तो इन्होंने कभी किया है और न उस विभाग में रजिस्ट्रेशन हैं जिस कार्यदायी संस्था से मूल प्रमाण-पत्र दिया है उसकी जांच करायी जाय। इनके खिलाफ न्यायालय में अनुसूचित जाति एक्ट मु0 एक सहायक इन्जीनियर को मारकर अजुहा अपहरण के आरोप न्यायालय में विचाराधीन हैं। इनका चरित्र प्रमाण-पत्र फर्जी बताया जाता है।

अतएवं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उपरोक्त तथ्यों की छानबीन कर जांच करायी जाय।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 जुलाई 2007 को नियम 300 के अन्तर्गत कुल दो सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जिला को-आपरेटिव बैंक, प्रतापगढ़ में धन का दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदन को सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में।

जिला को-आपरेटिव बैंक, प्रतापगढ़ में धन का दुरुपयोग तथा व्याप्त अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, संविधान से है। मान्यवर, विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की मंशा यही है कि इस सदन में जो भी विनियोग विधेयक के माध्यम से धन पारित हो, उसका समुचित उपयोग हो और यदि ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से यह सदन की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। मैं आपका ध्यान जनपद प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक का प्रायोजित बजट जो है, जो यहां से अंश जाता है, उसके भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले कई सालों से, विशेष रूप से डेढ़, दो साल से वहां पर जो पैसा जमा है, उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार है। जो लाभांश पाने वाले लोग हैं, उन्हें लाभ नहीं दिया जा रहा है और उसमें जो संचित धन है वह बाजार में उठाया जा रहा है। जिन किसानों को या जो सहकारिता के सदस्य हैं उनको लाभ न देकर उसको दिया जा रहा है जो इसके पात्र नहीं हैं। कुल मिलाकर इतना ज्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस फैले भ्रष्टाचार की जांच कराये, इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए जो प्रदेश सरकार से हो, उसका आडिट कराया जाए, विशेष आडिट कराया जाए और यदि वहां भ्रष्टाचार है, वहां किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, सदस्यों को लाभ नहीं मिल रहा है, गुंडागर्दी के बल पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है तो इसकी जांच करायी जाए, मैं अपने इस औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक अनियमितता और भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मुद्दे का प्रश्न उठाया है, प्रमोद तिवारी जी ने। प्रमोद तिवारी जी भी प्रतापगढ़ के है और माननीय सहकारिता मंत्री भी प्रतापगढ़ के पड़ोसी हैं। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मा0 स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सहकारिता मंत्री रहते हुए, प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में जो भी इस तरह की अनियमितता होगी, उस पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा और अनियमितताओं की जांच कराकर उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी। जहां तक नियम-300 का सवाल है, उसमें आपने स्वयं देख लिया होगा, प्रमोद तिवारी जी भी जानते हैं कि नियम-300 की किसी भी श्रेणी में दूर-दूर तक भी कोशिश की जाए तो यह नहीं आता है इसलिए आप इसको अग्राह्य करना चाहें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 प्रमोद तिवारी और संसदीय कार्य मंत्री को सुना। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

अध्यक्ष जी, सरकार ने जो आश्वासन दिया है, उस पर कार्यवाही हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

कार्यवाही उस पर करायेंगे।

लोकायुक्त के विशेष प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, लोक सेवक और बड़े अधिकारियों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 बनाया गया है। इसमें बड़े अधिकारियों और लोक सेवकों के भ्रष्टाचार की जो जांच होती है वह गोपनीय होती है और रिपोर्ट भी गोपनीय होती है। लेकिन आज हालत यह है, उप लोकायुक्त महोदय ने, चाहे इसके पहले न्यायमूर्ति सुधीर चन्द्र वर्मा रहे हों या न्यायमूर्ति एन0 के0 मेहरोत्रा जी हों, ये लोग इससे बहुत परेशान रहे हैं।

मान्यवर, यह लोग खुलेआम अखबारों में बयान देते हैं और सभा गोष्ठियों में जाते हैं और कहते हैं कि उनके पास कोई ताकत नहीं है, वह जो रिपोर्ट देते हैं उनको सरकारें लागू नहीं करतीं। मान्यवर, आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार का पता लगाना, उसके लिए साक्ष्य लाना, उसकी शिकायत करना, परश्यू और उसके बाद रिपोर्ट आना एक बड़ी प्रक्रिया है और उसके बाद जांच के बाद कोई रिपोर्ट आए और वह लागू न हो तो यह चिंता की बात है। श्री एन0 के0 मेहरोत्रा जी ने कहा कि 3 दर्जन बड़े अधिकारियों और बड़े-बड़े मंत्रियों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है और वह लागू नहीं किया है। यह गम्भीर समस्या है। एक रिपोर्ट में अंशु जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्होंने वर्ष 2001 में पहली बार शिकायत दी और वह शिकायत 2005 में पूरी हुई और 29 जुलाई, 2005 को मुख्य मंत्री के यहां रिपोर्ट भेजी गई कि इसे लागू करें। डेढ़ साल हो गया लेकिन वह रिपोर्ट लागू नहीं हुई। फिर उन्होंने रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल को भेज दी। राज्यपाल ने

विशेष रिपोर्ट फिर सरकार को भेजी लोकायुक्त अधिनियम 12(5) के अनुसार कि सरकार इसको दोनों सदनों में रखें। मान्यवर, यह सरकार की जिम्मेदारी है और हमारा विशेषाधिकार है कि इस तरह की रिपोर्टें माननीय सदन में आनी चाहिए। इसलिए धारा 12(7) जिसमें कहा गया है कि उपधारा 5 के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा 6 के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल इसकी एक प्रतिलिपि स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। यह जरूरी है कि राज्यपाल की वार्षिक विशेष रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए जिससे सदन यह जान सके कि कौन-कौन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और क्या कार्यवाही हो रही है। लेकिन यह मामला 22-11-2006 को सदन में उठाया गया था। श्री प्रमोद तिवारी और श्री राम कृपाल जी ने यह मामला उठाया था लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अध्यक्ष पीठ ने इस मामले का निर्णय सुरक्षित रखा है। सदन के संज्ञान में मामला आ चुका है। मान्यवर, ठीक है, पीठ की कुर्सी बदल गई उस पर बैठने वाले व्यक्ति बदल गए हैं। लेकिन इस पर आपका निर्णय आ जाए और इसे सदन के पटल पर रखा जाए।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नियम-314 देखें, अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। यह अध्यक्ष का विवेक है और निश्चित रूप से यह कहीं से भी औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और किसी भी तरह से अध्यक्ष के विवेक पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। मान्यवर, इसी में कहा गया कि मामला दिनांक 22-11-06 को सदन में उठा। निर्णय अभी सुरक्षित है। पीठ के किसी विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है मैं चाहूंगा कि इस पर सुनवाई के बगैर ही कृपया अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हमारे विद्वान सदस्य ने यह नहीं कहा है कि जो निर्णय हुआ है उसे बदल दिया जाए बल्कि जो निर्णय सुरक्षित है उस पर अपेक्षित कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, भ्रष्टाचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए और उसके बाद निर्णय सुरक्षित हो जाए और निर्णय न आए तो यही तो चिंता है माननीय सदस्य की। मान्यवर, जो रिपोर्ट आई है लोकायुक्त की उस पर आप निर्णय ले लें और निर्णय लेने के बाद भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्यवाही हो। मान्यवर, अन्यथा कुछ दिनों बाद यह स्थिति आएगी कि लोकायुक्त का कार्यालय मात्र शो पीस बनकर रह जाएगा। अगर वहां कोई निर्णय नहीं होगा, कार्यवाही नहीं होगी तो लोकायुक्त की क्या उपयोगिता रहेगी ?

आज सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है उससे सहमत होना चाहिए। यह जो भ्रष्टाचार हुआ है, तमाम प्रक्रियाओं से गुजरे, भ्रष्टाचार सिद्ध हुआ फिर मैंने बात उठायी और निर्णय सुरक्षित हो गया और आज यही अनुरोध कर रहे हैं जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है, तो विनियमित हो रहा है इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि यह नियम-300 में नहीं आता है। यह नियम-300 में आता है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, क्या आप दोबारा सुन रहे हैं। किसी भी सदस्य को ऐसी फीडम नहीं होनी चाहिए कि वह दोबारा बोलने लगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने तो व्यवस्था का सवाल उठाया था।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन आपकी व्यवस्था बहुत होती जा रही है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो निर्णय सुरक्षित रखा गया है, उस निर्णय को आप दे दें। निर्णय देने से आपकी एक नजीर बनेगी और अपराधियों के खिलाफ एक सख्त कदम उठेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह नियम-300 में नहीं आता है। आपके विवेक पर किसी तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। आपने नियम-300 पर उदारतापूर्वक सुना और आपकी उदारता की सभी लोग सराहना कर रहे हैं। मान्यवर, आप नियम-300 को स्वयं देखें। इसमें लिखा है कि "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो," इसी में दूसरा है कि "औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा", तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसके आधार पर इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह नियम-300 में नहीं आता है और आपके विवेक पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता है। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। अतः इस सूचना को अग्राह्य किया जाय।

(अनुग्रह नारायण सिंह जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

इसमें चर्चा नहीं हो रही है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मैं पीठ पर विश्वास कर रहा हूं और आपके ऊपर कोई अविश्वास नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी नियम-300 के उप नियम-(1)(2) का उल्लेख तो कर रहे हैं लेकिन उप नियम-(3) को भी देख लें। इसमें यह है कि "उप नियम-(1) तथा (2) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेंगे और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अन्तिम होगा।" मान्यवर, 22 नवम्बर, 2006 को मा0 अध्यक्ष जी ने निर्णय को सुरक्षित रखा।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें मैंने देख लिया है। मुझे व्यवस्था देने दें। मैंने श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुना। उ0प्र0 लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 में

यह प्राविधान है कि अधिनियम की धारा 12(7) के अन्तर्गत राज्यपाल को दी गयी विशेष या वार्षिक रिपोर्ट उस पर व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ राज्यपाल सदन के पटल पर रखवायेंगे। परन्तु इस हेतु कोई समय सीमा नहीं दी गयी है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत सूचना का इस सदन से सीधे कोई सम्बन्ध नहीं है और यह नियम-300 में नहीं आता है। अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से मैं घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (द्वितीय लेखानुदान) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 29 जून, 2007 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 जून, 2007 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 03 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-04, मद संख्या-05, मद संख्या-06, और मद संख्या-07 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007[†]

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007[††]

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

[†] दिनांक 20-8-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[††] दिनांक 24-8-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007[†]

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007[††]

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ठाकुर जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

[†] दिनांक 20-8-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[††] दिनांक 24-8-07 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ⊕ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आज इस सामान्य चर्चा में जिन माननीय दलों की सूची आई है, उसी के आधार पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सभी माननीय नये सदस्यों का और कुछ वरिष्ठ सदस्यों के जो अनुभव है वह इस सदन में लाये, इसमें समाजवादी पार्टी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कांग्रेस पार्टी और माननीय सदस्यों की सूची आई है। माननीय समाजवादी पार्टी के जिन माननीय सदस्यों की सूचना आई है उनमें प्रथम श्री नरेश अग्रवाल जी का नाम निर्देशित किया गया है मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा पर अपनी बात कहें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि इस बजट पर आपने मुझे विचार प्रस्तुत करने के लिए तथा सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है। श्रीमन् सबसे पहले तो मुझे यह आपत्ति है कि अगर बजट के प्रति सरकार बड़ी गम्भीर होती तो कम से कम वित्त विभाग के सारे अधिकारियों को यहां आना चाहिए था और उन चीजों को जिन चीजों को हम लोग रख रहे हैं जो सुझाव हम लोग यहां रख रहे हैं उन सुझावों को बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए। एकदम से जिस तरह से अधिकारियों का यहां न आना ऐसा लग रहा है कि सरकार भी बजट के प्रति गम्भीर नहीं है। मैं चाहूंगा कि भविष्य में ऐसे निर्देश जारी कर दें कि जिससे इस चीज की गम्भीरता बनी रहे। श्रीमन् मैं शैल चतुर्वेदी जी की चार लाइनों से बजट के भाषण की शुरुआत करूंगा। हमारे एक मित्र ने कहा बजट आ रहा है, मैंने कहा हां बजट आ रहा है, जिन हाथों से वोट दिया है, उन हाथों से माथा ठोंक रहा हूं। श्रीमन्, यह बजट दिशाहीन, तथ्यों से परे, गैर नियोजित और बदले की भावना से भरा हुआ है। अगर बजट असलियत में पेश करना था तो 3 वर्ष की पिछली सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उसका वर्णन भी करना चाहिये था। आज उत्तर प्रदेश में जो आय का स्रोत बढ़े हैं, इतना बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है, योजना का आकार जो बढ़ा है आखिर उसके बढ़ने के कारण क्या थे। अभी इस सरकार को सत्ता में आये हुये दो महीने भी नहीं हुये हैं कि जो आमदनी बढ़ी है वह उनके कार्यकाल में हुई है। आखिर इस प्रदेश का जो सबसे बड़ा बजट आज प्रस्तुत किया गया है उसके क्या कारण हैं उसको समझना चाहिये। मान्यवर, 1998 में यहां पर बजट प्रस्तुत किया गया है उस समय सुशील त्रिपाठी जी प्रमुख सचिव वित्त विभाग थे। उस समय जितना राजस्व प्राप्त होता था उससे ज्यादा इस प्रदेश में नान प्लान पर खर्च होता था और उसकी पूर्ति के लिये सरकार ऋण लेती थी। आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ऋणग्रस्तता हो गयी है। तो सुशील त्रिपाठी जी से मैंने पूछा कि यह बतायें कि व्यापार कर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में साल में कितना रुपया आता है। उन्होंने बताया कि 8 हजार

⊕ दिनांक 2 जुलाई, 2007 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ रुपये। जबकि एक छोटे से प्रदेश कर्नाटक में मान्यवर 12 हजार करोड़ रुपये व्यापार कर के रूप में आता है। इतना बड़ा अन्तर था आखिर वह रुपया कहां जाता है।

मान्यवर, आपके समक्ष मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं। 2002-03 में राजस्व प्राप्ति 27 अरब, 82 करोड़, 119 लाख रु0 थी, हम 2006-07 में जब सरकार छोड़कर गये हैं तो यह प्राप्तियां 56 अरब, 14 करोड़, 440 लाख रु0 थी दूने से ज्यादा राजस्व का आकार बढ़ाया है तो वह किसने बढ़ाया हैं आखिर इन सबका भी तो उल्लेख इस बजट में होना चाहिये था। मान्यवर, राजस्व के चार मेन स्रोत हैं। व्यापार कर, पैसेन्जर टैक्स, ट्रान्सपोर्ट और साथ-साथ स्टाम्प और ड्यूटी। मान्यवर, 2002-03 में इस प्रदेश में उनसे राजस्व होता था 12 अरब, 86 करोड़, 690 लाख रु0 और हम लोग जब सरकार छोड़कर गये तो आमदनी हो गयी 23 अरब, 48 करोड़, 378 लाख रु0। यानि दूना। आखिर वह गैप कहां से पूरा हुआ। उसका उल्लेख करना चाहिये था जबकि प्रदेश का घाटा निरन्तर बढ़ रहा था। हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन में बात की, आकार बढ़ा। हमने अपनी राजस्व प्राप्तियों को वहां पर दिखाया। प्लानिंग कमीशन में यह है कि राज्य सरकार अपने प्लान में जो प्रतिवर्ष इनकम दिखाती है प्लानिंग कमीशन अपनी तरफ से 40 प्रतिशत राज्य सरकार को देता है। हमारे समय में आय के स्रोत बढ़े, प्लान पर व्यय हमने बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में मान्यवर इस तरीके से प्लान का आकार बढ़ा। लेकिन कहीं भी पूरे बजट में इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया है। मान्यवर, आय की स्थिति देखें प्रदेश की आय आज भी टैक्स की मद में 35 हजार करोड़, नान टैक्स की मद में 11 हजार करोड़ हैं, टोटल 46 हजार करोड़ आय है। खर्च नान प्लान में 21 हजार करोड़, तनख्वाह में 11 हजार करोड़, ब्याज पर 58 सौ करोड़ रुपये, पेंशन पर 37800 करोड़ रुपये। मान्यवर, इस तरह से बजट में राजस्व प्राप्तियों का 80 प्रतिशत से ऊपर धन सरकार का नान प्लान पर तनख्वाह पेंशन पर खर्च कर रहे हैं तो विकास क्या करेंगे। सेन्ट्रल ग्रांट हमें 28 हजार करोड़ मिलती है इस तरह से 34 हजार करोड़ रु0 विकास पर लग रहे हैं। सरकार इन चीजों पर अंकुश नहीं लगायेगी, मितव्ययता पर अंकुश नही लगायेगी तो कैसे कर पायेंगे। यह बात कही जाती है कि ग्रोथ रेट को हम दस प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं। जब मान्यवर हमारी सरकार आयी थी उस समय एक प्रतिशत यह थी जिसको बढ़ाकर हम लोगों ने 6 प्रतिशत तक किया। इसे नियोजित तरीके से किया था। जब हमने नियोजन ठीक किया और शिकंजा कसा तथा मितव्ययता के बारे में कदम उठाये। अन्यथा उत्तर प्रदेश में यह जो बजट इतने आकार का आया है वह नहीं आ पाता। मात्र बदले की भावना से बजट प्रस्तुत करना पिछली सरकार की योजनाओं को काटना यह कहां उचित है। अगर योजनाओं को समाप्त कर रहे हैं तो उसका विकल्प आपको प्रस्तुत करना चाहिये था। आज उत्तर प्रदेश के ऊपर इस समय एक अरब 37 करोड़ 451 लाख का कर्जा है। प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ रु0 का कर्जा बढ़ता जा रहा है। साल के अन्त तक उत्तर प्रदेश में कर्जे की राशि एक अरब, 48 करोड़, 909 लाख रु0 हो जायेगी। आज उत्तर प्रदेश में जो बच्चा जनम ले रहा है वह करीब 8959 रुपये का कर्ज लेकर जन्म ले रहा है आज आखिर जो बच्चा जन्म ले रहा है उस पर किस बात का कर्जा और अगर भारत सरकार का भी कर्जा देख लें तो एक व्यक्ति पर 20 हजार

रुपया प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जो बच्चा जन्म ले रहा है उस पर कर्जा है। आखिर इस कर्जे को हमने वापस नहीं किया और इस कर्जे की वापसी के लिये हमने एक नियंत्रण नहीं किया तो ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि उत्तर प्रदेश में लोग ऋण देना बन्द कर दे और उत्तर प्रदेश का विकास एकदम ठप हो जाय। यह जो आंकड़े हैं यह आंकड़े इन्हीं के बजट के हैं मेरे आंकड़े नहीं है। सरकार को गम्भीरता से इन पहलुओं पर विचार करना चाहिये कि आखिर कौन से ऐसे पहलू हैं जिसमें इतने ऋण लेने पड़े और ऋण लेकर विकास करने वाली बहुत पापुलर सरकार नहीं होती है जनता में उसका आधार बहुत नहीं बनता। मैं तो यह मानता हूं कि विकास को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिये। यह हम सभी की जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी विधायकों की जिम्मेदारी है कि हम विकास में अपना योगदान दें। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि प्रदेश में विकास की प्राथमिकता नहीं तय करी गयी। आज यह कहा जा रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 2000 करोड़ रुपये पब्लिक अंडर टेकिंग से और 6000 करोड़ रुपये हम निजी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में पूंजीनिवेश करायेंगे। कैसे कौन पूंजीनिवेश करेगा ? हां, पिछली सरकार ने जो पूंजीनिवेश के लिये हमने जो नीतियां बनाई थी सारी नीतियां पलट दी गयीं उत्तर प्रदेश में कोई प्राथमिकता तय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जब तक सरकार अपनी प्राथमिकता तय नहीं करेगी, आज सरकार यह तय कर ले कि इन्फ्रास्ट्रक्चर हमारी प्राथमिकता है, उद्योग हमारी प्राथमिकता है, बेरोजगारी मिटाना हमारी प्राथमिकता है और यह प्राथमिकता जो भी सरकार आयेगी उसके लिये यह तो प्राथमिकता रहेंगी ही इसके अलावा सरकार ने जो भी घोषणायें की हैं, सरकार की जो योजनायें हैं वह योजनायें साथ में काम करेंगी तब तो समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में पूंजीनिवेश हो सकता है लेकिन इन हालात में जहां बदले की भावना से आज मैं पेश कर रहा हूं कि पिछली सरकार के इतने निर्णय बदल दिये गये। हम लोगों ने कहा था कि एक पैरा मेडिकल कालेज खोला जायेगा, 2 इंजीनियरिंग कालेज डा0 लोहिया ला इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है एक पैसे के बजट का प्राविधान नहीं किया गया। देश का सर्वोत्तम ला इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा था। आखिर क्यों नहीं दिया उसके लिये पैसा, लोहिया पार्क जो इतना पापुलर है उसके रखरखाव के लिये एक पैसा नहीं, श्रीमन् कन्या विद्या धन योजना बन्द कर दिया, दिल्ली से नोएडा मेट्रो ट्रेन चलनी थी उसके लिये कोई बजट में प्राविधान नहीं किया गया। आखिर मेट्रो ट्रेन अगर दिल्ली नोएडा के बीच हो जायेगी तो नोएडा विकसित ही होगा। उत्तर प्रदेश का वह पार्ट ज्यादा आगे बढ़ेगा। गांवों में तालाब योजना, यह पहला बजट है जिसमें महिलाओं के लिये कोई योजना दी ही नहीं है। एक शब्द भी महिलाओं के लिये नहीं कहा गया है। हम लोगों ने कामन जेन्डर बजट दिया था कि 33 प्रतिशत हिस्सा कुल बजट का महिलाओं के विकास के लिये खर्च करेंगे, लेकिन इस बजट में एक पैसा महिलाओं के विकास के लिये नहीं लगाया गया। कोई योजना ही नहीं बताई गयी आखिर इसका कारण क्या है। अल्पसंख्यकों के लिये एक नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। माइनारटीज की सारी योजनाओं को काट दिया गया। मैंने इनका बजट भाषण देखा सिर्फ दो योजनाएं माइनारटीज के लिये है उनको छात्रवृत्ति और सरकारी सहायता।

हमारे जमाने में माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बजट दिया था उस समय उत्तर प्रदेश माइनारटीज के लिये हम लोगों ने कम से कम 9 योजनायें दी थी, जब तक माइनारटीज को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, जब तक उच्च शिक्षा नहीं देंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे तो माइनारटीज के लोग समान रूप से हमारे साथ कैसे आ सकेंगे। हमने माइनारटीज के लिये आई0टी0आई0 खोलने की बात करी थी, इण्डस्ट्रीज लगाने की बात करी थी, उनको अच्छी शिक्षा देने की बात करी थी, उनको आधुनिक जीवन में लाने की बात करी थी, अरबी फारसी मदरसों को मदद देने की बात करी थी आखिर क्यों काट दिया गया उसकी सरकार आखिर इसका स्पष्टीकरण तो दे। माइनारटीज की संख्या उत्तर प्रदेश में कम थोड़े ही है 17-18 प्रतिशत माइनारटीज को इस तरह से उपेक्षित कर दिया गया। 50 प्रतिशत महिलाओं की आबादी, एक योजना नहीं महिलाओं के लिये, पूरे बजट में कोई चर्चा नहीं महिलाओं के लिये। इसका क्या कारण है श्रीमन्, अगर नई सरकार ने इन चीजों को सुधारा, अगर सरकार घमंड, गुरूर में चलती रही, बहुमत के आधार पर उसने सोचा कि हम जो चाहेंगे, वह कर लेंगे तो ठीक है, बहुमत के आधार पर सदन में सब चीज पास हो जायेगी। लेकिन संदेश क्या जाता है। हम यह कह रहे हैं कि सुझाव देना हमारा कर्तव्य है, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश के विकास में हम अपना योगदान दें। हम खाली विपक्ष के लिये यह बात नहीं कह रहे कि हम विपक्ष में है तो हमें आलोचना करनी है। लेकिन वाकई में जो चीजें नहीं लाई गयी हैं अगर हम उनको सरकार के सामने नहीं रखेंगे तो लगेगा कि जैसे हम सत्यता सरकार के सामने नहीं रख पा रहे हैं। श्रीमन् हम लोगों ने अधिवक्ताओं के चेम्बर बनाने की योजना बनाई, आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में अधिवक्ताओं के चेम्बर बने हैं। सरकार ने वह योजना समाप्त कर दी। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये कोई योजना नहीं है। नक्सलवाद नहीं रोकेंगे, उनको शिक्षा रोजगार नहीं देंगे तो नक्सलवाद और बढ़ता चला जायेगा। सारी योजना काट दी गयी। त्वरित विकास योजना, लोहिया विकास योजना, लोकतंत्र सेनानी सम्मान योजना, भूमि सेना योजना, ऐसा लग रहा है जैसे यह अनुपयोगी योजना थीं, आखिर इन योजनाओं को काटने का कारण तो बतायें, उनका विकल्प क्या हुआ, उस विकल्प को बताना चाहिये लेकिन कहीं कोई विकल्प नहीं है। मैंने इस सरकार का पूरा बजट पढ़ा है। एक भी कहीं कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। श्रीमन्, में तो चाहूंगा कि एक योजना के तहत उत्तर प्रदेश में विकास हो और मेरा मानना है कि विकास के लिये चार तत्व आवश्यक है अच्छा नियोजन, अच्छे नियोजन पर अच्छा क्रियान्वयन, उसकी मानीटरिंग और विकास योजना का समय-समय पर मूल्यांकन। श्रीमन् 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हो गयी है, यह पहला वर्ष है, अभी तक न तो केन्द्रीय योजना आयोग ने कोई 5 वर्ष की योजना बनाई और न उत्तर प्रदेश के योजना आयोग ने कोई योजना बनाई। बिना योजना के तरीके से अगर विकास किया जायेगा तो सुनियोजित विकास नहीं होगा। आज गांव प्रधान अपने यहां विकास कर रहा है, क्षेत्र समिति अपने लिये विकास कर रही है, जिला पंचायत अपने यहां विकास कर रही है, सरकार अपने हिसाब से विकास कर रही है बिना प्लानिंग के इस तरह विकास हो रहा है, वह अनप्लांड विकास विषम परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में पैदा करता जा रहा है। मुझे याद है एक जमाने में राज्य सरकार का जितना बजट था,

उसका 80 प्रतिशत जिले में जाता था। जिले में योजना समिति की बैठक होती थी और वह उस पैसे का पूरा प्लान बनाकर भेजते थे। यानि की जिले से प्लान बनकर आता था, क्या-कया आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप राज्य के प्लान में सम्मिलित किया जाता था। अब तो वह योजना भी खत्म कर दी गयी, वह भागीदारी भी खत्म कर दी गयी। प्लानिंग में विधायकों की, एम0 पी0 की कोई भागीदारी नहीं रह गयी। अनियोजित प्लान के अन्तर्गत अगर उत्तर प्रदेश में विकास करने की बात की गयी तो उत्तर प्रदेश में विकास नहीं दिखेगा। तभी बहुत शिकायतें आती हैं, सरकार को इस पर गम्भीरता से सोचना होगा कि जब तक हम अपना पूरा पंचवर्षीय पूरा प्लान नहीं बना लेंगे, अपनी प्राथमिकतायें नहीं तय कर लेंगे, जब तक राज्य का पूरा प्लान नहीं बन जाय और उस प्लान के अन्तर्गत काम नहीं होगा, तब तक राज्य का अनियोजित विकास होगा और हम कहेंगे कि हमने विकास पर पैसा खर्च कर दिया, हमने 70 प्रतिशत पैसा ग्रामीण विकास के लिये खर्च किया लेकिन सत्यता में वह परिणित नहीं होगा। श्रीमन् सरकार ने कभी घाटे का कारण सोचा। आज 100 ऐसे निगम हैं जो घाटे में चल रहे हैं एक जमाने में रूस हमारा आदर्श था हमने कम्युनिस्ट पैटर्न को एडाप्ट किया। 1974 में आदरणीय बहुगुणा जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। निगम बनाने की होड़ चली निगम के माध्यम से सरकार ने तमाम कर्जा लिया और उस कर्जे के तहत निगम बनते चले गये और आज उत्तर प्रदेश में घाटे का सबसे बड़ा कारण निगम है। क्यों नहीं उन निगमों की समीक्षा की जाती, सार्वजनिक उद्यम विभाग करें, जो निगम घाटे में है, क्यों नहीं उनको बंद कर दिया जाय जिससे घाटा और न बढ़े। बंद करने के बजाय उन निगमों में तमाम उपाध्यक्ष तैनात कर दिये गये। घाटे के निगम और पैसा बारों करेंगे उनके ऊपर और कर्जा बढ़ाया जायेगा और निगम और घाटे में बढ़ते चले जायेंगे। पावर कारपोरेशन के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, वह तो जरा देर में कह देंगे कि आपके जमाने में नरेश जी सब खत्म हो गया था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी हम तो सुझाव दे रहे हैं, अगर आप उन सुझावों को स्वीकार करेंगे तो अच्छा है। हमारे जमाने में खराब हो गये चलिये आप ही अच्छा कर दीजिये। हम कब कहते हैं लेकिन आप करें तो अच्छा है। छापामारी की जगह अगर 11 केवीए की सारी लाइन पर मानीटरिंग करके एक-एक लाइन को देखिये कि उस लाइन पर कितनी बिजली आयी और कितनी बिजली गयी, अगर इतना आप देख लेंगे तो बिजली चोरी अपने आप रुक जायेगी, विभाग के लोगों को आप इस काम में लगाइये। मैं अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दे रहा हूं, मंत्री अगर जाकर छापा मारे यह अच्छा नहीं लगता, आखिर यह अधिकारी किसलिये है आप इन्हें आदेश दें कि वह चौकस रहें, अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स कीजिये कि वह इतनी जगह जायेंगे और रिपोर्ट देंगे और आप उन पर अंकुश लगाइये। आप अपीलीय कोर्ट हैं यदि आप ही हर जगह जाने लगेंगे तो जब जनता के साथ अन्याय होगा तो वह किसके पास जायेगी। आप अधिकारियों से काम करायें, रिपोर्ट मंगायें और उसके आधार पर जनता के साथ न्याय करें, इन कामों से मैं समझता हूं कि जरूर बिजली की स्थिति में सुधार होगा।

सहकारिता पर बात करें आज सहकारिता की स्थिति अच्छी नहीं है। सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक सब घाटे में हैं, आखिर यह घाटे में क्यों चले गये ? ऐसे तो प्रदेश सरकार हर साल उन्हें पैसा देते जायेंगे ताकि प्रदेश सरकार के पैसे से वह फिर से जिन्दा हो जाएं और किसान कर्ज लेकर अपनी खेती कर सकें। मान्यवर, घाटा बढ़ता चला जाएगा, तो फिर जी0 डी0 पी0 10 परसेंट कैसे हो पायेगा। अगर आपने व्यय पर अंकुश नहीं लगाया, अगर आपने प्लान को सही तरीके से नहीं लागू किया तो फिर कैसे होगा ? एक जमाना था उत्तर प्रदेश के विकास के लिये भारत सरकार में स्पेशल बैठक की जाती थी हर प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिये अलग से बैठक की। क्योंकि हमारा यह सौभाग्य रहा है कि अधिकांश प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुये हैं। आज भी प्रधान मंत्री लिखा पढ़ी में भले ही उत्तर प्रदेश से न हों लेकिन असली प्रधानमंत्री आज भी उत्तर प्रदेश के हैं। मैं तो माननीया मुख्य मंत्री जी से आह्वान करूंगा कि दिल्ली की सरकार पर दबाव बनायें कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिये एक बैठक को बुलायें। आखिर कितनी योजनायें हमारी केन्द्र में लम्बित हैं, क्यों नहीं यह योजनायें क्लियर होतीं। अगर यह योजनायें क्लियर हो जायें तो उत्तर प्रदेश का विकास अपने आप हो जायेगा। आज दक्षिण भारत के एम0 पी0 दलीय भावना से ऊपर उठकर अपने प्रदेश के विकास के लिये केन्द्रीय मंत्रियों पर दबाव बनाते हैं लेकिन क्या हमारे मंत्री लोग भी इस पर विचार करते हैं, कभी इस पहलू पर विचार किया गया ? मैं तो आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आपके इतने अच्छे रिश्ते हैं केन्द्र सरकार से, ठीक है हमारा टकराव रहा, तो आप उत्तर प्रदेश के विकास से सम्बन्धित एक बैठक को बुलवा लें जिस पर एक-एक मद पर चर्चा हो जाय और केन्द्र सरकार से कितनी सहायता मिल सकती है और केन्द्र सरकार से क्या-क्या मिल सकता है। इन सबको जब तक नहीं ले करके आयेंगे तब तक उत्तर प्रदेश के साथ न्याय नहीं होगा। यह ठीक है कि राजनीतिक रूप से हम सबसे आगे हैं लेकिन अगर हम आर्थिक रूप से उत्तर प्रदेश को आगे न बढ़ा पायें, पूंजीनिवेश न करा पाये तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे। वित्त आयोग ने तमाम संस्तुतियां भेजी हैं, श्रीमन् वित्त आयोग से बहुत पैसा मिल जाता है। मान्यवर, लाइट जल रही है, अभी तो बहुत सारी बातें कहनी हैं।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, एक समय सीमा निर्धारित है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हम लोग तो अपना तजुर्बा देते हैं। मान्यवर, नये सदस्य तजुर्बे के आधार पर कुछ सीखेंगे। मुझे याद है, दसवां वित्त आयोग उत्तर प्रदेश में आया था, हम लोग मिलने गये थे, उनके सामने उत्तर प्रदेश की तमाम परिस्थितियों को रखा था, वित्त आयोग ने तमाम सुझाव दिये थे। क्या सरकार ने उसको पढ़ा, उनको लागू किया ? वित्त आयोग से कितना पैसा ले रहे हैं, जो मिल सकता है उस पैसे को आप क्यों न लें। इसको सरकार को गम्भीरता से लेना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के साफ आदेश हैं सी0डी0 रेशियो के हिसाब से जिस प्रदेश में जितना पैसा प्रदेश का बैंकों में जमा होगा उस जमा पैसे का 60 प्रतिशत प्रदेश के विकास पर खर्च होगा। लेकिन आज उत्तर

प्रदेश में जो बैंकों में पैसा जमा हो रहा है उसमें मुश्किल से 40 प्रतिशत उत्तर प्रदेश के विकास के लिए खर्च हो रहा है और 60 प्रतिशत बाहर के प्रदेशों के विकास के लिए जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं प्रमोद तिवारी जी के इलाहाबाद से शुरू कर रहा हूं, इलाहाबाद में बैंकों में जितना पैसा जमा होता है उसका 23.23 प्रतिशत केवल वहां के डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहा है बाकी पैसा बाहर जा रहा है इसी प्रकार बरेली में 37.81, देवरिया में 35.79, इटावा में 39.14, झांसी में 32.84, प्रतापगढ़ में 29.82 और हमारे जिला हरदोई में 31.64 प्रतिशत वहां के विकास पर खर्च हो रहा है। क्यों नहीं बैंकों के चेयरमैनों को बुलाया जाता है ? मा0 वित्त मंत्री जी बैंकों के चेयरमैन को बुलायें और कहें कि इतना पैसा हमारे प्रदेश का आपके बैंकों में जमा है, रिजर्व बैंक की गाइड लाइन है उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्यों नहीं देते हैं ? जे0बी0सी0 को भी बुलाना चाहिए, नाबार्ड, एशियन बैंक तमाम बैंक हैं जो प्रदेश को ऋण देना चाहते हैं कम ब्याज पर, उनसे क्यों नहीं पैसा लेकर विकास किया जाता है। अगर सी0डी0 रेशियो को नहीं पूरा किया तो क्या यह न्याय होगा ? रिजर्व बैंक की गाइड लाइन्स टूटती है और हम मूकदर्शक बने हुये हैं। मेरा सुझाव है कि सारे बैंकों के चेयरमैन को मुख्य मंत्री जी बुलायें, प्लानिंग कमीशन के लोग बैठें, हमारे फाइनेंस के लोग बैठें, आंकड़े रखकर बतायें कि इतना पैसा जमा है। जब तक आप अपना हिस्सा नहीं लेंगे तब तक उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड की निधि बहुत सालों से चली आ रही है उससे कितना विकास हुआ इस प्रदेश का ? बुन्देलखण्ड के हमारे भाई विवेक सिंह जी कहते हैं कि वहां पर भुखमरी है, पूर्वांचल वाले कहते हैं कि पैसा विकास के लिए जाता है लेकिन वह पता नहीं कहां लग रहा है ? प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल है। बुन्देलखण्ड में पीने के पानी की समस्या है, सड़क नहीं है, उद्योग व रोजगार नहीं है, बुन्देलखण्ड में एक फसल ले लें तो बड़ी बात है। पूर्वांचल में बरसात आयेगी तो पूरा क्षेत्र डूब जायेगा, महामारी से ग्रस्त हो जायेगा। उस पैसे को नियोजित तरीके से क्यों नहीं खर्च किया। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि मध्यांचल निधि भी बनाया जाना चाहिए। आदरणीय टण्डन जी बैठे हैं, खन्ना जी हैं, मा0 हुकुम सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, हमने मध्यांचल और पश्चिमांचल निधि की बात कही थी। सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। जहां तक प्रदेश के सर्वांगीण विकास करने की बात है तो प्रदेश के सारे हिस्सों के लिए निधि बननी चाहिए। यदि सही तरीके से खर्च करें, तो प्रदेश का विकास होगा। कृषि के क्षेत्र को ले लें। आज जोतें अलाभकारी होती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, अलाभकारी खेती के कारण आज उत्पादन कम हो गया है, अन्न की समस्या पैदा हो गयी है। सरकार ने बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। माननीय कृषि मंत्री लक्ष्मी नारायण जी बैठे हैं जब वह बजट भाषण में अनुदान मांगे रखे तो अलाभकारी जोतों को कैसे लाभकारी बनाया जाये इसके बारे में भी प्रकाश डालें। आज गांव का बच्चा शहर भागने लगा है, अगर सब शहर भागने लगेंगे तो फिर खेती करने वाले नहीं मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, 15 मिनट मा0 दलीय नेताओं को और 5 मिनट का समय सदस्यगण के लिए निर्धारित हुआ था।

अग्रवाल जी 20 मिनट हो गए हैं। अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं आपके सामने कुछ दर्पण रखना चाहता हूं, सरकार के सामने दर्पण रखना चाहता हूं कि राज्य की क्या स्थिति है ? आइना दिखा रहा हूं। इलाहाबाद में 90 प्रशितात जोतें अलाभकारी हैं। बनारस में 90 प्रतिशत जोतें अलाभकारी हैं। प्रदेश में 1018.09 हेक्टेयर जोतें अलाभकारी हैं। उत्तर प्रदेश में 92.6 प्रतिशत जोतें अलाभकारी हैं। इतने बड़े प्रतिशत खेती अलाभकारी हो जाएगी तो जो प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जिसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तो यह कृषि पर आधारित राज्य कैसे रहेगा ? सरकार को इसको गम्भीरता से देखना चाहिए। ऐसा न हो कि किसान खेती करना छोड़ दे इससे प्रदेश के सामने अन्न की समस्या पैदा हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी हमारा सहयोग करिए। आपको 22 मिनट हो गए हैं। आपका निर्धारित समय समाप्त हो गया है। अब समाप्त करिए क्योंकि नए सदस्यों को भी हमें अवसर देना है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, हम सहयोग कर रहे हैं। हम तो अपने सुझाव देकर सहयोग कर रहे हैं। जहां तक सिंचाई की बात है उत्तर प्रदेश में 35 प्रतिशत जमीन सिंचित है 65 प्रतिशत जमीन असिंचित है। सिंचाई की 40 परियोजनाएं लम्बित है उनमें वर्षों से काम नहीं हो पा रहा है। आपको दिल्ली की सरकार के साथ बैठकर लम्बित योजनाओं पर पैसा लाकर उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। जैसा कि हुकुम सिंह जी ने कहा था कि आप टेल तक पानी तब पहुंचाएंगे जब नहर होगी जब नहर ही नहीं होगी तो टेल तक पानी कैसे पहुंचाएंगे इस पर सरकार को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। श्रीमन् व्यापारियों के सम्बन्ध में कहना है। सरकार ने कहीं स्पष्ट नहीं किया कि उत्तर प्रदेश में वैट लागू होगा कि नहीं सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। कहीं बयान आता है कि वैट लागू करेंगे कहीं आता है कि व्यापारियों की राय जानने के बाद निर्णय लिया जायेगा। वैट के बारे में स्पष्ट नीति व्यापारियों के सामने आनी चाहिए। धारा 3/7 उत्तर प्रदेश में फिर से लागू की जा रही है। धारा 7/16 लागू होने जा रहा है। पूर्व में हमारी सरकार के समय तहबाजारी समाप्त की गई थी इसे समाप्त किया जायेगा या फिर से लागू किया जायेगा इसके बारे में सरकार को जल्दी सोचना चाहिए। पी0डब्लू0डी0 का बजट पिछले साल से कम हुआ है लेकिन बजट में कहा गया कि पिछले साल की तुलना में 25 प्रतिशत बजट बढ़ा है। पी0डब्लू0डी0 के बारे में बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। इस विषय को मैंने पहले भी उठाया है कि जो पुल और सड़कें अधूरी हैं उनको पहले पूरा कराया जाना चाहिए तभी प्रदेश का सुनियोजित विकास होगा क्योंकि पुल या सड़क एक या दो लोगों के लिए नहीं होते हैं। इस पर सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए। नेशनल हाई वे उत्तर प्रदेश में सबसे कम हैं आन्ध्र प्रदेश में नेशनल हाई वे 70 प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में केवल 40 प्रतिशत नेशनल हाई वे हैं क्यों उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार है ? नेशनल हाई वे अगर ज्यादा

प्रतिशत में होगा तो पी0डब्लू0डी0 के बजट का बहुत सा पैसा भारत सरकार से नेशनल हाई वे के रूप में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार के रूप में जो पैसा मिलेगा उसको लागू करने में सरकार की क्या प्राथमिकता होगी यह कहीं बजट में नहीं दिया गया है। नेशनल हाई वे में जो राष्ट्रीय एवरेज है उतना प्रतिशत उत्तर प्रदेश का होना चाहिए और एक सुनियोजित तरीके से उत्तर प्रदेश में सड़कों की जो मांग है उसको ठीक तरीके से करने की व्यवस्था की जाय। श्रीमन्, दो चीजें और कहना चाहता हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश करने का मौका मुझे एक बार मिला था। मैं विभाग के अधिकारियों से मिला तो मुझे पता चला कि डब्ल्यू0एच0ओ0 से जो पैसा हमको मिलता था वह हम नहीं ले पा रहे हैं। भारत सरकार से हमको जो ग्राण्ट मिलती थी, हम उसको नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम उस पैसे का उपयोग नहीं दे पा रहे हैं। अगर हमको उसका उपयोग दे दिया होता तो डब्ल्यू0एच0ओ0 से हमको पैसा मिलता।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी अब आप समाप्त करें। आपको 25-30 मिनट हो गया है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मैं अंत में इस सरकार से यह कहूंगा कि कानून व्यवस्था के हम सब पक्षधर हैं लेकिन कानून व्यवस्था के नाम पर बदले की भावना से किसी एक दल विशेष के सदस्यों के साथ कार्यवाही की जाय और इस तरह का संदेश जनता में जाय कि एक दल विशेष के खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है तो यह प्रजातंत्र के लिये ठीक नहीं होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये सभी दलों के साथ बैठक करें, हम सब आपका सहयोग देंगे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो इसके विकास के लिये हम सबको मिलकर सोचना होगा। इसके साथ ही अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उनको ग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

हर दल की तरफ से माननीय सदस्यों के नाम की सूची मिली है और उसके हिसाब से व्यवस्था है कि इधर के और उधर के माननीय सदस्यों को बारी-बारी से बोलने का अवसर दिया जायेगा। इससे सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से आप लोगों के लिये समय निर्धारित है आप लोग पांच-पांच मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करें। अब मैं श्री भीम राव अम्बेडकर जी को बुला रहा हूं कि वे बजट पर अपनी बात पांच मिनट में कह कर समाप्त करें।

श्री भीम राव अम्बेडकर-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद हैं, वैसे तो मैं नया सदस्य हूं और आज सदन में पहली बार आपकी कृपा से बोल रहा हूं। जैसा कि हमको प्रबोधन कार्यक्रम में जो सिखाया गया है उसी क्रम में.....

श्री अध्यक्ष-

आप बजट पर अपनी बात कहें।

श्री भीम राव अम्बेडकर-

मान्यवर, मैं भी उसी जनपद से चुनकर आया हूं जहां से हमारे नेता प्रतिपक्ष आये हैं। वहां की चार विधान सभा सीटों में से जो लखना आरक्षित सीट है मैं वहीं से चुनकर आया हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जहां तक माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो बात कही है। कल भी संतुलित और असंतुलित विकास की बात कही गई थी। इटावा जनपद की बात होती है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में सर्वाधिक धन पिछली सरकार में इटावा जनपद को दिया गया, यह सही बात है लेकिन वहीं हमारा जो विधान सभा क्षेत्र हैं वहां पर आज भी पीने के पानी की समस्या है। सहसों ग्राम पंचायत के नंदा गांव में चम्बल नदी से पानी पीने के लिये लाना पड़ता है। अभी वहां पर दो महिलायें एक मां-बेटी पानी भरने के लिये गई थीं जो नदी में डूब कर मर गईं। मैं पिछले साढ़े तीन, पांच या दस साल की बात नहीं करना चाहता। जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने इस प्रदेश के गांव के गरीब किसानों के पास जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वह नहीं पहुंचाई हैं। गरीब मजलूमों को रोजी रोटी जो उनकी मुख्य आवश्यकता है वह मिलनी चाहिए। गांवों में जो भी विकास होता है चाहे वह ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत या जिला पंचायत, हो या विधायक निधि द्वारा कराया जाता है उसमें सड़कों, नालियों, नहरों की सफाई का जो भी कार्य होता है वह जे0बी0सी0 मशीन से होता है। मजदूरों के ऊपर मशीन हावी हो गई है पूरे प्रदेश में मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और हम सत्तापक्ष की तरफ से सदस्य हैं। बजट के स्वागत के साथ पूरे सदन के लोग सुझाव रखते हैं। हमारा यह भी सुझाव है कि गांव में गरीब आदमी की बात होती है तो पहले उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। इटावा जनपद में जब हम देखते हैं तो एक तरफ तो त्वरित आर्थिक विकास की बात होती है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत लगभग 80 सड़कें पूरे जनपद में डामरीकरण के लिए प्रस्तावित की गई। उसमें तीन विधान सभा क्षेत्रों की जसवन्तनगर विधान सभा क्षेत्र, भरथना विधान सभा क्षेत्र, इटावा विधान सभा क्षेत्र की पूरी सड़कें बन गई लेकिन लखना विधान सभा क्षेत्र की जो 15 सड़कें प्रस्तावित थीं उनका पैसा भी गया लेकिन एक भी सड़क नहीं बनी। माननीय अध्यक्ष जी, जब तक प्रदेश में संतुलित विकास नहीं होगा तब तक यहां बैठकर कोई भी बात की जाए वह व्यर्थ है। हम गांव गरीब की बात कहते जरूर हैं लेकिन हम उसका विकास कर नहीं पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो अभी थोड़ी देर पहले बड़े पैमाने पर मिट्टी के तेल की समस्या की थोड़ी सी चर्चा हुई। उससे हमारे सदस्य उत्तेजित थे यह सही है जिसकी चिन्ता करते हैं, चिन्ता करने में हमें ऐसा लगता है कि होड़ लगती है कि हम ज्यादा चिन्ता करते हैं लेकिन हकीकत में जो हमारी पूर्व सरकार रही है या जो हमारी वर्तमान सरकार हैं हम अपने जनपद की बात इसलिए करते हैं क्योंकि एक दिन यह बात आई थी। हमारे प्रदेश में एक गांव है सैफई, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का गांव है उनका जन्मस्थान हैं, हमें भी गर्व है कि यह बहुत विकसित हुआ। हवाई अड्डा भी है हो सकता है कि वहां कभी पहुंचे, लेकिन उस हवाई अड्डे पर

इसलिए कोई नहीं जाता है क्योंकि आदमी को सबसे पहले स्वाभिमान की चिन्ता है आदमी के दिल से जब डर खत्म हो तभी वह हवाई अड्डे पर जाएगा। तभी वह सैफई का मेला देखने आएगा। जब आदमी के अन्दर डर घुसा होगा वह सड़कों पर चल नहीं सकता है तो वह कहां से इन सुविधाओं को देख सकता है। इसलिए मा0 अध्यक्ष जी हमारा यह विनम्र निवेदन है सरकार का जो बजट है उसका मैं पूरी तरीके से स्वागत करता हूं। पहली बार, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं मैंने अर्थशास्त्र में बजट पढ़ा था वह तो किताबों में पढ़ा था पहली बार हमने इतना अच्छा बजट, जिसमें गांव के गरीब के लिए, मजदूर के लिए, कमजोर के लिए, मजलूम के लिए, छात्र के लिए, ऐसी योजनायें प्रस्तावित की गई हैं जिससे हर वर्ग का विकास होगा। मा0 अध्यक्ष जी आपने हमें बोलने का समय दिया आपकी कृपा से मैं इस सदन में बोला हूं, मैं सदन के माध्यम से इस बजट का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कल से जो चर्चा चल रही है वास्तव में बहुत प्रभावशाली चर्चा रही। सिद्धान्तों पर रही। जो विषय चर्चा का रहा वह सराहनीय रहा। मैं उस चर्चा को जमीन पर लाना चाहता हूं। क्योंकि बहुत साहित्यिक नहीं हूं और बहुत अलंकृत भाषा भी मेरी नहीं है। सामान्य किसान की, सामान्य छात्र की, सामान्य व्यक्ति की, समस्याओं का उल्लेख मैं आज की चर्चा के माध्यम से करना चाहता हूं। मैंने यह देखा बजट भाषण जब यहां पढ़ा जा रहा था तो जितने भी विभाग थे तो सबकी तुलना यह की जा रही थी कि किस विभाग में कितने धन का प्राविधान हुआ। पहले जो प्राविधान हुआ था उससे 15 प्रतिशत अधिक है उससे 25 प्रतिशत अधिक है और बराबर जहां अधिक का शब्द आता था कि पहले से अधिक है बड़े उत्साह के साथ मा0 सदस्य मेजें थपथपाते थे। बहुत बड़ी उपलब्धि उसको मान रहे थे। मान्यवर, मेरे लिए उपलब्धि, प्राविधान को बढ़ा देना, या कम कर देना नहीं है मेरे लिए आंकलन यह है कि पहली बार जमीन के ऊपर हमें सामान्य व्यक्ति को क्या सुविधा मिल रही है ? मैं एक-एक विभाग पर, तीन चार विभाग के बारे में कहना चाहूंगा कि वास्तविक स्थिति है क्या ? शिक्षा की बात करते हैं शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जब शिक्षा पर बात करते हैं तो लगता है कि शिक्षाविद की तरह से हम चर्चा करते हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि प्राथमिक शिक्षा की बात करें मान्यवर, तो प्राविधान बढ़ा, लेकिन प्राविधान बढ़ा क्यों ? यह तो केन्द्र सरकार की योजना है और केन्द्र सरकार की योजना है कि इतने विद्यालयों का इतने प्राथमिक छात्रों के भवनों का निर्माण होगा। केवल भवनों का निर्माण कर देने से, क्या आप समझते हैं कि जो हमारी अपेक्षा है, पूरी हो गई ? यहां 400 के करीब जन प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा सरकार एक व्यवस्था कर दे, हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी कर दे कि वह अपने क्षेत्र के जितने भी विद्यालय बने हुए हैं, जो एक साल, दो साल पहले बने हों, कम से कम यह स्पष्ट कर दें कि कितने अध्यापक वहां पर कार्यरत हैं ? पता लग जायेगा। केवल भवन निर्माण करके दायित्व की इतिश्री हो जायेगी, इससे इतिश्री नहीं होगी। यह तो जनता के साथ धोखा है। जब हम शिलान्यास करने जाते हैं, बड़ी खुशी होती

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं और हम कहते हैं कि विद्यालय खुलवा दिया लेकिन जब हम साल भर बाद वहां जाते हैं तो वहां पर ताला लगा मिलता है, न अध्यापक है न शिक्षा मित्र। उसके दरवाजे टूटे पड़े मिलते हैं। तो विभाग के लिए जो प्रावधान किया गया है, उससे ऐसा काम हो जिसका लाभ जनता को मिल सके।

मान्यवर, आप देखें, जितने भी मंत्री हैं, जब भी आप प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहेंगे, बीच में या अन्त में 'बहन मायावती के नेतृत्व में हमारी सरकार यह करके दिखायेगी, वह उपलब्धि करके दिखायेगी' यह कहते हैं। वह सामने तो आए। संसदीय कार्य मंत्री जी आपकी योग्यता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगने वाला है और अच्छे-भले आदमी हैं। जितने भी सत्तापक्ष के विधायक हैं, वह गोपनीयता से लिख दें कि जितने विद्यालय बने हुए हैं, उनमें अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, शिक्षा मित्र की नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है, पता लग जायेगा। मैं एक गांव गया था वहां एक मौत हो गई थी, मैंने सोचा कि छोटे-छोटे बच्चों को आशीर्वाद दे दें, पूछा तो मालूम हुआ कि खिचड़ी खाने गए हैं। दोपहर का समय हो गया है, खिचड़ी खाने गए हैं। वह यह भी कह सकते थे कि स्कूल गए हैं। मान्यवर, उनकी प्राथमिकता तो दलिया और खिचड़ी की रह गई है तो शिक्षा कहां मिलेगी ? ग्रामीण अंचलों में अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं लेकिन बगैर उचित व्यवस्था के कैसे वहां के बच्चे अच्छी नौकरी पर पहुंच पायेंगे यदि हमने नींव ही कमजोर करके रख दिया ?

मान्यवर, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आती है। माध्यमिक शिक्षा की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है, वहां तीन तरह की व्यवस्था है। एक तो राज्य के कालेज हैं, दूसरे एडेड और तीसरे प्राइवेट हैं। जहां तक एडेड वाला मामला है, वहां अध्यापक कभी जाते नहीं हैं, मंत्री जी जाकर देखना चाहें कि कितने स्कूलों में बराबर पढ़ाई चल रही है। मान्यवर, मैंने भी एक पाप कर दिया था। जब मैं मंत्री था, बड़ी इच्छा थी कि अपने क्षेत्र में काम करूं। मैंने भी महिलाओं के लिए एक राजकीय इण्टर कालेज बनवा दिया। सबसे बड़ा पश्चाताप है कि यह पैसा और कहीं लगा देते तो अच्छा होता। मैंने पंखें लगवा दिए, वहां पर भवन है लेकिन उन्होंने प्रण कर लिया कि पढ़ाने नहीं जायेंगे। हमने निदेशक से लेकर जिलाधिकारी, डी0आइ0ओ0एस, सबसे प्रयास कर लिया लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। यह स्थिति लगभग हर राजकीय इण्टर कालेज की है जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं। इसलिए कोशिश होनी चाहिए, त्रिपाठी जी चले गये, उच्च शिक्षा मंत्री, अभी बातों से भी और आंखों से भी इशारा कर रहे थे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आपको ?

श्री हुकुम सिंह-

बहुत अच्छे मित्र हैं।

मान्यवर, यह छात्रनेता भी रहे हैं और वह मेहनत भी करेंगे ऐसा मुझे विश्वास है। आज स्थिति यह है कि जो ग्रामीण अंचल के कालेज हैं मान्यवर, मैं पूरे प्रदेश की बात कह रहा हूं।

मान्यवर, अगर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय में जाकर देखें तो वहां के पढ़ाई के समय में मात्र 10-15 प्रतिशत छात्र ही मिलते हैं या पढ़ाने वाले अध्यापक ही नहीं मिलते। मान्यवर, पढ़ाई का माहौल ही समाप्त हो गया है। बच्चों की पढ़ाई का राजनीतिकरण करने से वहां पढ़ाई का माहौल नहीं रह गया है। अगर हमें दक्षिण के राज्यों से कम्पटीशन करना है तो इन बच्चों का शैक्षिक स्तर हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। आज आप देखें कि उत्तर सेंट्रल सर्विसेज में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना घटा है ? इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसका कभी नाम था और बाहर से लड़के भी वहां पढ़ने के लिए आते थे कि आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 में जाना है लेकिन आज लखनऊ विश्वविद्यालय हो या राज्य का कोई अन्य विश्वविद्यालय हो वहां पर पढ़ाई का माहौल नहीं रहा। भारीभरकम फीस बच्चों से ले रहे हैं, एडमीशन लेने वाले बच्चों की भीड़ भी लगी है। आज उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों की तनख्वाह 25-30 हजार रुपए देने पर भी प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति है ? मान्यवर, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य का महत्व होता है। स्वास्थ्य के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप चिकित्सालय स्थापित करके शाबाशी जरूर ले लेंगे आप वहां पर डाक्टर की नियुक्ति करके डाक्टर का जाना आवश्यक कर देंगे। लेकिन वह सम्बद्धीकरण कहीं और करा लेंगे। वह वहां नहीं जाना चाहते। वह ऐसी जगह जाएगा जहां उसके बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो। यह इसलिए क्योंकि हम यहां लखनऊ में बैठकर बैठकें करके अपने दायित्वों की इतिश्री मान लेते हैं। हम उस स्तर की समीक्षा नहीं करते जिस स्तर की समीक्षा की आवश्यकता है। मान्यवर, जब हमारी सरकार थी तो उस समय शिक्षण सत्र को रेगुलर करके हमने दिखाया था। आज 6-6 महीने पीछे शिक्षण सत्र चल रहा है। आज प्रदेश का नाम इस काम में आ गया। सारे हिन्दुस्तान में इसका नाम आ गया कि बच्चों की लाखों कापियां खेतों में पड़ी हैं। 8-8 साल के बच्चे बायोटेक्नोलाजी की कापियां जांच रहे हैं। अगर यह शिक्षा का स्तर रहेगा तो स्थिति नहीं बदलेगी। मान्यवर, मेरे जनपद में एक बच्चा इन्टरव्यू में गया। उसने बायोटेक्नोलाजी किया था। उससे पूछा गया कि किस प्रदेश से हो तो उसने बताया कि उत्तर प्रदेश से, कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ा है तो बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा इंटरव्यू हो गया। वहां की कापियां तो खेत में पड़ी थीं। मान्यवर, यह मजाक नहीं है। इसके बारे में गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य के बारे में कह रहा था कि स्वास्थ्य के बारे में यह उपलब्धि नहीं है कि 5 रुपये का पर्चा 1 रुपये में कर दिया। उपलब्धि यह है कि गांव-गांव में चिकित्सक उपलब्ध हो। चिकित्सक नहीं जा रहे हैं, दवाओं को तो छोड़ दें। मान्यवर, इससे पुराने चिकित्सालय भी जर्जर होते जा रहे हैं वहां पर मकड़ियों के जाले पड़े हैं। यहां पर डाक्टर के न जाने से वह चिकित्सालय कम अनाथालय ज्यादा लगता है। वहां पर चिकित्सक नहीं होगा तो उसे अनाथालय नहीं तो क्या चिकित्सालय समझेंगे ? मान्यवर, शांति व्यवस्था के बारे में बड़ी बातें कही गयीं और कहा गया कि इतना अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं, इस एक डेढ़ महीने के शासनकाल में मैंने देखा है अपने जनपद में अखबार में छपा था कि जमने से पहले विकेट गिरा। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि यह क्या है। जब मैंने अखबार में विस्तार से पढ़ा

तो उसमें लिखा था कि बत्तीस दिन के कार्यकाल पर ही वहां के पुलिस अधीक्षक को हटा दिया। फिर खबर छपी कि दूसरा विकेट गिरा। उसमें यह था कि चौंतीस दिन के कार्यकाल पर ही जिलाधिकारी गायब। तो क्या इस तरह से शान्ति व्यवस्था हो जायेगी। अगर बत्तीस दिनों में, चौंतीस दिनों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटा दिया जायेगा तो इस तरह से शान्ति व्यवस्था नहीं हो पायेगी। मान्यवर, दूसरी बात आरक्षण आप करें, सबको मौका मिलना चाहिये। लेकिन आरक्षण में यह भी देखें कि सिपाही, दरोगा से लेकर एस0 पी0 तक की मानसिकता बदली की नहीं। उनकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिये जिससे सामान्य आदमी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सके। आपने कहा कि तीन साल पहले की रिपोर्ट दर्ज हो जायेंगी लेकिन जो अभी की रिपोर्ट हैं उसे दर्ज करा लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि सामान्य आदमी की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। मंत्री या सदस्य अपनी आइडेन्टिटी दिखाकर रिपोर्ट दर्ज कराये तो लिखी जायेगी, सामान्य आदमी की रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। रोजाना हमें टेलीफोन आता है कि मेरा बच्चा पिट गया या कुछ और घटना घट गयी इसकी रिपोर्ट आप दर्ज करा दें। यह आपका तीन साल वाला कार्यक्रम तो चलता रहेगा लेकिन जो वर्तमान है उसे तो संभालें। मान्यवर, कई चीजें ऐसी हैं जिसका संदेश जाता है। मान लीजिये कि माफियागर्दी हो रही है। यह माफिया लोग इतने प्रभावी हैं कि इनके आगे पुलिस और प्रशासन दोनों गौंड़ हैं। हमने सोचा था कि दूसरी सरकार आयेगी तो इनकी कमी हो जायेगी, लेकिन चेहरे बदल गये हैं माफियागिरी अभी भी है। पहले पच्चीस रुपये या तीस रुपये का रेट था। हमारे पानीपत खटीमा मार्ग और मेरठ करनाल मार्ग पर यमुना में पुल बना हुआ है, वहां पर ट्रेड टैक्स चैक पोस्ट बनी हुई है। वहां पर फार्म भरने के लिये, कंडक्टर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वहां पर कुछ लोग रहते हैं। सरकारी रेट पांच रुपये या दस रुपये होगा, इसके पहले पच्चीस रुपये कर दिया था, यह सोचा गया कि नयी सरकार आयेगी तो उसमें कमी होगी, लेकिन आज वह रेट सत्तर रुपये हो गया है। अगर नहीं देंगे तो शीशे फोड़ देंगे, टायर पंक्चर कर देंगे, तो यह संदेश जो जा रहा है यह ठीक नहीं है। हमें माहौल बनाना है। उत्तर प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम होगी तभी उद्योग लगाने के लिये लोग आयेंगे। आदमी यहां पर अपनी बेइज्जती कराने के लिये नहीं आयेगा, पुलिस से अपमानित होने के लिये नहीं आयेगा। यह माफिया लोग गाड़ियों में झंडा लगाकर घूमते रहते हैं और पूंजीपतियों से पैसा मांगते रहेंगे, तो आपकी शान्ति व्यवस्था समाप्त हो जायेगी। मान्यवर, मैंने पहले भी सवाल लगाया था कि गन्ने को छोड़कर कितना पूंजी निवेश हुआ है। जो आपकी करतूत है, मैं शतप्रतिशत यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस प्रदेश में कोई आने वाला नहीं है, लोग जा तो सकते हैं। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि शान्ति व्यवस्था डी0 जी0 पी0 या एस0 पी0 के बदलने से नहीं होगी शान्ति व्यवस्था का एक माहौल होगा, जनता में एक विश्वास पैदा करना होगा कि नहीं हमारा उत्पीड़न नहीं होगा। अगर हमें शिकायत होगी तो मंत्री भी सुनने वाला है आप लोगों ने ऐसा कर दिया है, किया होगा नेकनीयती से संदेश दूसरा चला गया कि आज कोई माननीय विधायक किसी को चिट्ठी नहीं लिखेगा, माननीय मंत्री किसी को चिट्ठी नहीं लिखेगा, कोई विधायक किसी की सिफारिश नहीं करेगा शायद कुछ दिनों के लिये अच्छा लगा होगा लेकिन परिणाम सामने आने वाले हैं और आ जायेंगे आपके

सामने उसका मतलब यह होगा कि अधिकारी बिल्कुल अनियंत्रित हो जायेंगे, उनको लगेगा कि जन-प्रतिनिधि का अब कोई वजूद नहीं। आज दफ्तरों में बैठकर चर्चा होने लगी है, कौन पूछता है मंत्रियों को, कौन पूछता है विधायकों को। यह आम चर्चा होने लगी है और अगर जन-प्रतिनिधि का नियंत्रण नहीं होगा तो लोकतंत्र काहे का है। जनप्रतिनिधि का नियंत्रण होना चाहिए हस्तक्षेप में और नियंत्रण में अन्तर है। मैं नहीं चाहता कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग में हस्तक्षेप करें, मैं नहीं चाहता कि आप इन्वेस्टीगेशन में हस्तक्षेप करें, लेकिन आपकी धाक इतनी होनी चाहिये और आपकी धमक इतनी होनी चाहिये कि उसको लगे कि अगर मैं गलत काम करूंगा, तो यह विधायक जी हैं वहां के, यह मंत्री जी हैं वहां के ऊपर तक बात जायेगी, मेरे खिलाफ कार्यवाही शुरू होगी, वह डर आपने खत्म कर दिया, यह डर लगता था और यह डर रहना चाहिये। आम जनता कहां जायेगी, आम जनता तो विधायक के पास ही जायेगी, मंत्री के यहां जायेगी। अब लोगों ने आना बन्द कर दिया। कभी घूम कर दिखला दीजिये, कहीं भीड़ नहीं मिलती किसी के यहां खाली बैठे हैं सब। लोग कहते हैं कि चलो वहां जाकर काम करा लेंगे इनको कौन पूछता है। यह जो मैसेज गया है मान्यवर, कि चार अधिकारी बिठा दिये, जिसको जरूरत होगी, चार अधिकारी के पास जाओ। इनके पास न जाओ। मान्यवर, बड़े दुःख की बात है, जनता से चुन कर आते हैं, वहां विश्वास दिलाकर के आते हैं, उनका फरमान ले करके आते हैं कि हम तुम्हारी सेवा करेंगे अगर उस सेवा के अधिकार से किसी को वंचित कर दिया जाय तो लोकतंत्र का उपहास बनकर रह जायेगा। मान्यवर, मुझको आपने समय दिया, यह चन्द बातें मैंने इसलिये कहीं क्योंकि यह जमीन से जुड़ी बातें हैं। यह हमारी दिनचर्या है, यह रोजमर्रा के जीवन में हमारे सामने आते हैं, उनका निराकरण कैसे हो। मान्यवर, मैं आज की चर्चा के स्तर को वहां तक नहीं ले जा सका, जहां की आवश्यकता थी और जहां का एक स्तर होता है कि मैं बात करूं उसी स्तर की कि इसमें कहां से धन आयेगा, कहां चला गया, पूंजीनिवेश कितना हुआ, फला कितना हुआ। मैंने कहा जो जनता के ऊपर आज बीत रही है उसकी अभिव्यक्ति चन्द शब्दों में मैंने की है मान्यवर, मुझे विश्वास है कि इन पर विचार किया जायेगा। धन्यवाद।

*श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब बजट पर चर्चा होती है तो परम्परा यह है कि इस सुनने वाली सीट के ऊपर कोई न कोई होना चाहिये। मैं देख रहा हूं कि अगर हम लोग कोई सुझाव देते हैं उसको समझने के लिये ही कोई आदमी नहीं है। तो मान्यवर, यह सदन की कुछ प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिये, इसलिये इस ओर आपका ध्यान आकर्षित किया है।

*श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं माननीय लालजी टण्डन जी द्वारा कही बात पर बल दूंगा। पिछले साढ़े तीन सालों में जो भी पिछली सरकार थी उसमें जब भी बजट पर चर्चा हुई है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता सदन हमेशा मौजूद रहे हैं, शुरू से आखिरी समय तक और यह बात वाकई सदन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लिये बहुत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक सी है कि सारी जिम्मेदार सीटें खाली हैं। इसका संज्ञान आपके स्तर से अगर ले लिया जाय तो भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

कृषि मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)-

मन्यवर, आपसे अनुरोध है, आदरणीय टण्डन जी ने और माननीय आजम साहब ने जो सवाल उठाया तो प्रत्येक मंत्री की जवाबदेही होती है यहां कैबिनेट के और राज्य मंत्री सब बैठे हुये हैं और सारी बातें नोट हो रही हैं और सबका जवाब दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

हां माननीय मंत्रिगण उपस्थित हैं।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, आपका आदेश हो तो मैं बजट पर बोलूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलें।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, बजट की कटौती पर माननीय श्री अम्बिका प्रसाद चौधरी जी, माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय नरेश अग्रवाल जी, यह सभी सन् 1985 से लेकर आज तक मैंने अनेक बार कभी उधर कभी इधर देखें हैं। इनके साथ रहने का भी मौका मिला है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ बिना अपने गिरहबान में झांके जब कोई अपनी बात सदन के सामने रखता है तो मैं इतना ही कहूंगा जिनके खुद के घर शीशे के हों उनको दूसरे के मकान पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिये। मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी बहुत विद्वान हैं हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन अच्छा होता यदि वह बजट पढ़ लिये होते। क्योंकि वह पिछड़े वर्ग से आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं जहां से मैं आता हूं। वर्तमान बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रावधान किये हैं वह बहुत अच्छे हैं। ग्राम्य विकास की चर्चा माननीय नरेश अग्रवाल जी ने अपने शब्दों में की। माननीय हुकुम सिंह जी ने शिक्षा पर जोर दिया। केवल अन्तर इतना है कि हमारे विद्वान सदस्य बार-बार कहते हैं कि लोहिया ग्राम्य विकास योजना में पैसा नहीं दिया गया है। आप इसमें देख लें कि अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना में कितना धन दिया गया हैं। उस योजना का नाम कोई भी दिया जा सकता है। अम्बेडकर विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के विकास के लिये दस हजार करोड़ रु0 दिये गये हैं। ग्रामीण अंचलों में लगभग 3200 किलोमीटर पक्के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कर 100 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य इसमें है। इसके लिये 800 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह से ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत 460 करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है। गांवों में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत ढाई लाख परिवारों के लिये मकान बनवाये जायेंगे। इसका प्रावधान इसमें है। तो आप देखें यह सब काम गरीबों के विकास के लिये हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति आवास योजना के अन्तर्गत दो सौ करोड़ रु0 की व्यवस्था की गयी है उनके लिये मकान बनवाये जायेंगे। तो यह क्या ग्राम्य का विकास नहीं है। उनको मान्यवर

यह कार्यक्रम नहीं दिखते हैं। अब है क्या इनको दिखता था ग्राम का विकास होना है तो सैफई में, कोई और काम होना है तो वह सैफई में। इसके अलावा इन्हें और कुछ दिखता नहीं था। हमारी सरकार के कार्यकाल में हम केवल एक ग्राम का विकास करना नहीं चाहते हैं हम पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामों का विकास करना चाहते हैं। (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) समस्त ग्रामों को सैफई बनाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश का बजट एक ग्राम के विकास के लिये लगाया जाय यह बात हमारी सरकार कभी नहीं चाहेगी। जहां तक ग्रामों के विकास के साथ-साथ नगरीय विकास की बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 'माननीय कांशीराम जी नगर विकास योजना' प्रारम्भ की है उसे लागू किया है। जिसमें 200 करोड़ रु0 नगरीय निकायों को आसान शर्तों पर दीर्घ अवधि के लिये ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे। जिसकी किश्त भी आसान बनायी है। मान्यवर जो अपने को गरीबों का रहनुमा कहा करते थे उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले गरीब लोग डेढ़ सौ रु0 में कैसे गुजारा करेंगे। मान्यवर, आज चाय भी पांच रुपये में दो कप आती है। मान्यवर असली रहनुमा वही है जिसने वृद्धावस्था तथा किसान पेंशन योजना में डेढ़ सौ रु0 की धनराशि को बढ़ाकर तीन सौ रु0 कर दिया है। मान्यवर वे जानती हैं गरीबों का दुख दर्द। (मेजों की थपथपाहट)। मान्यवर, अभी तक इस प्रदेश में लगभग 20 लाख लोगों को वृद्धावस्था और किसान पेंशन दी जाती थी अब 24 लाख आदमियों को यह पेंशन दी जायेगी। मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी विद्युत व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे। मान्यवर, सन् 1985 से बहुत से यहां ऐसे सदस्य हैं जो हमारे साथ-साथ रहे हैं। सन् 1989 के बाद आज तक एक मेगावाट बिजली बनाने के लिये उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने कारखाना स्थापित नहीं किया है आप गांवों में विद्युतीकरण करते जा रहे हैं पांच-पांच ग्राम दे दिये आपने हर विधायक को क्या आपने कभी सोचा कि तार खींचते चले जा रहे हैं पोल लगाते जा रहे हैं आखिर यह बिजली आयेगी कहां से। पहली बार मान्यवर, 15 साल 20 साल के बाद बिजली की समस्या को दूर करने के लिये हमारी सरकार ने कदम उठाया है। माननीय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने कदम उठाया है। (मेजों की थपथपाहट) जिन्होंने सदन में इसके बारे में कहा है। मान्यवर, 4530 करोड़ रुपये का पूर्ववर्ती बजट था बिजली का। माननीय अधिष्ठाता जी, अब बजट 9,209 करोड़ है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने सदन के बीच में कहा है कि एक हजार मेगावाट बिजली एक साल में हम पैदा कर देंगे और 5 साल में 10 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर देंगे और उत्तर प्रदेश में चौबीसों घन्टे बिजली मिलेगी, यह हुआ है विद्युत में काम। मान्यवर, पूर्व ऊर्जा मंत्री बार-बार कह रहे थे मैं भी 5 साल रहा हूं उनके साथ, मैं बार-बार कहा करता था यह लट्ठा गड़वाते जा रहे हो, तार खिंचवाते जा रहे हो कहां से आयेगी बिजली ? अगर विद्युत के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ तो आने वाले इन 5 साल में काम होगा जिसमें 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की जायेगी।

मान्यवर, पिछड़े छात्रों के लिये बहुत से हमारे जो वरिष्ट नेता हैं वह समझते हैं कि केवल पिछड़ों के लिये उन्होंने काम किया है वही पिछड़ों के लिये करते हैं। मान्यवर, हमारी सरकार और हमारी सरकार के मुखिया वह तो सर्वजन की नेता हैं उसमें तो पिछड़े भी हैं, अगड़े

भी हैं, दलित भी हैं, गरीब भी हैं, वह सबकी नेता हैं। इसलिये मान्यवर, पिछड़े वर्ग के लिये 500 करोड़ रुपये पिछड़े छात्रों की अनुदान निधि में पिछड़े छात्रों की 500 करोड़ रुपये की अनुदान निधि रखी हैं।

विधायक निधि के लिये हमारे माननीय तिवारी जी ने एक ही अनुरोध किया था तो दिल खोलकर, मान्यवर, विपक्ष वाले कहते हैं कि हम कोई बात कहते हैं सरकार सुनती नहीं, सरकार मानती ही नहीं। हमने नहीं कहा माननीय कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी ने एक बार केवल कहा कि हम चाहते हैं सरकार से माननीय मुख्य मंत्री जी से कि विधायक निधि को एक करोड़ से बढ़ाकर सवा करोड़ कर दिया जाय तुरन्त उनकी बात को स्वीकार करके सवा करोड़ कर दिया। मानते हैं कि नहीं।

मान्यवर, जहां तक किसानों के लिये बात है।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

मैं आपकी बात धैर्य से सुनता हूं और जब आता हूं तो प्रणाम करता हूं।

मान्यवर, माननीय अम्बिका चौधरी जी दहाड़-दहाड़ कर कहते थे जब मीटिंग होती थी धरती पुत्र, धरती पुत्र, धरती पुत्र ने क्योंकि 4 सालों का बजट देख लें, किसानों का, कृषि विभाग का बजट देख लें।

(इस समय 2.00 बजे अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुये)

मान्यवर, साल में जितना कुल बजट नहीं उतना बजट 1647 करोड़ रुपये कृषि विभाग का बजट और वह धरती पुत्री ने रखा है। इसलिये यदि किसानों की राजनीति करनी है तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो वास्तव में किसानों के सच्चे हितैषी हैं और जो किसानों के प्रतिनिधि हैं वह कितनी ही बजट की आलोचना करें लेकिन उन्हें एक बार कम से कम किसानों और कृषि के बजट के लिये माननीया मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिये, यह मेरा आग्रह है।

•श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चूंकि हम विधायक हैं इसलिये विधायक निधि के बारे में सिर्फ यह कहना था, शासनादेश भी दिखा दिया। 15 जनवरी की घोषणा बता दिया फिर उसको रिपीट करने का क्या औचित्य है ? 7 जनवरी के शासनादेश की कापी दे दिया।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, इस विधान सभा में कम से कम सवा सौ, डेढ़ सौ सदस्य बैठे होंगे ..

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अम्बिका चौधरी जी ने कहा कि जनवरी का जी0 ओ0 है और 9 मई को चुनाव समाप्त होने के बाद जब आप सदन आहूत कर सकते हैं और विधायक निधि नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको बता दें ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हालांकि यह हस्तक्षेप का विषय नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट करने के लिये रिकार्ड को ठीक करने के लिये कह रहा था। दोनों बहुत वरिष्ठ लोग हैं और इनके बहुत जिन्दाबाद के नारे लगाये हैं। हमारे बड़े मित्र हैं लेकिन संयोग से यह दोनों वरिष्ठ सदस्य पिछले सदन में नहीं थे। इसलिये इनको मैं खाली रिकार्ड के लिये बताना चाहता हूं। 15 दिसम्बर, 2006 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रमोद तिवारी जी के अनुरोध को और अन्य विधायकों के अनुरोध को स्वीकार करके घोषणा की कि विधायक निधि जिसको क्षेत्र विकास निधि के नाम से जाना जाता है, की राशि अब एक वर्ष में एक करोड़ के बजाय एक करोड़ 25 लाख की जाती है और 7 जनवरी, 2007 को वह शासनादेश जारी हो गया मैंने नहीं कहा कि निर्वाचन के चलते रुक गया। मैंने कल कापी दे दी आप कहें तो आज भेज दूं आपके पास। मैं आप तक भेजता हूं और यह कापी आप दोनों माननीय मंत्रिगण तक पहुंचवा दें। यह मैं शासनादेश लाया हूं। श्रीमन् जो शासनादेश जारी हो गया उसको फिर रिपीट कर रहे हैं मैं यह कह रहा हूं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं चौधरी साहब से चाहूंगा कि जरा उस शासनादेश को पढ़कर सदन को सुना दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं पढ़ दे रहा हूं। संख्या 19/38-9-2007-500(10)/2004 प्रेषक, के0 के0 सिन्हा, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में, समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। ग्राम्य विकास अनुभाग-9 दिनांक 8 जनवरी, 2007 क्षमा करेंगे, मैंने गलती से 7 जनवरी, 2007 बता दिया था, यह 8 जनवरी है विषय विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन। महोदय, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-91 वि0नि0/38-3-2002-500 (1)/98 टी0 सी0, दिनांक 10-4-2002 के साथ संलग्न विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निम्न प्रस्तर, प्रस्तर-14 के रूप में जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यदि किसी विधान सभा क्षेत्र विशेष में उपलब्ध समस्त धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया हो तथा निधि में बचतें उपलब्ध हों, तो ऐसी दशा में उस क्षेत्र विशेष में 25.00 लाख रुपये की सीमा तक, ऐसी बचतों से धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि एक करोड़ के प्रस्ताव पहले से दिये जा चुके हों और स्वीकृत हो चुके हों तो 25 लाख और दिया जायेगा और वह धन कहां से आयेगा इसके लिये भी बता दिया कि धन यहां से आयेगा। यह शासनादेश जारी हो गया उसी को आप बता रहे हैं हमने यह नया कर दिया।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने यहां एक बात पर जोर दिया कि कृषि विभाग द्वारा अलाभकारी जोतों को जब तक लाभकारी न बनाया जाय, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है।

कल माननीय चौधरी साहब और ओम प्रकाश जी ने भी कहा था कि जमीन घिरती जा रही है, कालोनी बनती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, फैक्ट्री बढ़ रही हैं। मान्यवर, पैदावार बढ़ाने के लिए हमने ऊसर और बीहड़ को सुधार कर सात लाख हेक्टेयर भूमि का उपचार करने का लक्ष्य रखा है। जहां तक मान्यवर, किसानों की स्थिति का सवाल है यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है अब तक किसान को बाढ़ और सूखा ही मिला। न तो बाढ़ का कोई प्रबन्ध और न सूखे का और दोनों की मार किसान पर पड़ती है। इसके लिए मान्यवर, हमने जल संचयन और बेहतर जल प्रबन्धन के लिए 55 करोड़ रुपए रखे हैं और बुन्देलखण्ड के लिए अलग से योजनाएं बनायी हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर किसानों को बाढ़ या सूखे से बचाया जाए, जिससे प्रदेश की पैदावार बढ़ सके। इसीलिए उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि को इको फैमिली बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्पादन योजनाओं के लिए 36 करोड़ रुपए अलग से रखे गये हैं। माननीय अम्बिका चौधरी को याद होगा, वह राजस्व मंत्री भी थे। जिन दिनों में कन्या विद्या धन बांटा जा रहा था, बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, उन्हीं दिनों सड़कों पर जाम लग रहे थे, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इटावा और मैनपुरी के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है, जिस पर खाद के लिए जाम न लगा हो और किसानों को लाठियां न खानी पड़ी हों। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि पहली बार बफर स्टॉक बनाने के लिए 50 हजार मीट्रिक टन खाद हमारे पास हर समय स्टाक में होगी। हमने 15 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की है।

(श्री इमरान मसूद के कुछ कहने पर)

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे ?

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, जो अनाज पैदा हो गया है यह एडवांस में इस सरकार ने पैदा किया है या पिछली सरकार ने पैदा किया है ?

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलायी गयी हैं, जिसमें पिछड़े, मूक, बधिर और विकलांगों के लिए 303 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है छोटे से लेकर बड़ा, कमजोर दलित, पिछड़े वर्ग जिसके लिए रोजीरोटी का प्रबन्ध इस बजट में न किया हो माननीया मुख्य मंत्री जी ने। इसके साथ कर्मचारी भी हमारे ही परिवार के लोग हैं, कर्मचारियों के लिए भी 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत की दर से महंगाई बढ़ाई है। कानून-व्यवस्था की बात पर नरेश अग्रवाल, हुकुम सिंह बहुत बोल रहे थे। मैं पहले ही कह चुका हूं, मान्यवर, मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है, टण्डन जी चले गये, खन्ना जी विराज रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर बैठते थे तब मोटे-मोटे अखबारों में छपा करता था कि श्री प्रकाश शुक्ला एक कैबिनेट मंत्री के घर में रात में सोता है। मान्यवर, इस सरकार में एक जेबकतरा भी मंत्री के दरवाजे पर नहीं जा सकता। मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकारों में कह रहे थे कि

दरोगा किसी की नहीं मानते, एस0पी0 किसी की नहीं सुनते हैं, मान्यवर, क्या इतनी छूट दी जानी चाहिए कि गुण्डे एस0पी0 को पीट जाएं या किसी इंस्पेक्टर को थाने में पीटा जाए। इस तरह से शासन और प्रशासन नहीं चलता है, जब तक उनको संरक्षण नहीं दिया जायेगा तो किस तरह से जनता उनकी बात मानेगी। यदि हम उन्हें बेइज्जत करेंगे, चौराहे पर.....

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री जमीर उल्ला-

मान्यवर, आज तो वह आपकी बात मानते हैं, पुलिस जनता की बात नहीं मानती है।...

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य आपको समय मिलेगा तब आप बोल लीजियेगा।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि मैंने आदरणीय खन्ना जी के लिए कहा है इसलिए कहा कि खन्ना जी कम से कम इस सदन में 15-20 साल से रहे हैं। मा0 वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं उनके साथ भी मुझे रहने का मौका मिला है। आप धैर्य से मेरी बात सुन लें, जो बात कहनी हो बजट में मौका मिलेगा उसमें पूरी तरह से कहियेगा। मान्यवर, कानून का राज स्थापित करने के लिए, मैं इतनी बात कह सकता हूं कि केवल एक ही वाक्य पर बहिन कुमारी मायावती को प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया है वह है 'गुण्डाराज की समाप्ति और जनता का विकास' आज हर व्यक्ति के हृदय में यह बात बैठी हुई है।...

श्री मोहम्मद आजम खाँ (बैठे हुये)-

बहुत बढ़िया बात कही है, जिन्दाबाद।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

माननीय आजम खाँ साहब जब एस0एस0पी0 पिट रहे थे, आपके नेता की हिम्मत नहीं हुई कि विधायक का जवाब तलब कर लें। लेकिन हमारे यहां एक सांसद ने एक दुकान पर कब्जा करने की कोशिश की, उस सांसद को मुख्य मंत्री जी ने अपनी कोठी से अरेस्ट करवाया और पार्टी से निष्कासित कर दिया। यह एक उदाहरण है। हरदोई में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष दो-तीन गाड़ी में रायफलें लेकर चल रहे थे, उनकी एक गाड़ी से टच हो गयी, वह उस गाड़ी वाले को मारने के लिए हरदोई कस्बे के पास पहुंच गये। वहां से तुरन्त सूचना आयी उसी समय उन जिलाध्यक्ष के साथ जितने असलहे थे उनके लाइसेंस निरस्त कर दिये गये और एफ0आई0आर0 के बाद उस पदाधिकारी को जेल भेज दिया गया और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, यह न्याय है। कम से कम सही बात को तो मान लें, जो आलोचना करनी है बिल्कुल करिये लेकिन जो सही बात है उसको मान लेना चाहिए। पहले टेलीविजन खोलिये उसमें आता था कि गाजियाबाद में 5 करोड़ की फिरौती, सहारनपुर में 3 करोड़ की फिरौती, आगरा से इतने करोड़ की फिरौती। 5-5 लाख के ईनामी डकैतों को भी उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिल रही है छिपने के लिए, आज यह खबर अखबारों में आ रही है। रोज टी0वी0 पर इन्टरव्यू आते थे, कभी निर्भय

गूजर का इन्टरव्यू आ रहा है, कभी किसी और का इन्टरव्यू आ रहा है। लेकिन आज किसी जेबकतरे की भी हिम्मत नहीं है, टी0वी0 की बात छोड़ दीजिए, बड़े से बड़ा बदमाश व छोटे से छोटा बदमाश चौराहे पर खड़ा नहीं हो सकता, टी0वी0 तो दूर की बात है।

(प्रतिपक्ष के एक सदस्य द्वारा टोकाटाकी करने पर)

आप जब बोलें तो सारी बातें कहें। कौन नहीं जानता इस बात को कि माननीय अवधपाल सिंह जी जिनको विधान सभा और विधान परिषद् में रहने का 15 साल से मौका मिला है, उन पर अपहरण का मुकदमा, एक दो नहीं, 6-6 मुकदमें लगाये गये। धारा-323 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 हो गयी तो घबड़ा गये, जनता पर ज्यादती करोगे तो 307 भी लगेगा। हमारे एम0पी0 पर, हमारे विधायकों पर 307 लग रहा है। कानून के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है।...

हमारी माननीया मुख्य मंत्री जी का लक्ष्य है प्रदेश में प्रत्येक बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे। प्रत्येक व्यक्ति रात को रोटी खाकर चैन से सोये। उसे किसी तरह का कोई खतरा न हो। यह बहन जी का लक्ष्य है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी बातों से कुछ सदस्यों को पीड़ा है। क्योंकि हमारे यहां बृज क्षेत्र में एक कहावत है साँची कहो तो मा मरेगी। मैं सच कह रहा हूं इसलिए कुछ सदस्यों को पीड़ा है।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

यह भूल गए कि अखबारों में छपा है कि एक महिला की बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

इन्हीं शब्दों के साथ अधिष्ठाता महोदय, आपका बार-बार शुक्रिया अदा करते हुए जो बजट माननीया मुख्य मंत्री जी द्वारा रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री धनीराम वर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत बजट जो किसान गरीब मजदूर विरोधी है उस पर कटौती का प्रस्ताव करता हूं और इसलिए करता हूं कि बजट में स्वास्थ्य, सेवा, सड़क, सिंचाई इन मूलभूत किसानों की आवश्यकता के लिए जितना प्राविधान होना चाहिए था उतना नहीं किया गया है। जिससे आम जनता में इस बजट के प्रति निराशा भी है। मैं विस्तार में उन बातों पर चर्चा करना चाहूंगा अभी यह कहा जा रहा था कि आप कटौती की बात कर रहे हैं कटौती की बात मैं इसलिए करता हूं समझ लीजिए बजट में जब मूल भूत आवश्यकताओं के लिए प्राविधान नहीं किया गया है तो इस बजट में इतनी धनराशि जो निरर्थक कार्यों के लिए व्यय करने का उल्लेख किया गया उसकी आवश्यकता नहीं थी। श्रीमन्, हम उन सारी बातों की ओर कोई विचार नहीं रखेंगे जो हमारे साथियों ने प्रस्तुत कर दी है। श्रीमन्, मैं सबसे पहले शिक्षा के बारे में कुछ बातें रखूंगा। जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और लोगों ने रख दी है उनके सम्बन्ध में नहीं नई बातें वह बात यहां से प्रारम्भ होती है कि शिक्षा पूरी तरह से और खास तौर से माध्यमिक शिक्षा पूरी तरह से चौपट होती जा रही है। प्राइमरी शिक्षा में भी मूलभूत सुधार नहीं हो रहा है। हमारे कुछ साथीगण अध्यापक भी रहे होंगे प्रिंसिपल भी रहे होंगे और इनसे सम्बन्धित संस्थाओं से सम्बद्ध भी होंगे। आज कैसे हाई स्कूल या जूनियर हाई स्कूल से प्रमोशन होता है। संस्कृत सब्जेक्ट का अध्यापक अगर प्रमोशन पाता है। तो रिटायर होता है साइंस का अध्यापक। तो श्रीमन्, संस्कृत का अध्यापक साइंस कैसे पढ़ायेगा ? जबकि साइंस के अध्यापक की भर्ती ही नहीं हो रही है और संस्कृत का अध्यापक उसकी जगह ले रहा है। आज किसी भी सब्जेक्ट चाहे वह गणित हो, साइंस हो, अंग्रेजी हो, के अध्यापक रिटायर हो रहे हैं और उसके स्थान पर उस सब्जेक्ट के अध्यापक की भर्ती नहीं हो रही है तो ऐसे में छात्रों को क्या शिक्षा दी जा सकती है ? उनके उस सब्जेक्ट के विकास के लिये, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। श्रीमन्, इसी के साथ-साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे हाई स्कूल हैं जो ग्रान्ट पर हैं और इण्टरमीडिएट कालेज में 11वीं 12वीं की कक्षा वित्त विहीन है 11वीं और 12वीं कक्षा में जो अध्यापक नियुक्त हैं वित्त विहीन है तो 11वीं और 12वीं की कक्षा के लिये उनको 2 हजार, 3 हजार रुपये महीना मिल रहा है जबकि हाई स्कूल में जो ग्रान्टेड हैं वहां हाई स्कूल के अध्यापक को 11, 12 हजार रुपये और एल0टी0 ग्रेड के अध्यापक को 14, 15 हजार रुपये मिल रहे हैं। तो श्रीमन्, ऐसी विसंगति की स्थिति में जो अध्यापक 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ा रहे हैं उनकी स्थिति क्या होगी ? उनके दिमाग में यह बात नहीं होगी कि हमारी पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है। सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि कक्षा 11 और 12 में पढ़ाये जाने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अध्यापक पूरे समय के लिये नियुक्त भी नहीं किये जाते हैं। उनकी 4 महीने और 6 महीने के लिये नियुक्ति होती है और बाद में उनको उससे अलग कर दिया जाता है। श्रीमन्, इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी सरकार की तरफ से जो बजट पेश हुआ है उसमें जनरल तरीके से कह दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की कमी होगी वहां पर सरकारी सहायता देकर माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे। श्रीमन्, स्पष्ट होना चाहिए था कि किसी तहसील, किसी ब्लाक में अगर इतनी संख्या से कम विद्यालय हैं तो वहां पर संरक्षण देकर, मैनेजमेंट को सहायता देकर इतने और विद्यालय खोले जायेंगे। लेकिन मान्यवर, इनके बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। केवल इतना उल्लेख है कि जहां पर कम होंगे माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल और इण्टर कालेज वहां प्राइवेट मैनेजमेंट को सहायता देकर स्कूल खोले जायेंगे। ऐसा ही उच्च शिक्षा में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में जिस ब्लाक में एक से कम यानि शून्य जहां पर डिग्री कालेज हैं। अर्थात् जहां पर कोई डिग्री कालेज नहीं है वहां पर सरकारी सहायता देकर प्राइवेट मैनेजमेंट को स्कूल खोलने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। श्रीमन्, यहां पर यह भी उल्लेख होना चाहिए था कि जिन ब्लाकों में महाविद्यालय है और वहां गर्ल्स विद्यालय नहीं है वहां पर भी सहायता देकर गर्ल्स विद्यालय खोलेंगे।

प्राइवेट मैनेजमेंट को आर्थिक सहायता दे। लेकिन इस तरह का कोई उल्लेख नही किया गया है। श्रीमन् यदि प्राइमरी विद्यालय का बच्चा जिसके पास पूरा कपड़ा भी नहीं है वह कैसे इन स्कूलों में पढ़ेगा। एक प्राइवेट विद्यालय नर्सरी विद्यालय के नाम से खोला जाता है उन विद्यालयों में जो पढ़ाई चल रही है उसको देखें...

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री धनीराम वर्मा-

यह ढिंढोरा पीटते है कि सामान्य शिक्षा होनी चाहिए। सामान्य शिक्षा कैसे होगी। प्राइमरी विद्यालयों से बराबर शिकायतें आती हैं कि वहां बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं है। अन्य फर्नीचर नहीं है। एक तरफ तो कूलर और पंखे में बैठकर बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी तरफ टाट-पट्टी भी नहीं है तो कैसे समानता हो सकती है। इस पर कैसे नियंत्रण होगा। श्रीमन्, किसानों के बारे में कहना चाहूंगा किसानों की हालत बहुत खराब है, चिन्तनीय हो रही है। सूखा पड़ गया तो दो-तीन फसल तक वह उबर नहीं सकता। बाढ़ आ गई तो दो-तीन फसलों तक वह उबर नहीं सकता है। सिंचाई के बारे में कहा गया। टेल तक छोर तक पानी पहुंचेगा पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन जो पानी पहुंचेगा उससे 35 परसेन्ट फसल ही सिंचित हो पाएगी। 65 परसेन्ट कृषि का क्षेत्र असिंचत रहेगा। तो यह कह देना कि सिंचाई छोर तक की जाएगी तो इसमें कितनी सत्यता है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें।

श्री धनीराम वर्मा-

थोड़ा समय और दे दें। मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं तो बरसात खत्म हो जाए और नदियों में कम पानी रह जाए तो नदियों में तटबंध लगवाकर कम से कम नदियों की तलहटी में जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है असिंचित क्षेत्र रहता है वहां सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। सिंचाई की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। श्रीमन्, मा0 नेता विरोधी दल जो पूर्व में मुख्य मंत्री जी थे उन्होंने बीहड़ों में, यमुना, चम्बल की घाटी में अपराधियों को समाप्त कर दिया लेकिन आप इतना कर देते कि बजट में ऐसी व्यवस्था होती कि उन बीहड़ों में जो ऐसी जगह हैं उनके समतलीकरण की बजट में व्यवस्था होती। इससे लाखों एकड़ जमीन खेती योग्य हो जाती। तो जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं उनको खेती के लिए वह जमीन आवंटित कर दी जाती अपराधीकरण नहीं होता। लोग रोजी-रोटी के लिए जुट जाते। खाने कमाने का मौका मिलता। इसके लिए प्रापर धन की व्यवस्था बजट में नहीं की गई। श्रीमन्, दुधारू पशुओं के विकास के लिए बजट में प्रापर स्थान नहीं दिया गया है। यमुना, जमुना के बीच में दुधारू बकरी पाई जाती है। उसका जिक्र नहीं किया गया। इसकी नस्ल खत्म होती जा रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्त में मैं थोड़ी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। श्रीमन्, कानून

व्यवस्था का आज बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ख्वाब देखेंगे रोज, शहर में, देहातों में नये-नये अपराध किए जा रहे हैं। अपराधियों की संख्या बढ़ रही है और हम समाजवादी पार्टी के विधायकों के क्षेत्रों में उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है, तीन साल के मुकदमें खोले जाने और नए-नए मुकदमें कायम करा कर प्रताड़ित किया जा रहा है, जो नितान्त प्रजातांत्रिक तरीके के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नई सरकार आयेगी और कहेगी कि 5 साल तक के मुकदमें दर्ज किए जायेंगे, जो दर्ज नहीं हुए हैं, उन पर कार्यवाही होगी तो इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, वह नहीं होनी चाहिए। साथ-साथ एक बात कहना चाहूंगा, बहुत सी ऐसी चौकियां हैं, थानों की चौकियां हैं जहां पर सिपाही ही उपलब्ध नहीं हैं। मैं उदाहरण देता हूं-हमारे गांव की चौकी वर्ष 94 से कायम है, स्थायी पुलिस चौकी है, एक-आध का स्टाफ अभी है। 2-3 कान्सटेबिल और हेड कान्सटेबिल मिलाकर और कभी एक भी नहीं। जब मैंने एस0एस0पी0 साहब से बात की तो एस0एस0पी0 साहब कह रहे हैं कि हमारे जिले में पुलिस है ही नहीं, सिपाही, थानेदार नहीं, कैसे नियुक्त कर दिया जाए। तो श्रीमन्, जब कान्सटेबिल नहीं होंगे, एस0आई0 नहीं होंगे, कोई फोर्स नहीं होगी तो कानून-व्यवस्था की बात करने वाली सरकार क्या ढिंढोरा ही पीट रही है ? अन्त में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह थोथी बातें ज्यादा समय तक नहीं चलेंगी। आपको समय मिला है, आप सम्भलकर मजबूत कदम उठायें, सही बात को सही और गलत बात को गलत नहीं कहेंगे तो इतिहास में यह हमेशा-हमेशा के लिए अंकित होगा और कोई मेट नहीं पायेगा और आपका नाम भी उन्हीं लोगों के साथ जोड़ा जायेगा, जो अकर्मण्य हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, आपके संरक्षण के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। चर्चा में किसको अनुमति दें, किसको न दें, यह आपका विवेक है। मान्यवर, दलीय संख्या के आधार पर सदस्यों को अनुमति देने की एक परम्परा रही है इसलिए समाजवादी पार्टी की जो संख्या है और अन्य दलों की जो संख्या है, उसका अनुपात रखने की कृपा करेंगे, यह आपसे अनुरोध है।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

सूची आपके सम्मुख प्रस्तुत है। एक-एक करेंगे तो अनुचित हो जायेगा। हमारी लिस्ट देख लें। विपक्ष को ज्यादा मौका दिया जाता है।

श्री श्रीभगवान पाठक-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जब भी नई सरकारें बनती हैं, आजादी से लेकर अब तक जितनी नई सरकारें आयी हैं, अपना बजट प्रस्तुत की हैं।

अपने हिसाब से पिछली सारी सरकारों ने अपना बजट दिया है। जो सरकार पिछले दिनों रही है, उसने अपने हिसाब से बजट दिया है, योजनाओं का नामकरण अलग-अलग उसमें अवश्य हुआ है। कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सड़कों का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से कर दिया, कभी स0पा0 सरकार में लोहिया के नाम से हुआ।

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती ने जो बजट रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अब तक जितने बजट प्रस्ताव इस सदन में आये होंगे यह बजट उन सबसे अच्छा बजट है जो गांवों , गरीबों और किसान के लिये हैं। यह इसलिये कि गांव में रहने वाला कहने को तो गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, जीने के लिये मजदूरी करने के लिये गांव से शहर में जाता है, मजदूरी करता है और उसके बाद उसे शाम को घर लौटते समय खबर मिलती है कि उसका बेटा और पत्नी अपनी झोपड़ी में दाना भूंजते समय जलकर मर गये तो उसे कितना कष्ट होता है। इसलिये इस सरकार ने ढाई लाख इंदिरा आवासों के लिये योजना ऐसे लोगों के लिये बनाई है जिससे कम से कम इस तरह के परिवार तो रह सकेंगे। पिछली सरकारों ने इस बारे में क्या किया है। इस बजट में पूरे प्रदेश के विकास की बात कही गई है यह किसी से छिपा नहीं है। मान्यवर इस सरकार ने बेरोजगारी भत्ते को समाप्त करके रोजगार सृजन करने का जो फैसला लिया है यह मामूली फैसला नहीं है। जब किसी नौजवान के नौकरी पाने की उम्र 35 वर्ष है और जब उसे नौकरी खोजने का समय है तो वह बेरोजगारी भत्ता लेने के लिये चक्कर लगा रहा होता है। मान्यवर, इस बजट में सरकार ने रोजगार सृजन का सबसे बढ़िया प्रस्ताव किया है। मान्यवर, पिछले दिनों कानून की स्थिति यह रही है कि आम आदमी का जीवन बकरे का जीवन बना हुआ था। तो अब कम से कम आज बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम इस सरकार ने किया है। मान्यवर, आपको भी शिकायत मिली होगी कि जो लोग शैडो लेकर चलते थे तो उसमें कई के शैडो साहब साइकिल चलाते थे और पात्र व्यक्ति साइकिल पर बैठते थे। इसकी शिकायत भी मिलती थी। तो इसको हटाकर सरकार ने बचत करने का जो काम किया गया है यह अच्छी सोच का परिणाम है। मान्यवर, आप बिजली चोरी के सवाल पर भी अवगत होंगे। मान्यवर, सरकार किसी की भी रही हो बड़े उद्योगपति नम्बर-2 से अपने कारखाने चलाते हैं और छोटे लोग जो टैक्स की अदायगी करते हैं पिछली सरकारों में एक-एक हजार रुपये तक के जो बकायेदार काश्तकार थे उन्हें पकड़ने का काम किया गया और लाखों लाख के बकायेदार उद्योगपतियों को पकड़ने का काम नहीं किया गया। यह सरकार बिजली चोरी के सवाल पर इन लोगों की छानबीन करा रही है। मान्यवर, मैं बलिया का रहने वाला हूं। मान्यवर, अब मैं कानून व्यवस्था की बात करूं। मान्यवर, माननीय पूर्व मंत्री जी हमारे सवाल उठाते हैं गांव का तो जहां 2-4 सालों से कब्जा कर लिया गया है झुग्गी झोपड़ियों द्वारा लेकिन बलिया के अन्दर यह कहना चाहता हूं कि सरकारी थानों की जमीन पर, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, थानों की जमीन को लूटा, यह साक्षात इतिहास फेफना थाने की जमीन का है। बलिया जनपद के अन्तर्गत कानून के राज के सवाल पर सरकारी कार्यालय, रोजगार

कार्यालय में, समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना दिया गया है। इस तरह के इतिहास से कानून का राज कायम नहीं होगा। मान्यवर, ट्रांसफर और पोस्टिंग की बात चल रही थी, मैं बलिया का रहने वाला हूं, बीस-बीस वर्षों से लोग बाढ़ खण्ड विभाग में एक ही जगह पर पड़े हैं।

एक सदस्य-

मान्यवर, यह समाजवादी पार्टी की बुराई कर रहे हैं या बजट भाषण के समर्थन में बोल रहे हैं। यह क्या साबित करना चाहते हैं ?

श्री श्रीभगवान पाठक-

मैं यह साबित करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो कुछ हुआ है, उससे निश्चित रूप से जब से बी0 एस0 पी0 सरकार बनी है, उसमें काफी कानून व्यवस्था के मामले में सुधार हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहन मायावती जी के द्वारा जो बजट रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मैं बजट भाषण के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो बजट भाषण मुख्य मंत्री जी का है इसके पृष्ठ-23 पर आप देखें। इसमें है कि कानून द्वारा कानून का राज, अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है, यदि इन शब्दों को चरितार्थ कर दिया जाय तो निश्चित रूप से राम राज की जो कल्पना करते आये हैं वह इस कलयुग में हम देख सकेंगे। मान्यवर, वास्तविकता यह है कि नीचे के स्तर पर कानून के राज की बात तो स्वागत योग्य है लेकिन नीचे के स्तर पर कभी बिगड़ी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आज राष्ट्रीय मार्गों को देखें तो जितनी भी चौकियां हैं, पुलिस चौकियां हैं उनके माध्यम से चौबीस घंटे लूटने का काम हो रहा है। जो बड़े वाहन हैं उनको रोककर धन लूटा जा रहा है और चौकियों पर पोस्टिंग का वही तरीका है, जो पुराना था। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जितनी भी दुर्घटनायें होती हैं उसका बहुत बड़ा कारण होता है पुलिस वालों द्वारा अवैध वाहनों को रोककर उनसे पैसा वसूल करना। एक बात और कहना चाहूंगा कि थाने में उच्च अधिकारियों से आदेश कराकर ले आये कि पट्टे हमारे नाम से होना चाहिये, आज थानों की व्यवस्था क्या है, चाहे तहसील दिवस हो, थाना दिवस हो, एक सौ पचास मामले एक दिन में टेक अप किये जाते हैं और निस्तारण होता है केवल दस-बारह का। जो वस्तुस्थिति है एप्लीकेशन मिली और तारीख दे दी। जिस तरह से रूटीन वे में भागता है उसी प्रकार से मान्यवर, उसको प्रताड़ना और हर प्रकार के जुल्म और ज्यादती जिस प्रकार से पहले झेलता था उसी प्रकार से आज भी झेलता है। मान्यवर, जितने भी प्रदेश में अपहरण होते हैं या हुये हैं, बाद में यह पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति था इस अपहरण के पीछे, किसने फिरौती लेकर इसका अपहरण किया ? उसके बाद उसको चेस करने के लिये कोई योजना, कोई कार्य-योजना मान्यवर, नहीं बनी है। आज उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले ऐसे हैं, बहुत से थाने ऐसे हैं जिसमें अपहरण तो होते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी

जाती है। थानेदारों का वही पुराना ढर्रा, कि किसी तरीके से बात करके पहले अपना आदमी छुड़वा लो और उसके बाद मान्यवर, अगर चाहे पुलिस, स्थानीय प्रशासन चाहे तो उसको चेस करके उसका पर्दाफाश भी हो सकता है, कानून के हाथ उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं और उसको बन्द भी करा सकते हैं वहां तक पहुंच कर, लेकिन मान्यवर, इस प्रकार की कोई कार्य योजना अभी तक दिखाई नहीं पड़ती। जहां तक पुलिस आधुनिकीकरण में 180 करोड़ रुपये की वृद्धि करने का हमने बजट भाषण में पढ़ा है। मान्यवर, चुपड़िया भर बारूद और अंग्रेजों से जंग। थानों में जिप्सी और जीप आज भी धक्का लगा कर चलती है। किसी भी थाने का पी0 एन0 टी0 टेलीफोन, चौकियों पर तो अब पी0 एन0 टी0 टेलीफोन की व्यवस्था ही नहीं है। कोई भी अपराध होने पर, एस0 आई0 और एस0 ओ0 अगर अपना मोबाइल बन्द कर लें तो कोई भी व्यक्ति थानों पर, चौकियों पर बात नहीं कर सकता हैं क्यों ? क्योंकि पी0 एन0 टी0 टेलीफोन की व्यवस्था ही धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं, व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, कानून के राज की बात करते हैं, तो जितनी भी बुनियादी आवश्यकतायें हैं मान्यवर, उसमें हमें आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आज पी0 एन0 टी0 ने इतनी बड़ी सुविधा दे दी कि 99 रुपये, 100 रुपये के किराये में पूरे प्रदेश में पी0 एन0 टी0 पर आप जहां चाहे वहां पर बात कर लीजिये। लेकिन किसी भी चौकी और थाने पर आप खुद अभी टेलीफोन करके देख लें, तो वहां टेलीफोन और पी0 एन0 ओ0 की स्थिति ठीक नहीं मिलेगी।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समय का भी ध्यान रखें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

दुष्यन्त कुमार का मान्यवर एक शेर है कि-

सिर से सीने में कहीं, पेट से पांव में कहीं,
एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है।

और इसी बात को आगे बढ़ाया है हमारे एक आधुनिक शायर है मुनव्वर राणा कि-

एक दो जख्म नहीं, जिस्म है सारा छलनी,
दर्द बेचारा परेशान है, कहां से निकलूं।

मान्यवर, मैं स्वागत करता हूं, इस भाषण का, कानून के राज का लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको धरती पर उतारा जाय। ग्राउण्ड रियलिटी जो है उसमें परिवर्तन किया जाय। मान्यवर, जहां तक बात है शिक्षा की, शिक्षा के बजट में भी बताया गया है कि 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है बेसिक शिक्षा के बजट में, लेकिन आज ग्रामीण स्कूलों की जो गुणवत्ता है जो पढ़ाई की स्थिति है, क्या वह किसी भी तरीके से कम्पेटेटिव एक्जामिनेशन के लिये तैयार करने के लिये क्या वह शिक्षा काफी है ? आज डेढ़ लाख शिक्षकों की उत्तर प्रदेश में कमी है, केवल शिक्षामित्रों के द्वारा वह सरकारी स्कूल चल रहे हैं और उन स्कूलों में वही लोग अपने बच्चों को भेजते हैं जो लोग बाहर की फीस मान्यवर, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बाहर की फीस, जो बाहरी विद्यालय हैं, उन

विद्यालयों में जो फीस जी जा रही है उनको वह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वह अपने बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में पढ़ाते हैं और वहां पर आज हम अध्यापक नहीं दे पा रहे हैं। अगर डेढ़ लाख अध्यापकों की नियुक्ति होती है।

मान्यवर, हमसे पहले माननीय सदस्यों को आपकी पीठ से 20-20 मिनट का मौका दिया गया है ओर मैं इस सदन का बहुत पुराना सदस्य हूं।

श्री अधिष्ठाता-

सुन लें, माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो पहले आ चुकी है। मान्यवर, संरक्षण चाहता हूं आपका। मान्यवर, तीन बातें बच्चों को प्रभावित करती है। मेरा यह विश्वास है, एक ग्रह नक्षत्र, जिसमें वह पैदा हुआ है, दूसरा मां-बाप के जीन्स और तीसरा प्रभावित करता है वातावरण, माहौल। पहली दो बातों पर हमारा कण्ट्रोल नहीं है, लेकिन तीसरी बात जो वातावरण है वह हम बदल सकते हैं। जिस वातावरण में बच्चा दाखिल होता है उसी वातावरण में उसी प्रकार से उसकी वृद्धि होती है। उसकी स्थिति में ग्रोनअप होता है। मान्यवर, सबसे बड़ी आज आवश्यकता इस बात की है कि हम उस माहौल को उस वातावरण को परिवर्तित करने के लिये कोई एक शार्ट टर्म प्लानिंग और लांग टर्म प्लानिंग दोनों साथ-साथ बनायें। जब तक हम उसको नहीं बनाते हैं तब तक शिक्षा के इस सिस्टम में सुधार नहीं कर सकते हैं और जब तक सरकारी स्कूलों की शिक्षा में सुधार नहीं करते हैं तब तक विकास की बात का सपना ही देख सकते हैं। लेकिन हम उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं। आज कक्षा 6, 9, 11 और बी0ए0 पार्ट-1 में शहरों में जितने भी कालेज हैं वह पूरी तरह से पेक्ड हैं। कक्षा 9 में जो पास होकर आये हैं उनके लिये एडमिशन की कोई जगह नहीं है। कन्याओं को जगह नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, यह जुलाई का महीना है जब हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो एक समस्या से हम लोगों को जूझना पड़ेगा वह यह होगी कि हमारा एडमिशन करा दें। न तो बी0 ए0 पार्ट-1 में जगह हैं। आपने डबल शिफ्ट की बात कुछ विद्यालयों में लागू करा दी है। लेकिन बाकी जगहों पर अभी नहीं है। यह कोई गारन्टी आज नहीं है कि जो विद्यार्थी इन्टर पास होकर आया है उसको एडमिशन मिल जायेगा। कन्याओं के सम्बन्ध में तो मै कहना चाहूंगा कि उन्हें तो हर हालत में कक्षा 6, 9, 11 ओर बी0 ए0 पार्ट-1 में प्रवेश जरूर मिल सके इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात मान्यवर, विद्युत के ऊपर यहां पर विचार रखे गये हैं। मान्यवर, निजी उद्योगपति कुछ सालों के बाद अपने उद्योगों में बिजली पैदा करता है हम चाहते हैं कि वह जो बिजली है उसके सम्बन्ध में आप उनके साथ कांट्रेक्ट करके सीधे विद्युत क्रय कर लें। वह विद्युत का दाम जनरेटर से इन्वर्टर से सस्ता पड़ेगा। अगर आम उपभोक्ताओं को आपको बिजली देनी है तो जो निजी उद्योगपति सरप्लस बिजली पैदा करता है उनसे आप वह विद्युत क्रय कर लें और आम उपभोक्ताओं को दें। मान्यवर, आज बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिये शार्ट टर्म प्लानिंग बनाने की आवश्यकता है। दस साल बाद दस हजार

मेगावाट बिजली पैदा होगी यह जो बातें होती हैं तब पता नहीं क्या स्थिति हो। आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो यह पता नहीं होता कि आखिर सही तरीके से हम घर वापस पहुंच पायेंगे कि नहीं। इसलिये हमें शार्ट टर्म की प्लानिंग पर काम करना होगा। मान्यवर, इसी तरह से ट्रांसफारमर्स को 72 घंटे के अन्दर बदलने का प्रावधान है। लेकिन कहीं भी यह शासनादेश लागू नहीं हो पाता हैं ट्रांसफारमर्स का तेल आज चोरी चला जाता हैं आपने नये-नये ट्रांसफारमर्स लगा दिये हैं। आपने 15 नगरों में एक एक नगर में 100-100 ट्रांसफारमर्स लगा दिये हैं। आज लगा कल तेल चोरी चला गया। किसी की इस पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं होती है। आखिर इसके लिये कोई तो उत्तरदायी होगा। आपको सोचना होगा कि कौन सा ऐसा ताला बनाया जाय कि ये तेल की चोरी रुक जाये। मान्यवर, हम सोचते हैं कि जिस व्यक्ति, जिस नेता की सपनों की बुनियाद पर यह पार्टी बनी है और जिसके नाम यह पूरा बजट समर्पित होना चाहिये था, मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें बहुत आदर और सम्मान देता हूं लेकिन उनके नाम पर इस एक लाख करोड़ रु0 के बजट में केवल 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है और वह भी शहरों के लिये और वह भी कर्जे के रूप में दीर्घकालीन ऋण के रूप में। अभी माननीय कृषि मंत्री जी इसका बड़ा बखान कर रहे थे। लेकिन शहरों की इस बजट में पूरी तरह से उपेक्षा की गयी है मान्यवर, इस तरह से तो माननीय कांशीराम जी के नाम को छोटा किया गया है। उस बजट प्रावधान को बढ़ाया जाना चाहिये और शहरों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। मान्यवर इसी तरह से शहरों की सफाई व्यवस्था के बारे में कोई नीति इसमें नहीं है। जबकि हेल्थ मैनुअल के तहत 10 हजार की आबादी पर 28 व्यक्ति होने चाहिये लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। हम चाहते हैं कि सफाई के सम्बन्ध में अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में कोई नीति बने तो शहरों में सुविधा हो सकती है जिससे लोग अच्छे माहौल में जी सकते हैं। मान्यवर बढ़ती हुई जनसंख्या की जो स्थिति है आज स्थिति यह है कि कितने ही संसाधन बढ़ाये जायें, इस बढ़ती हुई जनसंख्या के आगे सारे के सारे संसाधन बौने दिखाई देते हैं। मान्यवर, आज करीब 107 करोड़ की हमारी आबादी है और जिस तरीके से उसमें वृद्धि हो रही है उसके नियंत्रण के सम्बन्ध में एक भी लाइन इसमें नहीं कही गयी है और महत्वपूर्ण बात तो यह भी है कि 1975 के बाद से किसी भी सरकार ने इस बात पर कुछ कहना जरूरी नहीं समझा है। इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिये कोई नीति अवश्य बनायी जानी चाहिये।

चौधरी लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, खन्ना जी का इतना योगदान है इस योजना में इसके लिये उन्हें बधाई देता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसको हल्के तरीके से नहीं लिया जाना चाहिये आखिरकार जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिये कोई कार्य योजना इसमें आनी चाहिये क्योंकि संसाधन बढ़ाने की भी एक सीमा होती है संसाधन बढ़ाने की भी सीमा है लेकिन इसके बारे में यह बजट पूरी तरह से मौन है। मान्यवर, दो बातें खास तौर से कहना चाहता हूं। यहां पर चिकित्सा स्वास्थ्य का बजट भी आयेगा। चिकित्सा स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 4 हजार 674 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। चिकित्सा स्वास्थ्य

के सम्बन्ध में जब किसी गरीब व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे या सामान्य व्यक्ति जो आज के वर्तमान अस्पतालों में इलाज एफोर्ड नहीं कर सकता। कहीं उसको लीवर की बीमारी हो जाय, कहीं कैंसर की बीमारी हो जाय या कहीं हार्ट की प्राब्लम हो जाय अभी स्वास्थ्य मंत्री खड़े होंगे और बड़ी-बड़ी बातें बता देंगे कि यह व्यवस्था की है, कैंसर इंस्टीट्यूट में यह व्यवस्था की है, के0जी0एम0यू0 में यह व्यवस्था की है, एस0जी0पी0जी0आई0 में यह व्यवस्था की है लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस परिवार में एक आदमी बीमार हो जाय और हार्ट की बाईपास सर्जरी करानी पड़े या कैंसर का आपरेशन कराना पड़े, या लीवर का ट्रांसप्लांटेशन कराना पड़े तो उसके परिवार के लोगों को नींद नहीं आती है और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनके आंसू पोछ सके या उनका इलाज करा सके। दुनिया के कई कंट्रीज में इंग्लैण्ड में आज भी यह व्यवस्था है कि अगर कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाय तो जिस तरह से राशन कार्ड बने हुये हैं उसी प्रकार से वहां कार्ड बने हुये हैं और सरकार उसके खर्चों को पूरी तरह से उठाती है। उसको एक रुपये से लेकर एक करोड़ तक का अगर इलाज ट्रीटमेन्ट देना हो तो पूरी तरह से सरकार देती है। यहां पर भी यह व्यवस्था पूरी तरह से लागू होनी चाहिये। जिस गरीब को सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि जब हम स्वस्थ नहीं होंगे मान्यवर, कल मैंने सवाल लगाया हमने पूछा कि हमारे यहां कितने अस्पताल होने चाहिये कितने डाक्टर होने चाहिये दो सर्जन, दोनों सर्जन नहीं, दो आई सर्जन, दोनों आई सर्जन नहीं एक स्किन स्पेशलिस्ट, एक स्किन स्पेशलिस्ट नहीं, मान्यवर, 10 में से 9 महिला डाक्टर्स की अनुपस्थिति मात्र एक की पोस्टिंग है। शाहजहांपुर के जिला अस्पताल में नर्सों की कमी, स्टाफ की कमी और इलाज के लिये सिर्फ एक रुपये का पर्चा बनवाओ और क्लोरोक्विन की गोलियां ले लो। बुखार की गोलियां ले लो, कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिलो पावरटी लाइन के लोगों को और वह लोग जो इलाज एफोर्ड नहीं कर सकते सामान्य वर्ग के लोग तो उनके लिये व्यवस्था की जाय या किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे उनका इलाज हो सके। गन्ने के सम्बन्ध में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। गन्ने के सम्बन्ध में तमिलनाडु में एक हेक्टेयर जमीन से 1200 कुन्तल गन्ना तामिलनाडु के लोग पैदा करते हैं और यहां औसत पैदावार कितनी 600 से 700 कुन्तल। मैंने कई बार माननीय गन्ना मंत्री जी से भी कहा। जब तक जितने भी बाई प्रोडक्ट, जब तक हम इस ओर रिसर्च के आधार पर ध्यान नहीं देंगे जितने भी हमारे गन्ना शोध संस्थान हैं, उन लोगों को इस बात के लिये कहा जाना चाहिये। आखिर तामिलनाडु में भी किसान हैं वहां एक हेक्टेयर में 1200 कुन्तल गन्ना पैदा करते हैं और हमारे यहां उतनी ही पूंजी पर उतने श्रम में उतनी ही जमीन पर 600-700 कुन्तल गन्ना पैदा करते हैं। इस सम्बन्ध में उन एडवांस रिसर्च को भी अपने काश्तकारों को अवगत करायें और उसके आधार पर ही 1200 कुन्तल गन्ना पैदा करने का लक्ष्य रखें। साथ-साथ गन्ने के मूल्य की समस्या है, 2600 करोड़ रुपया आज की तारीख में गन्ना काश्तकारों का बाकी है, यह 2600 करोड़ रुपया ब्याज सहित देना पड़ेगा। कहा यह गया कि एक क्विंटल चीनी 1700 रुपये में तैयार हुयी, इसका नतीजा यह हुआ कि चीनी का दाम गिर गया और 1470 रुपये प्रति क्विंटल रह गया इसलिये पूरे चीनी

उद्योग पर संकट आ गया। होना यह चाहिये, ऐसी पालिसी बनाई जाय कि शुगर के जितने भी बाई-प्रोडक्ट्स हों, चाहे मोलासेस हो, चाहे खोई हो, चाहे मैल हो जब तक हम उनका प्रयोग करके कोई बाई प्रोडक्ट का कारखाना या शुगर काम्प्लेकस डेवलप नहीं करेंगे, क्यूबा इत्यादि की तरह, तब तक यह समस्या स्थायी रूप से हल नहीं होगी। सरकार तात्कालिक रूप से पैसा तो दे देगी लेकिन इससे स्थायी हल इस समस्या का नहीं निकलेगा। स्थायी हल तभी निकलेगा जब हम इस तरह के शुगर काम्प्लेक्सेस को डेवलप करेंगे। अंतिम बात कहना चाहूंगा। न्याय की बात इस सरकार ने भी कही है, हाईकोर्ट की बेंच का मामला पिछले 27 साल से लटका हुआ है और हम हर विधान सभा में इस बात का सवाल उठाते रहे हैं। हमने कहा कि जब तक हाई कोर्ट की बेंच न बन जाये, तब तक कम से कम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, रुहेलखण्ड डिवीजन, मुरादाबाद डिवीजन, वह जिले जिनको सीधे-सीधे लखनऊ से होकर इलाहाबाद जाना पड़ता है नारा तो यह है कि सस्ता न्याय देंगे, गरीबों को न्याय देंगे लेकिन व्यवहारिकता क्या है। मान्यवर, उन लोगों को मेरठ और मुरादाबाद से लखनऊ होकर इलाहाबाद जाना पड़ता है। समय भी ज्यादा खर्च होता है और पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। इसलिये जब तक हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना न हो तब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वह जिले, जो इलाहाबाद खण्डपीठ से क्षेत्राधिकार की दृष्टि से जुड़े हैं, उनको इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ से जोड़ दिया जाय। मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी एवं गरिमामय सदन। मुझे वित्तीय वर्ष 2007-2008 की जो पंक्तियां थीं, उन्हें पढ़कर के अपार हर्ष की अनुभूति हुयी थी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के लक्ष्य को लेकर चलेगी और इस लक्ष्य के लिये वह एक समतामूलक समाज की स्थापना करेगी। उन्हीं पंक्तियों में उल्लेख था कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिये महात्मा ज्येतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरू, पेरियार गुरू, श्री भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर, कांशीराम जी का अमूल्य योगदान था। अच्छी बात है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि अगर इसके साथ में डॉ0 लोहिया या किसी और का नाम नहीं लिया गया तो इसमें कोई वह नहीं है शायद उनके ऊपर किसी दल विशेष का ठप्पा था। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम अगर समतामूलक समाज की स्थापना में नहीं लिया जाय तो मैं समझती हूं कि इससे बुरा और शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। क्योंकि समतामूलक समाज नहीं हो सकता था अगर हिन्दुस्तान आजद नहीं होता। अगर आप हिन्दुस्तान की आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं तो इसका श्रेय किसी और को नहीं जाता है क्योंकि हिन्दुस्तान की आजादी का तसव्वुर भी आप महात्मा गांधी के बगैर नहीं कर सकते हैं और जिसे संसार ने दुनिया ने बापू कहा तो राष्ट्रपिता था उसका नाम नहीं लिया गया है यहां पर, यह उनका अपमान है और मैं यह जरूर कहूंगी कि जो राष्ट्र, जो देश, जो समाज अपने महापुरुषों को भूल जाता है, तारीख उसे कभी माफ नहीं करती और इतिहास के पन्ने हमेशा उसे एक कृतघ्न राष्ट्र के रूप में याद रखते हैं। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी का नाम आप जोड़े या न जोड़े लेकिन राष्ट्रपिता

महात्मा गांधी का नाम इसलिये जोड़ ले ताकि भारत एक कृतघ्न राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में न जाना जाये। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि उन्हीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिन्होंने इस देश को आजादी दी थी। उन्होंने यह कहा था कि भारत गांवों में बसता है, भारत गांवों में बसता है कहने का अर्थ यह नहीं था कि भारत की सिर्फ मिट्टी गांवों में हैं बल्कि कहने का अर्थ यह था कि भारत की आत्मा गांवों में इसलिए है क्योंकि किसान गांवों में हैं और आज चाहे देश हो या उत्तर प्रदेश हो उसका 70 प्रतिशत से ज्यादा भाग गांवों में आबाद है और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर पूरी तरह से निर्भर है। अभी माननीय जी ने कहा, मैं किसी पर आक्षेप नहीं करूंगी, मैं केवल इतना ही कहूंगी कि जो 70 प्रतिशत आबादी है, उसका भविष्य कृषि से जुड़ा हुआ है और उस कृषि की योजनाओं पर मात्र 1647 करोड़ रुपए की धनराशि रखी गयी है, जो कि आपके बजट का लगभग डेढ़ प्रतिशत भी नहीं आता है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सिंचित क्षेत्र की बात इससे पहले की जा चुकी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगी लेकिन यह जरूर कहूंगी कि जो 14 नलकूपों की व्यवस्था की गई है, वह शायद इन किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। अगर 114 हो तो अच्छा होता लेकिन अगर केवल 14 हैं तो इसे वापस ले लीजिए किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम मत कीजिए अगर आप मरहम लगा सकते हैं तो। हमारी सरकार ने किसान बीमा योजना की शुरुआत की थी, किसानों का भविष्य सुरक्षित हो रहा था मैं नहीं जानती कि किन अपरिहार्य कारणों से बहन जी की सरकार ने और उनके योग्य मंत्रियों ने किसानों को उनके लाभ से वंचित किया, ईश्वर जानता होगा कि कारण क्या रहा है ? गन्ना किसानों के विषय में अभी माननीय सुरेश खन्ना जी द्वारा काफी कुछ कहा गया है। मैं कहूंगी कि 26 सौ करोड़ रुपए का बकाया है, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रही लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी आपसे कि यही वह सरकार थी जिसने रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया था और 17 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान करके दिखाया था। हम वह लोग नहीं हैं कि जब किसान कीमत मांगे तो लाठियां चलायें, जब किसानों ने कीमत मांगी तो दी। लेकिन याद रखिये सरकार से मैं यह बात जरूर कहूंगी, यहां पर संसदीय कार्यमंत्री जी तो नहीं हैं लेकिन आप उनके स्थान पर बैठे हैं, अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगी कि किसान पेरशान है, उसकी परेशानी का हल आपने अच्छा निकाला कि 28 चीनी मिलों को बन्द करने का निर्णय ले लिया। घाटे में चल रही है दो-चार मिलें, 21 मिलें जो फायदे में चल रही है सरकारी क्षेत्र की मिलें और जब तमाम मिलें गन्ना खरीदना बन्द कर देती है तो उस वक्त सरकारी क्षेत्र की मिलें जब तक गन्ना खड़ा रहता है उसे खरीदते हैं। जिस दिन यह मिलें प्राइवेट हाथों में बिक जायेंगी तो उद्योगपतियों के हितों को आप साधने लगेंगे। किसान मरने लगेगा फिर देश को मिटने से आप नहीं बचा पायेंगे क्योंकि खड़ी फसलों को किसान जलाने के लिए मजबूर होगा।

पंजाब मार्डन स्टेट कहलाता था, आज नहीं है, आन्ध्र प्रदेश का किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है आप उत्तर प्रदेश के किसान को आत्महत्या के रास्ते पर मत ले जाइये। आज गन्ना किसान पेरशान है कल गेहूं का किसान परेशान होगा और जिस दिन किसान को रोटी नहीं मिलेगी

तो उस दिन किसान मजबूर हो जाता है क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जिस खेत से गरीब को मयस्सर नहीं रोटी, उस खेत के हर गोश-ए-गन्दुम को जला दो। हर गोश-ए-गन्दुम जल जायेगा तो न यह विधान सभा रह पायेगी, न कोई रह पायेगा, क्योंकि किसान के पसीने की कीमत जो मोतियों की शक्ल में गिरती है, उस पर हम और आप जिन्दा हैं, इसलिए किसान को मरने मत दीजिए, लेकिन किसान के साथ अन्याय हो रहा है। अवस्थापना के क्षेत्र में आइये आपने शहरी अवस्थापना की बात कही कि दो सौ करोड़ रुपए, आपने बड़े फख्र से कहा था, कहने का अन्दाज निराला है, अदायें निराली होती हैं, जुदा अंदाज होते हैं। आपने कहा दो...सौ करोड़ रुपए, ऐसा लगा जैसे दो हजार हो गये। इतना बड़ा वह शहरी क्षेत्र और उसके लिए दो सौ करोड़ रुपए। काफी हंसी आ रही है, हंसिये, और यहीं पर बात हो रही थी मैं आक्षेप नहीं लगा रही हूं, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्मारक एवं संग्रहालय के लिए सरकार 322 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान करती है। रमाबाई वाटिका के लिए 44 करोड़ रुपये स्वीकार कर दिया है, 322 करोड़ रुपये छोटे से स्थान के लिए स्वीकार किया गया क्या उस स्थान को हीरे मोती से जड़ा जायेगा शहरी अवस्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये पूरे प्रदेश के लिए स्वीकृत किया गया है। जबकि ऐसा कहा गया कि 200 करोड़। मानो दो हजार करोड़ हो। उद्योगों की हालत यह है कि उद्योग नीति आपकी नहीं है। वायदा किया गया है कि जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको 50 प्रतिशत की कमी 5 सालों में करेंगे, 33 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है इसका मतलब आप साढ़े 16 प्रतिशत की कमी करेंगे कैसे करेंगे आप उसे हमें बतायें ? पूर्वांचल निधि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई, पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड निधि में कुल मिलाकर 395 करोड़ दिया गया है जबकि हमारी सरकार ने 523 करोड़ रुपये किया था, उसे भी कम कर दिया है। उद्योग कहां से लगेंगे, किसी भारी उद्योग का जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है। पूर्वांचल प्रदेश का पिछड़ा हुआ हिस्सा है, वहां उद्योग लगाने की विशेष छूट की बात आपने नहीं की है। महिला उद्यमियों का कोई ख्याल नहीं रखा गया है, महिला सशक्तीकरण की बात हो रही है। बीजिंग और लन्दन में बात हुई, बीजिंग और लन्दन की बात मैं नहीं करती हूं, हिन्दुस्तान की महिलाओं ने साबित किया है कि उनसे अच्छा उद्यमी कोई नहीं है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए आपके बजट में क्या योजना है, कोई योजना नहीं है ? महिला को छोड़ दीजिए, आपकी कोई औद्योगिक नीति नहीं है। मान्यवर, जब उद्योग लगता है तो उस पर आधारित और भी उद्योग लगते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि बड़ा उद्योग लगेगा तो औद्योगिक टाउनशिप हो जायेगी, हजारों, लाखों लाख लोग उसमें उद्यम पायेंगे। आपकी उद्योग नीति है नहीं, व्यापार नीति है नहीं, श्रम के ऊपर आप मौन हैं। आप कहते हैं कि आशावादी बजट है। सवा करोड़ लोगों के रोजगार सृजन की बात करते हैं जबकि उस मद में पैसा रखते नहीं हैं। क्या सड़क बनाने के लिए जो बेलदार रखेंगे, उसे ही रोजगार सृजन कहेंगे, वह भी सीमित दिनों का रोजगार होगा चूंकि मैं महिला हूं, हमारी सरकार ने जेण्डर बजटिंग की शुरुआत की थी। हमारी जो सोशल अपलिफ्टमेण्ट की प्लानिंग थी, यह सुनिश्चित किया गया था कि एक तिहाई हिस्सा महिलाओं तक जरूर पहुंचे, उसकी इस बजट में क्या व्यवस्था है, क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी ? महिलाओं के साथ यह सरकार पक्षपात

कर रही है, बावजूद इसके कि इस सरकार की बागडोर एक महिला के हाथ में है। (समाजवादी पार्टी के सदस्यों की तरफ से शेम-शेम की आवाजें आयीं।) मान्यवर, आगे भी कहना चाहूंगी कि कन्या विद्याधन के लिए कहा गया था, बेरोजगारी भत्ते के बारे में नहीं कहूंगी कन्या विद्याधन के लिए इस बजट में उल्लेख किया गया है कि यह आत्म सम्मान को गिराने वाला है। यह आपने कहा है। मेरी व्याख्या भी कृपया सुनिये। बेटी समाज में किन नजरों से देखी जाती थी, बेटी का पिता होना बोझ समझा जाता है, पाप समझा जाता है, उसकी मिसाल है मादा भ्रूण हत्या। आज मादा भ्रूण हत्या नहीं रुक रही है और हमने उसे बचाने के लिए 20 हजार रुपये दिये थे ताकि कोई पिता बेटी को अभिशाप न समझे। यह समझे कि जन्म लिया है तो जिम्मेदारी सरकार आंशिक रूप से ही सही वहन करने के लिए तैयार है। मादा भ्रूण हत्या एक ज्वलंत समस्या समाज के लिए है। सरकार कितनी गम्भीर है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहां पर सम्भवतः 22 जून को दिल्ली से मानीटरिंग कमेटी इंस्पेक्शन के लिए आयी थी, वह यह देखने के लिए आयी थी कि यहां पर 'प्रि-नॉटाल डायग्नॉस्टिक टेक्नीक एक्ट' का पालन हो रहा है या नहीं। मान्यवर, यहां 'प्रि-नॉटाल डायग्नॉस्टिक टेक्नीक एक्ट' का अनुपालन तो छोड़िये। घोर उल्लंघन हो रहा था। एक दो नहीं 6 अल्ट्रा साउण्ड सेंटर थे उनके लाइसेंस को निलम्बित करने का कार्य किया गया था और जैसे ही समिति दिल्ली पहुंचती है 24 घण्टे भी नहीं बीतते हैं 24 घण्टे के भीतर उनके लाइसेंस बहाल कर दिए जाते हैं। इन 6 अल्ट्रा साउण्ड सेन्टर पर मादा भ्रूण हत्या का घोर पाप हो रहा था क्या सरकार के संज्ञान में यह बात आई है। मैं आपसे कहती हूं जबकि अस्तित्व का संकट है महिलाओं के अस्तित्व पर गम्भीर खतरा मंडरा रहा है तब सरकार क्या करना चाहती है बेटी की डोली तो तब उठेगी जब वह दुनियां में आएगी। मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि समाज पुरुष प्रधान है इस हाउस में आपकी संख्या अधिक है परन्तु रक्षा बन्धन के दिन आपकी सूनी कलाई किसी प्रेम बन्धन का इन्तजार करती रह जाएगी यदि आपने इसे नहीं रोका। सृष्टि की सुन्दरतम रचना अगर कोई है तो वह नारी है वह इसलिए क्योंकि ईश्वर ने इसको करुणा, ममता, प्रेम और त्याग के रंगों से इसको सवारा और सजाया था। वह तस्वीर धुंधली हो जाएगी अगर नारी नहीं रहेगी। ईश्वर जहां खुद मौजूद नहीं वहां पर उसने नारी को और इसलिए भेजा कि मेरी अनुभूति को उसमें महसूस कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

कानून के द्वारा, कानून का राज्य पूरे लखनऊ में जगह-जगह होर्डिंग लगी हुई है। भयमुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज होगा समाज भयमुक्त हुआ है और अपराधी भी भयमुक्त हुए हैं। इतने भयमुक्त हुए कि मेरठ जेल और सुल्तानपुर जेल जैसा काण्ड किया, जहां 6 लोग मारे गए। क्यों मारे गए ? आपने निर्णय लिया कि गृह सचिव इसको देखेंगे जो भी देखें स्थिति में परिवर्तन तब तक होने वाला नहीं है जब तक आप दुर्दान्त अपराधियों को उनके गृह जनपद से

हटाकर दूसरी जगह नहीं रखेंगे वह गृह जनपद में रहेंगे तो इस तरह से संघर्ष होते रहेंगे इसको कोई माने या न माने।

श्री अधिष्ठाता-

आपके 20 मिनट हो गए।

श्रीमती सैयूयदा शादाब फातिमा-

आपके समय में हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कहा यह जाता है कि कानून व्यवस्था की रक्षा का भार पुलिस तन्त्र पर है लेकिन यह भार विधायक और मंत्रिगण पर भी है मुझे कहनें में अच्छा नहीं लग रहा है परन्तु सच्चाई कितनी भी कड़वी हो उसे कहना अवश्य चाहिए अन्यथा वह नासूर बन जाती है। हरदोई जिले में एक मंत्री जी और उनके साथी विधायकगण टैक्सी स्टैण्ड को लेकर गोलीबारी करते हैं। दूसरे विधायक जी जिनका सम्बन्ध गोरखपुर से है उनके सुपुत्र मुन्ना भाई की तर्ज पर अपने स्थान पर किसी दूसरे को एम0बी0बी0एस0 का पर्चा दिलाते हैं और वह पकड़े जाते हैं। बुलन्दशहर के एक विधायक हैं एक युवती के अपहरण में उनका नाम आया है लेकिन समाजवादियों के ऊपर अनुशासन का डण्डा चलाया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब बहुत देर हो गयी। कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सैयूयदा शादाब फातिमा-

विधान परिषद् में भी मामला उठता है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है यह ध्यान रखना चाहिए।

सितमगर वक्त का तेवर बदल जाये तो क्या होगा।
मेरा सर तेरा पत्थर बदल जाये तो क्या होगा।

हालांकि हम लोग गांधी के अहिंसा के सिद्धान्त पर चलते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सैयूयदा शादाब फातिमा-

मैं एक बात कह कर समाप्त कर दूंगी। मान्यवर, बजट में कहा गया कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महिलाएं रात में भी निर्भीक होकर बाहर निकल सकती हैं। मान्यवर, रात में तो क्या निकलना जब लखनऊ के अन्दर यहां पर सरे शाम एक महिला का बलात्कार चलती हुई कार में किया गया। इतना ही नहीं मान्यवर, 17 मई को छिन्दो नाम की लड़की की मथुरा में छेड़खानी के बाद जिन्दा जलाकर हत्या कर दी गई।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। कुछ लिखा नहीं जायेगा।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

[xxx]

श्री नीरज कुशवाहा-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं, पहली बार चुनकर विधान सभा में आया हूं। मान्यवर, यह जो बजट वर्ष 2007-2008 के प्रति प्रस्तुत किया गया है यह बजट सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त पर आधारित है जिससे प्रदेश की शोषित पीड़ित और गरीब जनता के कल्याण और उत्थान का सीधा सरोकार है। वर्ष 2007-2008 का बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मान्यवर, इससे सुनिश्चित तौर से प्रदेश का समुचित विकास होगा। मैं आपका ध्यान इस बजट के बाद आने वाले जो और विभागों के बजट हैं उनके सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र की ओर ध्यान रखते हुए आगे विकास की योजनाएं रखी कब जाय। वर्ष 2007-2008 के बजट में लगभग 8 हजार नौ सौ करोड़ रुपये की 512 नई योजनायें प्रस्तावित हैं, यह प्रदेश के लिये सुखद विषय है। डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के द्वारा समाज के दलितों शोषितों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। शहरी अवस्थापना के विकास के लिये नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के लिये सरकार द्वारा माननीय कांशीराम जी नगर विकास योजना को प्रारम्भ किया जा रहा है जिससे भी नगरों का समुचित विकास होगा। इतना ही नहीं मान्यवर, इस बजट में कृषि, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी चीजों के विकास को ध्यान में रखा गया है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह जो वर्ष 2007-2008 का बजट प्रस्तुत किया गया है।

इसमें मूल रूप से ग्रामीण विकास की ग्रामीण योजनाओं के ऊपर हमारे बजट पर ध्यान देने के लिए सरकार ने वचनबद्धता की है और कहा है इसी में मैं अपने को जोड़ते हुए ग्रामीण क्षेत्र के विकास में जो प्रदेश सरकार कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाएगा। अम्बेडकर योजना के तहत जो चयनित अम्बेडकर गांव है उनके अतिरिक्त बाकी के गांव जो क्षेत्रों में आधे से अधिक हैं उनके विषय में ऐसी कोई कार्य योजना का सरकार की तरफ से इस बजट में प्राविधान नहीं किया गया है, जो अम्बेडकर गांव से बचे हुए गांव हैं उनके विषय में क्या किया जाएगा। मान्यवर, अम्बेडकर गांव में विकास किया जाएगा। इसमें मेरी तरफ से कहीं कोई शक जाहिर नहीं किया जा रहा है लेकिन जो बाकी के गांव हैं उनके लिए सरकार की क्या योजना

नोटः-[xxx] यह अंश मा0 अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

होगी और बजट में उनके लिए क्या प्राविधान होगा ? इसी के साथ-साथ मान्यवर, जो ग्रामीण क्षेत्र के नलकूपों के विद्युतीकरण की योजना है उसके लिए मात्र 50 करोड़ का बजट में प्राविधान किया गया है। जबकि हमारे प्रदेश का लगभग 45 से 50 प्रतिशत क्षेत्र असिंचित क्षेत्र है। नहरों की स्थिति बहुत खराब है उसके कारण अनेक हैं। चाहे वर्षा का न होना कारण हो, चाहे बर्फ का न पिघलना कारण हो, चाहे मान्यवर, हमारे प्रदेश का पानी हरियाणा या दिल्ली को बेचे जाने का कारण हो। हमारे प्रदेश में नहरों के ऊपर स्थिति अब किसान की नहीं रखी जा सकती है। ऐसे में निजी नलकूप और राजकीय नलकूप के लिए मेरा निवेदन है कि बजट में इस 50 करोड़ से कहीं कोई भला होने वाला नहीं है। इसी के साथ-साथ 'ग्रामीण पेयजल योजना' में जो जल निगम की खराब पड़ी पेयजल योजनायें हैं इनके अनुरक्षण के लिए बजट में कोई प्राविधान नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में मान्यवर, आज पेयजल की इतनी भयंकर स्थिति है हैण्डपम्प जो घरों में लगे थे उसमें करीब 80 परसेंट और 90 परसेंट पानी नहीं दे रहे हैं और जो इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प है शायद उसके लिए भी मुझे लग रहा है कि बजट में कोई ऐसा प्राविधान विधायकों के लिए विधायकों की संस्तुति के लिए नहीं किया गया है कि विधायक अपने क्षेत्रों में, दो सौ, चार सौ, पांच सौ हैण्डपम्प गांव वाइज एक-एक विधान सभा में, मैं निवेदन करूंगा कुछ मेरे सदस्य ऐसे भी हैं जिनके विधान सभा क्षेत्र में तीन सौ, चार सौ, दो सौ गांव है अगर उन्हे दो-दो हैण्डपम्प भी नहीं मिले, अगर गांव वाइज दो-दो तीन-तीन हैण्डपम्प नहीं मिले, अगर गांव वाइज वह दो-दो हैण्डपम्प भी अपने गांव में किसी योजना में विधायक एक साल में नहीं लगा पाएगा तो उसके लिए विषम परिस्थिति हो जाएगी। सुबह से शाम तक कोई विधायक, चाहे वह इस पक्ष में बैठा है चाहे वह उस पक्ष में बैठा है समस्यायें सभी की एक जैसी है। हम विरोध के लिए एक दूसरे से यह कहें कि यह सत्तापक्ष में हैं या विपक्ष में हैं यह अलग मैटर हो सकता है लेकिन समस्याओं से सभी को जूझना पड़ता है। चाहे वह मा0 मंत्री हों, चाहे मैं होऊं, चाहे मेरे उस तरफ बैठे लोग हों चाहे इस तरफ बैठे लोग हों। तो मैं चाहूंगा कि पेयजल योजना के लिए प्राविधान इस बजट में अलग से अवश्य किया जाए। इसी के साथ-साथ मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा। फातिमा जी ने बहुत अच्छा कहा, उसी में अपने को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि मा0 अम्बेडकर जी के लिए योजना शुरू की गई है 200 करोड़ रुपये की, एक मा0 कांशीराम जी के नाम से योजना शुरू की गई है वह ऊंट के मुंह में जीरा है। योजना शुरू की गई है इसके लिए धन्यवाद है। एक नया काम शुरू किया गया उसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन कितना बड़ा प्रदेश कितने सारे शहर और धन की व्यवस्था दो सौ करोड़। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि इस योजना पर भी पुनः विचार करने की, इसके लिए बजट में नये प्राविधान करने की, और विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के बजट में, चाहे वह टाउन हो, नगर पालिका परिषद् हो, नगर निगम हो, वहां की जो विषम परिस्थिति है वहां सबसे बड़ी विषम परिस्थिति पेयजल की है। वहां पर हैण्डपम्पों के लिए जब विधायकों द्वारा कहा जाता है तो कह दिया जाता है कि आपके प्रस्ताव पर शहरी क्षेत्र में हैण्डपम्प नहीं लगेंगे, नगरपालिका क्षेत्र में कोई प्राविधान नहीं है तो एक विषम परिस्थिति पैदा हो जाती है तो पेयजल का इसमें कहीं न कहीं कोई प्राविधान किया जाए।

मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं आपसे चिकित्सा बजट के रूप में एक नई चीज और नए प्रस्ताव के रूप में भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट मार्ग जो है, नेशनल और स्टेट हाई वे जितने भी हैं, उनके ऊपर आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था के रूप में एम्बुलेंस की व्यवस्था या उसके ऊपर एक तरह की चालित डिस्पेंसरी की व्यवस्था कराई जाए ताकि इन मार्गों से गुजरने वाले लोगों की अकस्मात् होने वाली दुर्घटनाओं के कारण उनको तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सके। बड़ी-बड़ी घटनाएं होती है यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो हम किसी भी आम आदमी की जाती हुई जान को बचा सकते हैं। इसलिए इस तरह की एक एम्बुलेंस की व्यवस्था का भी इस बजट में प्राविधान किया जाए।

मान्यवर, आबकारी विभाग से राजस्व प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश के लिए धन और राजस्व की आवश्यकता है लेकिन यह जो ग्रामीण क्षेत्र के हर गांव में, हर तीसरे गांव में, पांचवें गांव में देशी शराब के, अंग्रेजी शराब के, बियर के ठेके खोले जा रहे हैं, इसके कारण नौजवानों में बढ़ती नशाखोरी पर सरकार का क्या नियंत्रण होगा ? बजट में इसका भी प्राविधान किया जाए। मैं आबकारी या राजस्व घाटे के लिए कहीं कोई बात नहीं कर रहा हूं लेकिन नौजवानों में नशाखोरी का जो प्रचलन हो रहा है, उसकी रोकथाम के लिए भी प्राविधान किया जाये। चाहे उसकी समय-सीमा निर्धारित की जाए या उसकी दूरी निर्धारित की जाए कि वह 3 किलोमीटर की दूरी पर होंगी या 5 किलोमीटर पर होंगी। हम सदन में बैठे 400 से अधिक लोग जानते हैं और यहां युवाओं के विकास के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं यदि वह पीढ़ी बर्बाद हो जायेगी तो हम सब के लिए यहां बैठना भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा।

मान्यवर, इसके साथ-साथ ग्राम्य विकास की रोजगारपरक योजनाओं में जो युवाओं को रोजगार देने की बात है, मैं उसके विषय में निवेदन करना चाहूंगा। प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, इस तरह की कोई जांच एजेंसी निश्चित कराई जाए कि जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, वह जे0बी0सी0 मशीन, ट्रैक्टरों द्वारा दिए गए बजट का दुरुपयोग न कर सकें। स्थिति यह है कि ट्रैक्टर से, जे0बी0सी0 मशीन के द्वारा बड़े-बड़े कार्य करा लिए जाते हैं जो कार्य मजदूरों और बेरोजगारों के द्वारा कराये जाने चाहिए थे। इन पेट्रोल व डीजल चलित मशीनों के निशान मिटाने के लिए थोड़ा सा मजदूरों से काम कराते हैं और फर्जी मस्टररोल भरकर पैसा निकालने का काम करते हैं। जहां पर मशीन से काम होना हो, वहां मशीन से काम हो लेकिन जहां मजदूरों से होना है, वह काम मजदूरों के द्वारा हो, तभी इसका लाभ हमारे बेरोजगारों को मिल सकेगा।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं गन्ने के विषय में अवश्य कहना चाहूंगा। प्रदेश, कृषि प्रधान प्रदेश है जिसका अधिकतर हिस्सा गन्ना किसानों का हिस्सा है। मान्यवर, इस प्रदेश के गन्ना किसान के साथ एक मजाक होने जा रहा है। इस प्रदेश की गन्ना मिलों को यह कहकर बेचने की तैयारी की जा रही है कि यह मिलें नुकसान में चल रही है। यदि सभी गन्ना मिलें प्राइवेट में चली गई तो आप रेट डिक्लेरेशन कैसे करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता-

समय का ध्यान दें।

डॉ0 अजय तोमर-

मान्यवर, 3 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मान्यवर, उनके रेट निर्धारण का कोई मायने नहीं होगा। आपका अंकुश प्राइवेट मिल मालिकों से हटता जा रहा है। प्राइवेट मिल मालिक नवम्बर, दिसम्बर में मिल चलायेगा। यदि निगम और सहकारी मिलों के उत्थान के लिए कोई योजना लाई जाती, उनके अन्दर बिजली उत्पादन की इकाइयां लगाने के लिए, एल्कोहल की यूनिट लगाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाता तो अच्छा होता। जब बड़े-बड़े अनुदान दिये जा सकते हैं, छूट दी जा सकती है तो किसान के लिये चलने वाली इन मिलों को बेचने के फैसले पर पुनः विचार करे। अगर यह सरकारी मिलें खत्म हो गई तो प्राइवेट मिल मालिक किसी के बस में आने वाले नहीं हैं। मान्यवर, अब मैं पशुपालन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि पशुपालन किसान का एक मुख्य अंग है तथा अगर किसान का कोई दूसरा व्यापार है तो पशुपालन है। किसान उसके चारे के लिये खेत में होने वाले चारे से, घास से, ज्वार से पशु पालता है और उसका दूध वगैरह बेचकर बच्चों का पालन करता है। मान्यवर, कितने पशु चिकित्सालय खोलेंगे इसके बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया हैं मान्यवर, मैं एक दो मिनट और लूंगा। मान्यवर, जो प्राइवेट चीनी मिलें हैं वह अपनी मनमानी करके किसानों के गन्ना बकाये के भुगतान में लापरवाही कर रही है, आने वाले 2-3 महीनों के अन्दर ही नये पेराई सत्र में समस्या आने वाली है। इसके साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 33/11 के0 वी0 ए0 के जो विद्युत उपकेन्द्र हैं उन पर जो 10 कि0मी0 से ज्यादा दूरी के फीडर हैं तो वहां पर नये बिजलीघरों की व्यवस्था कराई जाय। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के लिये जो अभी कहा गया था तो उसमें केन्द्र सरकार का जो हिस्सा है उसमें सरकार अपने बजट से भी कुछ हिस्सा बढ़ा लें। केन्द्र के हिस्से को अपने लिये न जोड़े। इसका प्राविधान किया जाना चाहिये। मान्यवर, अन्त में मैं पुनः निवेदन करता हूं कि गन्ना किसानों को जी0 ओ0 और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के निर्देशानुसार 15 दिन की देरी पर ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित किया जाय तथा जिनका देरी से भुगतान हुआ है उनको भी बकाये पर ब्याज दिया जाय। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, आपने मुझे बजट प्रस्ताव के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें बेरोजगारी भत्ते को खत्म किया गया है। इस पर मैं पुनः विचार करने की मांग करता हूं क्योंकि जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिन्हें स्नातक पास करने के बाद सरकारी नौकरियों में फार्म भरना होता है, परीक्षा देने के लिये जाना होता है, किराया के लिये पैसा नहीं होता है तो इसके लिये पिछली सरकार ने साल में 6 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया था और अबकी सपा सरकार बनती तो 18 हजार रुपये

साल, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता जिससे वह नौकरियों का फार्म डालते और अपनी रोजी रोटी आगे तलाश करते। लेकिन यह बंद कर दिया गया है जिससे शिक्षित बेरोजगारों में हताशा ओर निराशा है। हमारी सरकार से पहले पिछली सरकारों में शिक्षित बेरोजगारों द्वारा जो आत्महत्यायें की जा रही थी उसको रोकने का भरसक प्रयास हमारी सरकार ने किया था।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गरीबी की रेखा के नीचे इन्टर पास कन्याएं हैं उनको उच्च शिक्षा हासिल हो इसके लिये बीस हजार रुपये कन्या विद्या धन के माध्यम से व्यवस्था की गयी थी उसको भी आपने रोकने का काम किया है। जो गरीब रिक्शे वाले की बेटी है, जो गरीब आदमी की बेटी है, अगर वह इन्टर पास हो गयी और बी0ए0, बी0एस0सी0 या अन्य कक्षाओं में प्रवेश के लिये धन की व्यवस्था आड़े आती थी, उसके लिये सरकार ने कन्या विद्या धन की व्यवस्था की थी, लेकिन उसको भी आपने वन्द कर दिया। इससे जो गरीब किसानों की बेटियां हैं उनके अन्दर हताशा और निराशा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, आरक्षण देने की बात की जा रही है लेकिन उनकी शिक्षा पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, मैं लखीमपुर जिले से श्रीनगर से जीतकर आया हूं। मान्यवर, हमारा जिला गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। पूरे जिले में गन्ना किसानों का भुगतान वकाया है। उनके द्वारा रोजमर्रा के कामों में बड़े-बड़े पूंजीपतियों से ब्याज पर रुपये लेकर अपनी फसल बोयी जा रही है, इस तरह से वह अपने बेटे-बेटियों की शादी कर रहे हैं, इसके लिये सरकार ने बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, गन्ने पर चर्चा हो रही थी तो मा0 मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि चीनी मिलें नहीं बेची जायेंगी लेकिन उसी दिन बैठक होती है और 28 चीनी मिलें को बेचने का निर्णय लिया जाता है। तो यह किसानों के हितों पर कुठाराघात हैं अगर इसी तरह से सहकारी मिलें बेची जायेंगी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जायेगा जिस तरह से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या करने पर मजवूर हो गया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दिया जाय और उन्हें आत्महत्या करने के लिये मजबूर न किया जाय। मान्यवर, यह जुलाई का महीना चल रहा है। पूरे प्रदेश में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वह किसी भी कक्षा के हों, छठी के हों, सातवीं के हों, नौवीं के हों या इन्टर के हों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नये कालेजों की स्थापना के लिये, जो पिछली सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी थी, उसको बदल दिया हैं धारा 9(4) के अन्तर्गत जो मान्यता दी जाती थी उसको रोक दिया गया है और कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, जो जनहित के कार्य हैं, समाज शिक्षित हो इसलिये बच्चों के कालेजों को मान्यता देने का काम हमारी सरकार ने किया था लेकिन उसे रोका गया है। मान्यवर, मैं अल्पसंख्यक समाज से हूं। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज आप स्थापित करने की बात की जा रही है लेकिन हमारे जिले में सराय में डकैती हुई। डी0 एम0, एस0 पी0 ने कहा कि मुल्जिम को गिरफ्तार किया जायेगा लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गयी है। आज कानून व्यवस्था चरमरा गयी है, जगह-जगह पर हत्यायें हो रही हैं, इसे रोकने की जरूरत है। पुलिस के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस को बहुत कम वेतन व मानदेय दिया जा रहा है। उनकी बारह घंटे की नौकरी है लेकिन वह चौबीसों घंटे हम लोगों के पीछे लग

कर काम करते हैं उनके लिये कोई व्यवस्था इस बजट में नहीं की गयी है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस बजट का विरोध करता हूं।

*श्री बृजेश सौरभ-

श्रीमन् अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन मायावती जी ने जो 2007-2008 का बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हूं और आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, मैं शुरुआत करता हूं उन मुद्दों से जहां पर हमारे प्रदेश का बजट प्रारम्भ किया गया है हमारे सामने आज वह हमारे वरिष्ठ सदस्यगण नहीं हैं जिनको हम लोगों ने पहली बार सदन से पहले प्रधोधन कार्यक्रम में देखा था और हमारे इस बजट को जिन्होंने दिशाहीन, अर्थहीन और तरह-तरह के नये विशेषण जोड़ कर के उन्होंने कहा था और अर्थशास्त्र पर बताया था कि यह बजट किसी अर्थशास्त्री की मदद से नहीं तैयार किया गया, मैं आज यही बात कहना चाहता था, उनको बताना चाहता था कि अगर किसी अर्थशास्त्री की मदद नहीं ली गई थी तो किसकी मदद से बना था बजट बताना चाहता हूं कि दूरदृष्टि थी, हमारी नेता जी की, बधाई देना चाहिये उनको सारे सदन के लोगों को, कि जिस तरीके का बजट हमारी सरकार ने तैयार किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारें थी उनके बजट का आंकलन कर लिया जाय और अन्तर पता चल जायेगा कि आखिर हमारे बजट में और उनके बजट में अन्तर क्या था। आज हमारे सामने ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई है महोदय मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे लिये किन्हीं विशेष मुद्दों पर उंगली उठाई गई है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों आज सदन में हमारे साथियों के बीच में जब कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में जंगलराज व्याप्त था हमारे यहां कानून का राज नहीं था। हमारी सरकार ने कहा हमारी नेता ने कहा कि हमारे यहां हमारी सरकार में गुण्डाराज समाप्त किया जायेगा, जंगलराज समाप्त किया जायेगा तो इन लोगों को यकीन नहीं होता। जब डेढ़ महीने की उपलब्धियों की बात आती है तो कहा जाता है कि बजट तो हमने पहले तैयार किया था, फाउण्डेशन हमने तैयार की थी, हमने बजट के लिये सारा प्राविधान किया था, लेकिन जब आज डेढ़ महीने की उपलब्धियों की बात आती है तो कहा जाता है कि डेढ़ महीने में आकर के आपने कौन सी उपलब्धियां हासिल कर लीं। मैं कहना चाहता हूं, हमारी मोहतरमा सदस्य कह रही थी कि महिला सरकार है, महिला हमारी नेत्री है और महिलाओं के लिये कोई प्राविधान नहीं है। मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन दो ऐसी पेंशन योजनायें थीं यहा पर चार साल की समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अगर उन्होंने दृष्टिपात किया होता तो डेढ़ सौ रुपये का एक पेंशन लोगों को पिछले कई सालों से दिया जा रहा था। उस पर दृष्टिपात किया गया होता। हमारी मोहतरमा उस पर उंगली उठाती तो हमें अच्छा लगता। हम तो कहना चाहते हैं कि शेरो-शायरी के अन्दाज में उन्होंने कहा लेकिन में एक श्लोक के माध्यम से कहता हूं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यत्र नारिस्य पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता।

उनको इस बात का भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाय कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। हमारी पार्टी में हमारे यहां नारी की पूजा होती है अगर उनको इस पर धन्यवाद देने का मादा हो तो देना चाहिये और मैं तो कहता हूं कि इतने लोगों के बीच में वह अकेली महिला हैं अपनी हिस्सेदारी देखें और हमारी तरफ देख लें कितनी हिस्सेदारी है। हमारे यहां नारियों की कितनी ज्यादा ऐहिमियत है।

आपकी संख्या कम आई है, यह आपके कारनामों का प्रतिफल है। आपकी संख्या कम क्यों आई हम बताना चाहते हैं। यही तो बताना चाहते हैं कि जंगलराज के मामले में जब हम लोग कहते थे, पूरे प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को चुन करके बहुमत में भेजा, 16 साल बाद, तो निश्चित ही कहीं न कहीं हमारी नेता की दृढ़ इच्छाशक्ति का योगदान था उसमें, जनता को विश्वास था कि तीन कार्यकाल बहन जी के, छोटे-छोटे कार्यकाल थे, लेकिन तीनों कार्यकालों में गुण्डों को उनकी औकात बताई गई थी और बताया था कि गुण्डों की जगह जहां पर है वहां पर उनको भेजा था, यह आपकी सरकार में मादा नहीं था और मैं कहना चाहता हूं कि इसी लखनऊ में इसी राजधानी में समाजवादी पार्टी का बैनर लगा करके, पार्टी पर नाम लिखकर के, नेम प्लेट लगा करके, इसी जगह पर सी0 ओ0 को बोनट पर बैठा कर के टहलाया गया है। यह माद्दा आपकी सरकार में नहीं था कि उन गुण्डों और अपराधियों को सजा देते और आपके यहां के मंत्री जेल में जाकर उनसे मिल कर, उनके खाने-पीने की व्यवस्था किया करते थे। यह आप लोगों की उपलब्धि थी। अगर जंगलराज की बात करते हैं तो हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमने इस बात को दिखाया है, हमारी सरकार ने दृढ़ इच्छाशक्ति दिखाई हैं

*श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

आप हमारी तरफ देख कर क्यों मुस्करा रहे हैं ?

श्री बृजेश सौरभ-

दरअसल, हम आपकी बात समझ रहे हैं। कल आप बैठे थे ध्यान में मुस्कराहट दिखा रहे थे।

*रेशम वस्त्रोद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

माननीय गौरी शंकर जी, इनसे आपको कोई खतरा नहीं है।

श्री बृजेश सौरभ-

मैं पीठ को देख कर कह रहा हूं, लेकिन आपको लग रहा है कि हम आपको देख रहे हैं। हम देख रहे थे उस तरफ, इशारा उधर कर रहे थे, लेकिन आपको लग रहा था कि हम आपकी तरफ देख रहे थे। हम आपकी तरफ नहीं देख रहे थे। हम आपकी तरफ देखना ज्यादा पसन्द नहीं कर रहे थे। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के नाम पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन बिन्दुओं पर आप लोगों ने कहा, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। मान्यवर, आप देखें कहा जाता है कि विश्वविद्यालय अच्छे नेतृत्व को पैदा करने की नर्सरी होते हैं। आप पिछले तीन सालों का इतिहास देखें छात्र संघों का इतिहास देखें। वहां पर छात्र नेतृत्व के स्थान पर अपराधियों की फौज खड़ी कर दी गयी थी। उनकी प्रदेश पर कब्जा करने की नीयत देखी गयी। उसको देखते हुये जनता ने तय कर लिया कि जिस सरकार में जिसके नेतृत्व में अपराधियों पर कन्ट्रोल नहीं हो सका है जिनके यहां अपराधियों को लाल बत्ती से नवाजा जाता है या जिन्हें मान सम्मान के साथ सम्मानित किया जाय, ऐसी सरकार में जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। आज हमारी सरकार बहुमत के साथ चुनकर आयी है 16 साल के बाद जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला किया। और बहन मायावती जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही पार्टी को जिताने का फैसला लिया। यह फैसला इसलिये हुआ क्योंकि जनता लूली लंगड़ी और त्रिभंगी सरकार को देखते देखते त्रस्त हो गयी थीं। उन्होंने मान लिया था कि अगर बहन मायावती जी की सरकार नहीं आयेगी तो उत्तर प्रदेश की दशा दुर्दशा में बदल जायेगी और कहीं पर भी अच्छा काम नहीं होगा। मान्यवर, एक नारा दिया गया था उत्तम प्रदेश का और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में बदलने की बात कही जाती थी। आप देखें मान्यवर पहले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही जाती थी फिर इनके शासनकाल में उल्टा प्रदेश हो गया और अंत में ऊधम प्रदेश। पूरे प्रदेश में ऊधमी लोगों का बोल-बाला हो गया। और देखते देखते सब कुछ उल्टा हो गया। मान्यवर, औद्योगिक विकास की बात कही जाती है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विकास परिषद् का गठन किया गया था और उसमें बड़े-बड़े उद्योगपतिगण सदस्य बनाये गये थे। उनके आने जाने का हवाई खर्च का पैसा वह सरकार वहन करती थी। यहां लखनऊ में और अन्य जगहों पर उसकी मीटिंग होती थी। उसमें अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिनको राजनीति में गौरव हासिल था जो किसी भी दो लोगों के बीच समझौता करा सकते थे वह अध्यक्ष उसके बनाये गये थे। उसकी कितनी उपलब्धियां हुई हैं। उसने कितना औद्योगिक विकास कराया है। मान्यवर, पिछली सरकार के कार्यकाल में प्रतापगढ़ जनपद में जो एक औद्यागिक कारखाना था आटो ट्रैक्टर लिमिटेड, वैसे तो प्रतापगढ़ उद्योग शून्य जनपद था, लेकिन उद्योग के नाम पर जो एक कारखाना वह था उसको सिपानी नाम के व्यक्ति को बेच दिया गया। उसके साथ जो एग्रीमेन्ट किया गया कारखाने के संचालन का वह 25 करोड़ रु0 का सामान लेकर भाग गया। यह समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। श्रीमन् सीमेंट की कम्पनियां उत्तर प्रदेश में थी अच्छा काम कर रही थीं। सारी सीमेंट की कम्पनियों को उनके नेतृत्व में बेचा गया था और कोई नये उद्योगों की स्थापना नहीं की गयी। उत्तर प्रदेश में उद्योगों को चौपट करने का श्रेय किसी को जाता है तो वह उन लोगों को जाता है जिन लोगों को उत्तर प्रदेश विकास परिषद् में नामित किया गया था। उन्होंने सब चौपट किया है और उत्तम प्रदेश बनाने का काम नहीं किया है। मान्यवर, सिर्फ मुम्बई में बैठकर बालीवुड के हीरो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं बना सकते हैं। यह मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं बजट में जो प्राविधान किये गये हैं बजट के प्राविधानों में उत्तर प्रदेश को नई दिशा देने के लिये अर्थ शास्त्रियों की मदद ले करके एक लाख के ऊपर का बजट प्रथम वर्ष तैयार किया गया है, यह हमारी उपलब्धि है। इस पर हमारे लोगों को हमारे

साथियों को हमारा मनोबल बढ़ाने के लिये और हमारी नेता की दूरदृष्टि के लिये बधाई दी जानी चाहिये। महोदय, आज हमारे यहां आक्सीटोसिन नाम की दवा के लिये बात कही जा रही थी तो हमें अच्छा लगा कि हमारी मोहतरमा ने एक प्रश्न उठाया। सच्चाई यह है कि यह दूध वृद्धि के लिये होता है। आक्सीटोसिन अगर जानवरों के लगा दिया जाता है तो उसके दूध की मात्रा बढ़ जाती है। हमारी मोहतरमा जानती होंगी कि वह फलों के अलावा जानवरों को भी नुकसान करने वाली दवा है, व्यक्तियों को भी नुकसान पहुंचाती है। उस दवा का प्रतिबन्ध डेढ़ महीने पहले हम लोग सत्ता में आये हैं लेकिन जिनकी पहले सरकार थी उनका दायित्व था कि वे लोग उस दवा पर प्रतिबन्ध लगा लेते तब हमारे ऊपर उंगली उठाते। मैं कहना चाहता हूं डेढ़ महीने की बात होती है तो हमारे ऊपर आरोप लगते हैं। पिछली बार, जब कहा जाता है जापानी इंसेफ्लाटिस एक ऐसी बीमारी थी पूरे प्रदेश में 14-15 ऐसे जिले थे जहां की जनता पूरी तरह से इससे त्रस्त थी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर जापानी इंसेफ्लाटिस यह बीमारी पहली बार नहीं आई थी इसका आक्रमण हर वर्ष पिछले वर्षों में जब-जब बरसात होती है जब-जब तराई इलाके में बताया गया जहां सुअर बाड़े होते हैं, सुअर की बस्तियां होती हैं, वहां पर इसका प्रकोप बढ़ता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, जो बरसात के पहले व्यवस्थायें होनी चाहिये उसके लिये प्रविधान किया है। हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र का प्राविधान किया है। आज हमारी प्राथमिक शिक्षा जो पतन की ओर जा रही थी दुगने से ज्यादा बजट देकर हमारी नेता ने इस बात का संकल्प दोहराया है कि हम सबसे पहले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उनके स्कूलों के द्वार तक नहीं बल्कि उनको उस स्थान पर भेजना चाहते है जहां पर आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 बनने के लिये द्वार खुलते हैं। यह हमारी प्राथमिक विद्यालयों के लिये प्राथमिकता थी। महोदय, सिंचाई के मुद्दों पर बहुत बात होती है और अन्य मुद्दों पर बात होती है, कृषि जैसे मुद्दे पर बात होती है तो मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के मुद्दे पर जिन पर हमारे माननीय सदस्यों ने बात उठायी थी हमने कृषि के मामले में जहां कहीं कोई प्रश्न आया कृषि के लिये मान्यवर, किसानों की बात की जाती है। लोग पूंजीवादियों का विरोध करते-करते कब पूंजीवाद के आगोश में चले गये उनको इस बात का अनुमान नहीं लेकिन हम गौरव के साथ कह सकते हैं किसान पुत्र थे, किसान के परिवार में पैदा हुये थे और किसानों की बात करते हैं पूंजीवादियों से हमारा कोई नाता नहीं है, पूंजीवादियों के लिये हमारे यहां कोई स्थान नहीं है।

हम आपके सामने बेरोजगारी और कन्या विद्या धन के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट करके दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। अधिष्ठाता महोदय, जब यह बात आई कि बेरोजगारी भत्ता कब बंटने लगा। एक नारा था कि सत्ता लगी जब सरकने तो भत्ता लगा बंटने। जब लगने लगा कि हमारी सरकार डावाडोल है तब नौजवानों की याद आ गयी और कहा गया कि नौजवानों आओ भत्ता ले जाओ, बेरोजगारी भत्ता ले जाओं। 4 महीने पहले जब चुनाव के 6 महीने रह गये थे तो भत्ता याद आ गया। महोदय मैं कहना चाहता हूं कि कन्या विद्या धन किसको मिला है जिनकी जेब में 10 हजार रुपये घूस देने का धन था, उनको कन्या धन मिला है और जिन निर्धन परिवार में 10 हजार रुपया घूस देने का नहीं था उनको आज भी कन्या धन नहीं मिला है वह

इंटर शिक्षित होकर के आज भी घरों में बैठी हुई है। ऐसा कन्या विद्या धन और ऐसा बेरोजगारी भत्ता। मैं कहना चाहता हूं कि अगर नौजवानों के लिये मन में कुछ सम्मान था, नौजवानों के लिये कुछ करना था तो आपने कुछ ऐसा काम किया होता कि कम से कम एक लाख नौजवानों को रोजगार दिया होता, रोजगार पाकर नौजवान आपके पीछे खड़ा होता लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह बात यही आकर नहीं रुकती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि महापुरुषों के नाम पर हर दल ने अपनी अपनी बाते कही। हमारी पार्टी ने कांशीराम जी के नाम पर हमने एक छोटी सी योजना प्रारम्भ की। हमने उस महापुरुष के नाम पर एक कृतज्ञता व्यक्त की। उस पर भी लोग विरोध व्यक्त करते हैं। हम कहते हैं कि डा0 लोहिया के नाम पर पूरा 5 कि0मी0 तक लोहा जड़ दिया गया, हमने कभी विरोध नहीं किया। पूरे-पूरे जगह पर सारा काम कर दिया गया, उस व्यय की आज तक कोई अर्थवत्ता कोई गुणवत्ता समझ में नहीं आती। लेकिन हम कहते हैं कि जिनकी सरकार कभी थी चाहे अन्य दलों की। उनके समय में डा0 उपाध्याय के नाम पर, चाहे श्यामा प्रसाद मुकर्जी के नाम पर, चाहे किन्ही महपुरुषों के नाम पर काम होते रहे, हम लोग भी उसका समर्थन करते थे। महोदय, हम ज्यादा समय न लेकर केवल इतनी ही बात कहेंगे कि हमारी नेता ने जो गांव की ओर उन्मुख बजट दिया है, जो हमारी नेता ने विकास की ओर उन्मुख बजट दिया है, वह विकासोन्मुख, गरीबोन्मुख और आम जनता के विकास से जुड़ा हुआ बजट है इस बजट पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें दूरदृष्टि छिपी हुयी है जिससे आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में हमारा प्रदेश उन्नति की ओर जायेगा। उन्नत प्रदेश कहलायेगा, उधमी प्रदेश नहीं कहलायेगा। इसके लिये मैं बहन मायावती को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, बहुत-बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद।

(श्री उदयराज यादव का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री अनिल चौधरी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन की ऊंची परम्परायें रही हैं और मेरा मानना है कि मेरा जो प्रश्न है इस पर आप अपनी व्यवस्था जरूर देंगे। इस सदन की गरिमा घटती है जब इसका कोई माननीय सदस्य गलत बयानी करें या बिना तैयारी के बोलना शुरू कर दें। यह सदन भाषण कला के दंगल की तरह इस्तेमाल न किया जाय। यहां सारगर्भित और पढ़ने-लिखने के बाद बात की जाय। अभी माननीय सदस्य सौरभ जी बजट पर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि इसके पहले की सरकार ने आक्सीटोसिन पर रोक क्यों नहीं लगाई ?

श्री जगदीश नारायण राय-

माननीय अधिष्ठाता जी, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न कहां होता है वह नये हैं अगर वह कोई गलती भी किये हैं तो उस पर कोई व्यवस्था नहीं बनती। यह परम्परा न चलाइये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य मैंने दूसरे सदस्य का नाम बुला लिया है, इसमें कोई व्यवस्था के प्रश्न जैसी बात नहीं है। माननीय उदयराज यादव जी आप अपनी बात कहें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अनिल चौधरी-

मान्यवर, नियम-51 के तहत आज इसी विषय पर वक्तव्य लगा है और यह दिसम्बर, 2005 का शासनादेश है आक्सीटोसिन पर प्रतिबन्ध का। यह मेरे सामने रखा हुआ है। मेरा केवल निवेदन है, सुझाव है कि सदन के सदस्य गरिमापूर्ण व्यवहार करें और कम से कम लिख पढ़कर किसी चीज को बोलें।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट-

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि जब कोई नये माननीय सदस्य आते हैं और प्रथम बार बोलते हैं तो वह उनकी मेडेन स्पीच कहलाती है। यह भी हाउस की परम्परा है इस ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करता हूं। लम्बी अवधि से हम साथियों के साथ बैठ रहे हैं। मेडेन स्पीच जब माननीय सदस्य बोल रहे हों तो जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको किसी बात पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिये। मेरा यह अनुरोध है, यह मैं पूरे सदन के लिये ध्यान आकर्षित करता हूं जब भी कोई माननीय सदस्य प्रथम बार बोलें तो वह मेडेन स्पीच कहलाती है और मेडेन स्पीच जो होती है उसमें यदि कोई ऐसी बात भी निकल जाय तो उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिये, मेरा यह अनुरोध है।

*श्री उदयराज यादव-

माननीय अष्ठिाता महोदय, आपने वर्ष 2007-2008 के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं इसके लिये आपके प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, सबसे पहलें बजट में दूसरे बिन्दुओं पर दूसरे विभागों के बारे में मैं कोई बात कहूं उससे पहले हमारे साथी सदस्य बृजेश जी अपनी बात कह रहे थे और हम दोनों लोग विश्वविद्यालय में एक साथ पढ़े हैं, आमने-सामने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं। शायद अच्छी तरह से याद होगा जिस बेरोजगारी भत्ते की बात का जिक्र कर रहे थे विश्वविद्यालय में हम लोग आन्दोलन किया करते थे तो मान्यवर, हम लोगों की यह मांगे इसीलिए हुआ करती थी कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दो या बेरोजगारी भत्ता दो और उस समय कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी, उस सपने को साकार करने का काम पिछली सरकार ने किया था। आज जिस तरह से बहाना लेकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के बहाने से उनको लालच देने का काम किया गया है, वह ठीक नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया गया था उसकी एक सोच थी और वह सोच यह थी कि हमारे आपके गांव और गली में रहने वाले तमाम लड़के जिन्होंने किसी प्रकार से बी0ए0, एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण कर ली है, उनके परिवार बहुत गरीब हैं, आज भी तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके मां-बाप किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी नहीं करते हैं दो सौ रुपए का ड्राफ्ट नौकरी का फार्म भरने के लिए नहीं लगा सकते। वह नौकरी का प्रार्थना-पत्र भी नहीं दे सकते, इसलिए मान्यवर, एक सोच थी, एक सोच को ले करके नोजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया गया था ताकि नौजवानों को कहीं फार्म भरने के लिए अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मां-बाप के सामने हाथ न फैलाना पड़े। बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया था, आज जो बजट आया है मैं सत्तापक्ष के साथियों से एक सवाल करता हूं कि जहां तक बेरोजगारी भत्ता समाप्त करने का सवाल है लेकिन जो होर्डिंग लगी है साफ-साफ कि बेरोजगारी भत्ता समाप्त करके रोजगारपरक रोजगार से जोड़ने का काम किया जाएगा लेकिन कोई ऐसी योजना इस पूरे बजट भाषण में नहीं मिलती जिसके माध्यम से रोजगार देने का काम किया जा सके। क्या उन बेरोजगार नौजवानों से जो 80 रुपए के रेट से मजदूरी और फावड़ा चलवाने का काम किया जाएगा, तो इससे ज्यादा पढ़े-लिखे नौजवानों का अपमान और क्या हो सकता है। साथियों जहां तक बजट का सवाल है अगर हम शिक्षा को ही देखें तो वाहवाही लूटने का काम किया गया है। हमने प्राथमिक शिक्षा पर इतने करोड़ रुपए बढ़ा देने का काम किया है, शिक्षकों से भवनों को बढ़ाने का काम किया जाएगा, उनसे अतिरिक्त कक्ष बनवाने का काम लिया जाएगा लेकिन बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं किया जाएगा। मान्यवर, प्राइमरी स्कूल बच्चों की नींव है और अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो वह बच्चे अच्छी तरह से आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते और पढ़-लिखकर नौकरी नहीं पा सकते। आज शिक्षा का क्या स्तर है, एक प्रश्न उभरकर खड़ा हो गया है कि जहां हम प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों से कहते हैं कि वह बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं करते हैं तो आज की स्थिति यह है कि कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जहां एक या दो से ज्यादा अध्यापक हों। और उन अध्यापकों से आप क्या-क्या काम लेंगे या तो उनसे शिक्षा का काम ले लिया जाए या वोटर लिस्ट का काम ले लिया जाए या भवन निर्माण का काम ले लिया जाए, अगर यह सारे काम अध्यापकों से लिये जायेंगे तो वह शिक्षा देने का काम नहीं कर सकते हैं। मैं सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से शिक्षकों के द्वारा जो भवन निर्माण का काम कराया जाता है, उसकी स्थिति एक-दो साल में ऐसी हो जाती है कि वह गिरना शुरू हो जाता है क्योंकि वह टेक्निकल नहीं होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन भवनों को किसी एजेंसी के माध्यम से बनवाने का काम किया जाए और शिक्षकों को केवल शिक्षण के ही कार्य में लगाया जाए। मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा का जहां तक सवाल है मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन आज माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है। आज जो स्थिति माध्यमिक शिक्षा की है, अगर उठाकर देखें, हो सकता है कि आपकी भी नजर लखनऊ के एक अखबार पर पड़ी हो, माध्यमिक शिक्षा के स्तर के बारे में बड़ डिटेल में छापने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने शासकीय विद्यालय हैं, इण्टर कालेज हैं उनमें लखनऊ के अन्दर जो हाईस्कूल और इण्टर कालेज हैं, उसका जो रिजल्ट आया है, अगर किसी विद्यालय में 100 बच्चों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा दी है तो एक भी छात्र उत्तीर्ण नहीं हुआ है। यही स्थिति राजकीय विद्यालयों की है। परन्तु जो प्राइवेट कालेज हैं उनमें 75 से 80 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुये हैं। उच्च शिक्षा के बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं परन्तु आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है कि इण्टर का परीक्षाफल आने के बाद हो सकता है कि इसी सत्र के दौरान हम लोगों को यह बात उठानी पड़े कि स्नातक स्तर पर छात्रों के प्रवेश की समस्या है। आज की स्थिति में यह समस्या भी हमारे सामने आने वाली है। जहां तक कानून-व्यवस्था का सवाल है। मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश के अन्दर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी है, डेढ़ महीने के अन्दर कानून-व्यवस्था बिगड़ी है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया शान्त रहिये।

श्री उदय राज यादव-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था के नाम पर क्या हो रहा है, कानून-व्यवस्था के सुधार का ढिंढोरा पीटने वाले लोग, मैं आज कहता हूं, संसदीय कार्यमंत्री जी यहां नहीं हैं उनकी जगह पर राय साहब बैठे हुये हैं। आज किस तरह से मुल्जिमों को छिपाने का काम किया जा रहा है, अपराधों को छिपाने का काम किया जा रहा है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक महीने में आधा दर्जन राहजनी की घटनायें हुई हैं लेकिन एक में भी मुकदमा उस थाने के अन्दर पंजीकृत करने का काम नहीं किया गया है। लेकिन यह कह दिया गया कि पहले के समय में अगर कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ किया है तो फर्जी प्रार्थना-पत्र दिलाकर सदन में बैठे हुये लोगों पर मुकदमा कायम किया जाता है।

(सत्ता-पक्ष द्वारा टोका-टोकी करने पर)

माननीय अधिष्ठाता जी, खास करके जो जिम्मेदार लोग हैं सरकार के मंत्री है कम से कम एक सदस्य के बोलने पर टोका-टोकी नहीं करनी चाहिए। मान्यवर, सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए कितनी संवेदनशील यह सरकार है, बजट से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वे योजनायें जो हिन्दुस्तान की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के किसी हुकुमत ने सोचने का काम नहीं किया था, हमारे गांव और गली में रहने वाला किसान अपनी खेती का काम करते समय अकस्मात किसी कारण से उसकी मौत होती थी तो मुलायम सिंह यादव ने किसान बीमा योजना लागू करके एक लाख रुपया मृतक किसान को देने का वायदा ही नहीं किया था बल्कि देने का काम किया था। इस योजना का नामोनिशान उत्तर प्रदेश के बजट से हटाने का काम किया गया कितनी चिन्ता है उत्तर प्रदेश के किसानों की इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में 14 स्टेट ट्यूबवेल लगाने का काम यह सरकार करने जा रही है। मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा किसान विरोधी सरकार दूसरी नहीं हो सकती। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के बारे में कुछ बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पिछली सरकार ने केवल घोषणा ही करने का काम नहीं किया था बल्कि शासनादेश जारी किया था और हर जनपद, विकास खण्ड और तहसील मुख्यालय पर कैम्प लगाकर घोषणा की थी कि जितने वृद्ध होंगे, विधवायें होंगी उन सारे लोगों को उत्तर प्रदेश की हुकुमत पेंशन देने का काम करेगी। पेंशन देने का काम किया गया उसको समाप्त करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। बहुत न कहते हुए आज जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2007-08 का बजट पेश किया गया है वह उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का बजट पेश किया गया है। इससे ज्यादा इस बजट में कुछ नहीं है। इतना कहते हुए व आपके प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री संजय कपूर-

अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट के मौके पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपके प्रति शुक्रिया अदा करता हूं धन्यवाद देता हूं। इस बजट में, जो हमारी माननीया मुख्यमंत्री मायावती जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसमें शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं जो जनहित की है शामिल कराना चाहता हूं। बिलासपुर में एक राजकीय डिग्री कालेज बना है जिसमें सिर्फ बी0ए0 तक शिक्षा दी जा रही है। बी0एस0सी0 और बी0काम0 के लिए छात्रों को दूर जाना पड़ता है मैं चाहूंगा कि इस बजट में इसका भी प्राविधान कराया जाय। मिलक एक बहुत बड़ी तहसील है मेरे क्षेत्र रामपुर जनपद की उसमें कोई डिग्री कालेज नहीं है वहां पर लम्बे समय से डिग्री कालेज खोलने की मांग की जा रही है सरकार अगर वाकई शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक है तो मैं चाहूंगा कि इसे इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसी तरह से केमरी टाउन एरिया है जो रामपुर जनपद में उसमें एक राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल है उसमें 10-15 सालों से हाई स्कूल की शिक्षा दी जा रही है वहां पर काफी लम्बे समय से इण्टर मीडिएट कालेज की डिमाण्ड की जा रही है इस मांग को इस बजट में शामिल किया जाना चाहिए। इसी तरह से बिलासपुर में भी हायर सेकेन्डरी स्कूल है जिसमें हाई स्कूल की शिक्षा दी जा रही है मैं चाहूंगा कि उसमें भी इण्टर मीडिएट कालेज की शिक्षा दी जानी चाहिए। मान्यवर, मैं आपका ध्यान बिलासपुर तहसील जो नेशनल हाईवे पर है नैनीताल को जाने वाले लोग उसी रास्ते से गुजरते हैं वहां पर रोडवेज का बस अड्डा नहीं है इससे किसी समय दुर्घटना हो सकती है मैं चाहूंगा कि इस बजट में इसका प्राविधान किया जाय। बिलासपुर बस अड्डा बनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार से एक बहुत गहन समस्या है बिजली से सम्बन्धित बिलासपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है बिलासपुर तहसील की गिनती उत्तर प्रदेश ही नहीं हिन्दुस्तान में कृषि उपज में नम्बर तीन पर होती रही है। वहां पर प्राइवेट नलकूप लगाने के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है सरकार की तरफ से अभी तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसमें ट्यूबवेल का कनेक्शन जल्दी हो। पहले ट्यूबवेल्स के कनेक्शन पांच हार्स पावर में दिए जाते थे लेकिन अब साढ़े सात हार्स पावर में ट्यूबवेल के कनेक्शन दिए जा रहे हैं इससे यहां की जनता बहुत गरीब और उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से पहले पांच हार्स पावर के कनेक्शन दिए जा रहे थे उसी प्रकार अभी भी पांच हार्स पावर के कनेक्शन दिए जाएं। इसके लिए पहले 300 मीटर लाइन फ्री दी जाती थी वही व्यवस्था पुनः अपनाई जाए। रामपुर में बिलासपुर तहसील भवन बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। मैं कहना चाहता हूं कि काफी दिनों से इसकी मांग भी चली आ रही है। कभी भी कोई हादसा किसी दिन हो सकता है। बिलासपुर तहसील के भवन का निर्माण बजट के माध्यम से करवाया जाय। इसी तरह से मान्यवर, वहां कोतवाली भी 100 साल से ज्यादा पुरानी है, उसकी भी हालत बहुत बुरी है, उसका भी नवीनीकरण, जीर्णोद्धार किया जाना जनहित में आवश्यक है नहीं तो वहां पर भी किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। मान्यवर, रूद्रविलास चीनी मिल है। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीनी मिल के सम्बन्ध में हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा है। मान्यवर, यह चीनी मिल करोड़ों रुपये के घाटे में चल रही है इसके जीर्णोद्धार की मांग भी काफी समय से चली आ रही है, जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे कोई कार्य नहीं होता है। आज की नई टेक्नीक के हिसाब से इसका रिनोवेशन किये जाने की आवश्यकता है। मिलक तहसील में आज तक कोई चीनी मिल नहीं है। वहां पर चीनी मिल लगाये जाने की मांग भी काफी समय से चली आ रही है मैं चाहूंगा कि वहां पर एक चीनी मिल के प्रस्ताव को भी बजट में शामिल किया जाय क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री बहिन मायावती जी चीनी के क्षेत्र में बहुत जागरूक है इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसानों के हित में, बजट के प्राविधान में यहां पर चीनी मिल को भी शामिल किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसी तरह से जहां तक बेसिक शिक्षा का सवाल है, इस विषय में भी पूर्व के वक्ताओं ने काफी बोला है। मान्यवर, हमारे यहां पर भी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसी तरह से कहना चाहता हूं कि केमरी में एक एडिशनल पी0एच0सी0 बना है। यह एक बहुत बड़ा टाउन एरिया है और वहां पर एक लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित होती है। वहां पर डाक्टर नहीं हैं। वहां पर एक सी0एच0सी0 का प्राविधान भी जनहित में उस टाउन एरिया में किया जाना जरूरी है। अस्पतालों में डाक्टरों की कमी है। महिला डाक्टर जनपद में एक या दो है। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि केमरी, बिलासपुर व मिलक में शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक या आई0टी0आई0 का प्राविधान इस बजट के माध्यम से किया जाना बहुत जरूरी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले दिनों में जो विभागीय बजट रखे जायेंगे उसमें इन सबका समावेश किया जायेगा तो सही मायने में गांवों का, शिक्षा का, किसानों का और मजदूरों का, महिलाओं का विकास होगा। इन सबको यदि आप इसमें शामिल करेंगे तब ही हमारे प्रदेश का विकास होगा और प्रदेश हिन्दुस्तान के पैमाने पर सही स्थान पर खड़ा हो सकेगा अपनी अच्छी तस्वीर बना सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2007-2008 के साधारण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी बहिन मायावती जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जनप्रिय सरकार द्वारा यह जो बजट रखा गया है यह सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के मूलभूत सिद्धान्त पर आधारित है। हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा एक बात कही गई कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने डॉ0 बाबा साहब के स्मारक पर 322 करोड़ रुपये का बजट रखा है। मान्यवर, आप जानते हैं कि चाहे जिस देश, जिस समाज और जिस धर्म के हम लोग हों। संक्षेप में मैं एक लाइन कहना चाहता हूं।

चिड़ियों में चहक नहीं तो कुछ भी नहीं।
फूलों में महक नहीं तो कुछ भी नहीं।।
इन्सान में हजार जौहर हों लेकिन।
इन्सानियत नहीं तो कुछ भी नहीं।।

डा0 बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में इंसान और इंसानियत को जिन्दा रखने का जो काम किया है उसके लिये 322 करोड़ तो क्या पूरे प्रदेश का बजट एक बार में खर्च कर दिया जाय तो हमारी सरकार के लिये कम हैं।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसके लिये मैं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने इस देश में इंसान और इंसानियत को जिन्दा करने के लिये अपनी तमाम जिन्दगी लगा दी। आज उन्हीं की बदौलत उनके संविधान में संरक्षित वोट के दिये गये अधिकार पर आज इस सदन में मुझे बोलने का अवसर मिला है। ऐसे महान पुरुष के लिये 322 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है इसलिये मैं मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा रखे गये इस बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, जहां तक मुख्य मंत्री जी ने विकास का दर 5.1 परसेन्ट से बढ़ाकर 10 परसेन्ट रखने का जो लक्ष्य रखा है उस पर इस सदन में हमारे विपक्ष के साथियों मा0 ओमप्रकाश जी, मा0 नरेश अग्रवाल जी ने शंका व्यक्त की है उन्हें शंका व्यक्त नहीं करनी चाहिये थी। क्योंकि हमारी नेता जो लक्ष्य निर्धारित करती है उसे एचीव करती है। यह सदन इसका साक्षी है चुनाव के पहले हमारी नेता ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनायेंगे। शायद अगल-बगल बैठे साथियों को इस बात का एहसास नहीं था। उनको शायद विश्वास था कि हमारी अकेली नहीं तो दोनों की मिलकर सरकार बन जाएगी, लेकिन हमारे नेता ने जो लक्ष्य रखा था आज पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाकर दिखा दी है।

(मेजें थपथपाई)

तो जो लक्ष्य 10 परसेंट का निर्धारित किया है वह हमारी नेता निश्चित ही एचीव करके दिखायेंगी। ऐसा मैं इस सदन में, अपनी तरफ से नहीं, अपनी सरकार की तरफ से अपने विपक्षी साथियों को एहसास कराना चाहता हूं । जहां तक हम जिस विधान सभा से चुनकर आते हैं श्रावस्ती भगवान बुद्ध की स्थली है भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों में कहा था-'यो मातरं व पितरं व जिण्णक गतयोवनं। पुहू सन्तो न भरित तं पराभवत् मुंखं' अर्थात् जो युवा अवस्था में माता पिता व वृद्धों की सेवा नहीं करता है उसका पतन हो जाता है। आज हमारी नेता बहन मायावती ने मुख्यमंत्री जी ने वृद्धजनों की पेंशन को डेढ़ सौ रुपये से बढ़ाकर तीन सौ रुपये करने का काम किया है वह एक सराहनीय कदम है। मैं समझता हूं कि उन्होंने महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रतिपादन किया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इतना ही नहीं इस बजट में 20 लाख पात्र व्यक्तियों के स्थान पर 24 लाख पात्र व्यक्तियों की व्यवस्था की है। यह बजट प्रशंसा का पात्र है। मान्यवर, जहां तक ग्रामीण विकास का सवाल है डा0 अम्बेदकर ग्राम्य विकास योजना के माध्यम से, हमारी सरकार ने ग्राम सभाओं के लिये क्रमशः योजना की व्यवस्था की है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने पूरे प्रदेश के धन की सफाई करके, सपाई अन्दाज में मात्र एक गांव सैफई पर खर्च करने की चलते-चलते योजना बना डाली। मैं फिर दोहराना चाहता हूं हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने इस बजट के माध्यम से ग्राम सभा विकास योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश की ग्राम सभाओं को क्रमशः विकसित करने की योजना को

शुरु किया है जबकि पिछली सरकार ने मात्र एक गांव के विकास के लिये पूरे प्रदेश का धन बड़ी सफाई से सपाई अंदाज में सैफई पर खर्च करने की योजना बना डाली। हमारी नेता ने पूरे प्रदेश के अम्बेडकर ग्राम सभा के माध्यम से क्रमशः प्रत्येक विधान सभा में प्रत्येक वर्ष 5-5 ग्राम सभाओं को अम्बेडकर गांव के रूप में नाली, बिजली, सड़क, खड़ंजा, स्कूल, अस्पताल, नलकूप, ग्रामीण पेयजल, आवास सहित लगभग 3800 करोड़ की व्यवस्था करके इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना संजोया है जब मैं बजट पर बल देने के लिये खड़ा हूं तो अपनी नेता की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मान्यवर, आप जानते हैं मनुष्य की बेहतर जिन्दगी की नींव शिक्षा है। एक सूक्ति है :-

कोनुहासो, किमानन्दों, निच्चं पल्जिते सते।
अन्धकारेन ओनद्धा पदीपं न गव्वेसते।।

अर्थात् हे संसार के लोगों जब आपके आस-पास अंधेरा फैले तो प्रकाश की खोज करो, क्योंकि अन्धकार को प्रकाश ही दूर कर सकता है। इसलिये शाम ढलते ही, चाहे किसी भी जाति या धर्म, बिरादरी का क्यो न हो, शाम होते ही अपने घरों में दिया, डिबरी, लालटेन जलाने का उपाय करने ही लगता है। लेकिन इस धरा पर पैदा होने के बाद हम एक इन्सान की शक्ल में आते हैं। जहां सर्वसमाज की अवधारणा की गई। एक बात कहना चाहता हूं, कबीर दास के भजन के माध्यम से, भजन तो मैं नहीं गा सकता लेकिन भाव जरूर कह रहा हूं। कबीर दास ने एक भजन गाया था जिसके भाव थे, 'इसी धरती पर, इसी धरा पर एक ऐसी भूमि है जहां व्यक्ति बिना खाये पिये जिन्दा रह सकता है।' वह भूमि क्या है ? वह भूमि हम सबकी मां की गर्भ भूमि हैं जब हम अपनी मां की गर्भ भूमि में बढ़ते और पलते हैं तो बिना खाये पिये जिन्दा रहते है। लेकिन जब हम अपनी मां की गर्भ भूमि से धरती पर जन्म लेते हैं, हमारे, आपके बदन को तब तक कोई नहीं छूता जब तक एक दायी आकर के साफ सुथरा करके, नाल काटने का काम नहीं करती। लेकिन जैसे ही चलने लायक हो जाते हैं, पहले हम पेट के बल चलना सीखते हैं, फिर पैरों के बल चलना सीखते हैं और जिस दिन पैरों के बल चलना सीख जाते हैं उसी दिन दायी के बारे में सोचते हैं कि वह छूने लायक नहीं है। वह छुवाने लायक भी नहीं है। तो क्या देने जा रहे हैं इस समाज को ? जब कि गोस्वामी जी की उक्ति यदि हम प्रयोग करें कि 'क्षिति जल पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा।' कोई ऐसा इन्सान नहीं है जिसका शरीर इन पांच तत्वों से निर्मित नहीं हुआ है। तब फिर इन्सान के बीच इन्सानियत के नाम पर भेदभाव क्यों किया जाता है ? यदि हमारे शरीर का कोई अंश दुबला हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तब दवाओं के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से अपने उस शरीर को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो समाज में कोई ऐसा समाज व्यवस्थाओं के नाते, दुर्व्यवस्थाओं के नाते कमजोर हो गया है तो उसे मजबूत बनाने का काम यदि हमारी नेता कुमारी मायावती जी कर रही हैं तो आपको तकलीफ क्यों होती है ? शायद आपको तकलीफ इसलिये होती है क्योंकि आप उन कमजोरों को मजबूत होते देखना नहीं चाहते। यह मानसिकता त्यागिये, 'सच को बर्दाश्त करे, सीने में वह दिल रख लो, तंज करना है तो आइना मुकाबिल कर लो।' (तालियां बजायी गई)। बहन कु0 मायावती

जी ने शिक्षा और विद्या के लिये, प्रारम्भिक शिक्षा और विद्या के लिये इसलिये धन की व्यवस्था की है कि बुद्ध ने कहा था कि 'ततो मलामलत्तरं अविद्या परम मलमं।' अर्थात् शरीर में तमाम तरह का मैल है किन्तु सबसे बड़ा मैल अविद्या है। अविद्या माने अविद्या और यही अविद्या दुखों का सबसे बड़ी जड़ है। जब तक इस जड़ पर चोट नहीं किया जायेगा, तब तक हम किसी को धनी बना सकते हैं, किसी को बुद्धिमान बना सकते हैं, किसी को धनवान बना सकते हैं लेकिन धन कमाने लायक कभी नहीं बना सकते। हमें किसी की दया पर नहीं जिलाना चाहिये बल्कि ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, दया पर नहीं, जीने लायक नहीं, जिलाने लायक बन सकें। यदि जिलाने लायक कोई बन सकता है तो विद्या और शिक्षा पर ध्यान देकर बन सकता है। मान्यवर, बहन कुमारी मायावती जी ने इस बजट में प्राथमिक शिक्षा पर 9 हजार 76 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो कि पिछले बजट से 1 हजार 939 करोड़ रुपये अधिक है। मैं समझता हूं कि शिक्षा पर जो धन खर्च करने की व्यवस्था की है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री राम सागर अकेला-

मान्यवर, चूंकि समय समाप्त हो रहा है। समय का सम्मान करना चाहिये। लेकिन जब इसी सदन में प्रबोधन कार्यक्रम में हमने गुरुजनों से सीखा। वह दूसरों का समय काटकर हड़प करना जाना चाहते हैं। अतः मैं स्वयं अपने समय को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिये अधिष्ठाता महोदय इस निवेदन के साथ मैं अपने को स्वयंभू बनने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें आपकी सहमति नहीं चाहता लेकिन इतना चाहूंगा कि मुझे नया सदस्य होने के नाते क्योंकि मैं आरक्षण से आया हूं तो आरक्षण में अनुदान मिलता ही है तो समय में थोड़ा अनुदान मिल जाय तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। मान्यवर, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे विधान सभा क्षेत्र इकौना जो कि श्रावस्ती जनपद में आता है। उन्होंने 22 मई, 1997 को श्रावस्ती जनपद की घोषणा की थी और उसका मुख्यालय भिनगा किया था। मान्यवर, श्रावस्ती और जनपद मुख्यालय भिनगा के मध्य में राप्ती नदी पड़ती है। जनपद मुख्यालय की दूरी श्रावस्ती से कम हो सके इसके लिये 11 जुलाई, 1997 को उन्होंने राप्ती नदी के अधरपुर घाट पर एक पुल का शिलान्यास किया था और 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी कर दी थी लेकिन उसके बाद की सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण वह पुल आज तक अधर में है। हमारे क्षेत्रवासियों को जनपदवासियों को जनपद मुख्यालय जाने में कठिनाई होती है। आज बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत के साथ चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में आज बैठक की हैं तो आज हमारे क्षेत्रवासियों को आशा की किरण दिखी है। मान्यवर, मैं इस बजट के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे जनपदीय समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये राप्ती नदी के अधरपुर घाट पर पुल की योजना को पूर्ण करायें और मान्यवर, एक बात यह कहनी है कि हमारे यहां क्षेत्र पयागपुर में कोई कन्या महाविद्यालय नहीं है इसकी मांग करते हुये मैं इस बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहती हूं कि बजट में विकास दर को 10 प्रतिशत बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें कृषि विकास दर 5.7 की बात कही गई है। मान्यवर, बिना कृषि के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की राष्ट्रीय विकास दर 3.2 प्रतिशत थी और उत्तर प्रदेश की इसकी एक तिहाई थी। ऐसी हालत में इतनी तीव्रगति से यह विकास कैसे होगा जबकि बजट में हाइब्रिड बीज की, उत्तम सिंचाई की, कृषि के लिये अच्छी खाद की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही कृषि अनुसंधानशाला प्रयोगशालाओं की जरूरत है जिसका बजट में कोई उल्लेख नहीं है। इन अनुसंधानशालाओं में जो कुछ अनुसंधान हों वह कृषकों को पहुंचाना पड़ता है और कृषकों को उसकी उपज का अच्छा मूल्य पर मिलना चाहिये जबकि किसान यहां रोज आत्महत्या कर रहा है। ऐसी हालत में कृषक किस प्रकार से उत्पादन बढ़ायेगा यह समझ से परे है। बजट में खाद और बीज की बात कही गयी है लेकिन सभी अंगों को नहीं लिया गया है। जो कहा गया है उसमें तालमेल नहीं है। कैपिटल आउट पुट रेशियो का विचार नहीं किया गया है, कितना हम निवेश करेंगे कितना रिटर्न मिलेगा इसका कोई तालमेल नहीं है, ऐसी हालत में केवल एक लक्ष्य घोषित किया गया है जिसके पूरा होने की संभावना नहीं है। बजट में यह कहा गया है कि ऊसर, बंजर और परती जमीन उपचारित की जायेगी, निश्चित रूप से इससे टोटल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन इससे उत्पादकता दर नहीं बढ़ पायेगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस तरह से बंजर और पड़ी हुई जमीनों को खेती में शामिल किया गया था, तो पूर्ण उत्पादन तो बढ़ गया था, लेकिन दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। इसलिये इस दृष्टि से भी भले ही बंजर, ऊसर भूमि को उपचारित किया जाय, भूमिहीनों में बांट दिया जाय, लेकिन उत्पादकता की वृद्धि के लिये वैज्ञानिक ढंग से चलना होगा। इस योजना में एकीकृत विकास योजना अनुसूचित जाति विकास के लिये ली गयी है। निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के विकास की योजनायें लेना चाहिये लेकिन अगर सर्वजन हिताय की घोषणा की जाती है तो क्यों न इस योजना को हर जाति के गरीब और दरिद्र व्यक्ति के विकास के लिये योजना बनाया जाय। होना यह चाहिये था कि सर्वजातीय दरिद्र निवारण योजना इसका नाम देना चाहिये था। सर्वजन हित के विकास के लिये इस योजना को बनाया जाना चाहिये था। मान्यवर, इस बजट में नेत्रहीनों, मूक बधिरों और शारीरिक विकलांग लोगों के भरण पोषण की व्यवस्था की गयी हैं एक तरफ सरकार कहती है कि कन्या विद्या धन, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता को बन्द कर देना चाहिये, दान की भावना और भीख मांगने की भावना को बढ़ाना नहीं चाहिये, उनके स्वाभिमान को बढ़ाना चाहिये, तो वह वर्ग, जो अपने को गिरा हुआ मानता है, उसमें भी स्वाभिमान को बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया गया है ? इन नेत्रहीन, अपंग विकलांग लोगों के लिये स्वरोजगार की व्यवस्था करना, रोजगारपरक व्यवसाय की व्यवस्था करना, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था कराना, उनके लिये दवा की व्यवस्था कराना, शारीरिक उपकरण की व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है, केवल भरण पोषण की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर,

हमारे श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने चित्रकूट में एक ऐसी ही विकलांग सहायता के लिये संस्था की स्थापना की है। जहां पर विकलांग के जीवन से सम्बन्धित हर अंग के आवश्यकता पूर्ति की व्यवस्था की गयी है। पिछले कार्यकाल में इसी सदन के एक सदस्य हरीश जी ने अपने क्षेत्र में खुशीपुर नामक गांव में इस प्रकार की एक संस्था की स्थापना की और भवन का निर्माण किया। उसमें विकलांग के उपकरण की, उनके उपचार की, उनके शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये भवन बनाया और भूमि को सरकार को देकर बनाया गया, लेकिन पिछली सरकार के दो साल के कार्यकाल में उस भवन में विकलांगों के हित में किसी कार्य की शुरुआत नहीं की गयी। सरकार ने अपने अंतिम समय में कार्य की शुरुआत हुई है लेकिन पूरी क्षमता के साथ उस संस्था में काम नहीं हो रहा है। उचित होता कि हमारी मुख्य मंत्री दलीय भावना से उठकर एक मात्र विकलांग संस्था और वह भी सरकारी संस्था है, जो खुशीपुर में है, उसे पूर्ण क्षमता के साथ उपयोग करते तो विकलांगों का सही हित होता। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की और भी संस्थाओं की स्थापना की जरूरत है। इस बजट में नये चिकित्सालय खोलने की बात कही गयी है। वास्तव में उत्तर प्रदेश में चिकित्सालय की जरूरत है लेकिन महिला चिकित्सालय का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या आश्चर्य की बात है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला हो, देश के प्रदेश की करीब-करीब आधी आबादी महिलाओं की हो, एक बार पुरुषों के जीवन में ऐसा कट जाता है कि कभी अस्पताल नहीं गये लेकिन कोई महिला ऐसी नहीं होगी जिसको तीन या चार बार अस्पताल न जाना पड़ता हो या जिसको दवा की जरूरत न पड़ती हो। महिलाओं की जिन्दगी के लिये दवा और उपचार नितान्त आवश्यक है और प्रत्येक महिला के लिये आवश्यक है। अवश्य ही जो अस्पताल खुलेंगे उसमें महिला विभाग होगा लेकिन महिला चिकित्सालय के अलग से खोलने की जरूरत थी वह भी ग्रामीण इलाकों में क्योंकि वहां निजी चिकित्सालयों की सुविधा भी नहीं होती। बड़े दुःख की बात है कि इस बात की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया। महिलाओं के लिये किसी भी प्रकार की कोई उन्नति की व्यवस्था नहीं की गई हैं महिला चिकित्सालय नहीं, महिला विश्वविद्यालय नहीं, महिलाओं के खेल की योजना नहीं, महिलाओं के लिये रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, महिलाओं की ओर, महिलाओं के सुदृढ़ीकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। समझ में नहीं आता अगर पिछले संसदीय कार्यमंत्री धर्म के नाम पर विश्वविद्यालय खोल सकते हैं तो हमारी मुख्यमंत्री महिला होकर महिलाओं के क्षेत्र में उन्नति के लिये कोई कदम क्यों नहीं उठाती। इस बजट में कुछ जनपदों में जेल शहरी आबादी के बीच में आ गया है इसलिये उसको हटाने की योजना है लेकिन वह जेल भी किसी समय शहरी आबादी से दूर रही होगी और आज उसको दूर हटाया भी जाय तो कल वही शहर बढ़कर फिर उन्हीं जेलों को आबादी के अन्दर ले लेगा तो क्या फिर से उसको हटाया जायेगा। नई जेल आबादी से दूर बनाया जाय यह बात तो समझ में आती है लेकिन पुरानी जेलों को हटाया जाय, नई भूमि को अधिग्रहीत किया जाय, पुरानी जमीन को किसी को आवंटित किया जाय, इस झमेले इस समय उठाने की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती। सरकार के पास बहुत सी समस्यायें हैं, नाहक इस प्रकार की बातों को क्यों उठाया गया।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समय का ध्यान रखें।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

इस सरकार ने बन्द सिनेमा घरों को खोलने की योजना बनाई है। इस समय सिनेमा घरों की आय गिरती जा रही है। सरकार को आय बढ़ाने के लिये बन्द सिनेमाघरों को खोलने की चिन्ता क्यों हो गई ? घर-घर में टी0 वी0 चल रही है, डी0 वी0 डी0 चल रही है, लोग घरों में सिनेमा देखते हैं सिनेमाघरों में नहीं जाते हैं। आय बढ़ाना था तो पर्यटन की ओर ध्यान देना चाहिये था। आश्चर्य है पूरे बजट में पर्यटन के विकास और पर्यटन के द्वारा आय बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे प्रदेश में ऐसे अनेक तीर्थस्थल हैं, जहां अगर अनाथालय, जहां अगर विश्रामालय, धर्मशालायें या जहां अगर ठहरने के स्थान बनाये जाते, तो सरकार को अनेक प्रकार की आय होती। काशी नगरी में एक सुल्तानकेश्वर मंदिर है कथानक यह है कि शिव का पहला चरण वहीं पड़ा था। प्रत्येक पर्व पर खासतौर से शिवरात्रि पर लाखों की भीड़ होती है, लेकिन यात्रियों के लिये जल की या मल-मूत्र त्यागने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण अच्छी खासी गन्दगी होती है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समय का ध्यान दें।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

बस दो मिनट मान्यवर, लेकिन इस प्रकार के तीर्थ यात्रियों के सहायतार्थ कोई कदम नहीं उठाया गया है। वहां एक कर्मदेवश्वर मंदिर है, पंचकोसी यात्रा पर जो तीर्थयात्री निकलते हैं और प्रदक्षिणा करते हैं नगरी की तो कन्दवागांव में जाकर एक दिन का ठहराव करते हैं। लेकिन पूरे कन्दवा बस्ती का मल-मूत्र भी कन्दवा पोखरे में फेंका जाता है जहां तीर्थ यात्री नहाते हैं और पूजा चढ़ाते हैं। सरकार को उचित था पर्यटन विभाग के द्वारा ऐसे तीर्थ स्थान जहां तीर्थयात्री ठहरते हैं, उनके ठहराव की व्यवस्था करें उनके नित्यकर्म करने की व्यवस्था की जाय और इसके लिये वह आराम से अपना आय-उपार्जन भी करती और तीर्थयात्रियों के लिये भी सरकार की कुछ ड्यूटी बनती है। पिछली सरकार में बहुत कोशिश किया गया था, लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा कन्दवा गांव में, कन्दवा पोखरे में मैला गिरने से रोकने की व्यवस्था नहीं हो पायी। मुझे आशा है कि सरकार की ओर से इस पर ध्यान दिया जायेगा और कन्दवा गांव को सुरक्षा और सुचारु रूप से व्यवस्थित किया जायेगा। इसी प्रकार से वहां एक मात्रिकुण्ड है जहां दक्षिण भारत के लोग आकर माटी को लेकर सर पर रखते हैं और मां की मृत्यु के बाद वहां श्राद्ध का कर्म करते हैं लेकिन वहां भी पोखरा सूख गया है और वहां के लोग बस्ती के लोग अपने चन्दे के द्वारा पोखरे का पुनर्जीवन कर रहे हैं। ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में अगर सरकार की ओर से कुछ नहीं तो ठहरने की व्यवस्था किया जाय तो सरकार की आय बढ़ सकती थी और पर्यटन की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता था। मान्यवर, इसी प्रकार से व्यक्तिगत शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है। शौचालयों की व्यवस्था अत्यन्त जरूरी है। लेकिन अफसोस है कि इसकी व्यवस्था गांवों में ज्यादा

की जा रही है जबकि गांवों की अपेक्षा शहरों में इसकी जरुरत ज्यादा है। आज नगरों की सीमा बढ़ती जा रही है। नगरों की बाहरी सीमा पर कोई शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। आये दिन देखा जाता है कि नगरों के बाहर लोग खुले स्थानों का उपयोग इसके लिये करते हैं और शहरों में तो रेलवे लाइनों के किनारे इसका उपयोग करते हैं जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो बंद होते हैं और फिर जमानत की कार्यवाही होती है। इसलिये व्यक्तिगत शौचालयों की जो योजना बनायी गयी है गांवों के लिये, उस व्यवस्था का प्रसार शहरों में भी किया जाये। शहरों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की सुविधा प्रदान की जाय। मान्यवर, इसी तरह से इसमें सवा करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही गयी है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि जो रोजगार की योजनायें हैं उनमें कोई तालमेल नहीं है। इसके अभाव में जो सेवा के क्षेत्र में वृद्धि दर 12 प्रतिशत प्राप्त करने की बात है वह भी प्राप्त नहीं होगी। जरुरत इस बात की है कि इसमें तालमेल हो। और जो भेदभाव किया गया है जाति धर्म के आधार पर, शहर और गांवों के आधार पर, वह भेदभाव समाप्त करके पूरे उत्तर प्रदेश को एक लक्ष्य मानकर सरकार को योजना बनानी चाहिये। यह कमी सरकार की इसमें दृष्टिगोचर हो रही है। यह बजट असंतुलित विकास की ओर भी ले जा रहा है। धन्यवाद।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 2007-08 के बजट के विषय में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं इस प्रदेश के उस पूर्वी भाग से आता हूं जहां बिहार की सीमा शुरू होती है। वहां से इस सदन का सदस्य हूं और कहना चाहता हूं मान्यवर, कि आज जो बजट रखा गया है यह बजट दिशाहीन और निराशाजनक बजट है। इस बजट के अंदर किसानों, छात्रों और बेरोजगारों की जो फौज है और जो निरन्तर बढ़ती जा रही है उसके निराकरण के लिये इस सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मान्यवर, हमारे यहां पहले देवरिया जनपद और कुशीनगर जनपद एक हुआ करते थे। दोनों जनपदों का जो क्षेत्रफल है वह ढाई हजार से पांच हजार वर्ग किलोमीटर का है। आधे हिस्से में गन्ना किसान है जो गन्ना बोते हैं। आज जो आशंका है कि आने वाले दिनों में जब चीनी मिलें बंद होंगी तो गन्ना किसानों के सामने समस्या आयेगी। वहां सहकारी और निगम दोनों की चीनी मिलें हैं। देवरिया जनपद में तीन चीनी मिलें हैं जो निगम की है। प्रतापपुर की चीनी मिल प्राइवेट सेक्टर की है। इसी तरह से 9 चीनी मिलें कुशीनगर में हैं। जिनके बंद होने पर किसानों के सामने समस्या खड़ी हो जायेगी। मान्यवर, इस साल गन्ने की पैदावार बढ़ी है। मान्यवर, जो बजट आया है इस बजट के अन्दर गन्ना किसानों की समस्याओं को हल करने के लिये कुछ नहीं कहा गया है। यह चीनी मिलें अगर निजी क्षेत्र में बेच दी जाती है तो गन्ना किसानों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा। मान्यवर, प्रदेश की आबादी लगभग 17-18 करोड़ है। इस सरकार ने वायदा किया है कि हम सवा करोड़ लोगों को रोजगार हर वर्ष देंगे। मान्यवर, अगर पांच लोगों की यूनिट को एक यूनिट मान लिया जाय तो साढ़े तीन करोड़ लोग प्रभावित हुये। अब अगर एक परिवार के नाम पर एक आदमी बेरोजगार हैं तो साढ़े तीन करोड़ लोग बेरोजगार हुये। यह सरकार साढ़े तीन करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार कैसे मुहैय्या करायेगी उसके लिये बजट के अन्दर क्या व्यवस्था की गयी है ? मान्यवर, हमारी सरकार ने

9 लाख बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया था और यह वायदा किया था कि हम अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी का भत्ता देंगे। यहां तो सरकार आई है उस सरकार ने सबसे पहले बेरोजगारों को जो बेकारी भत्ता 500 रुपये देने का वायदा हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने दिया था उसको समाप्त करने का काम किया है। कन्या विद्या धन योजना वह समाप्त हुई। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं खेत बेचकर शराब पीने वाले बाप को मैंने देखा है लेकिन खेत बेचकर बेटा पढ़ाने वाले बाप को नहीं देखा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अब किसी बाप का खेत नहीं बेचने देंगे उनकी कन्याओं के लिए ऊंची शिक्षा की हम व्यवस्था कर रहे हैं। और यह समझ करके पूरे प्रदेश में साढ़े 5 लाख से लेकर 6 लाख लड़कियों को मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी बेटी समझकर कन्या विद्या धन योजना के तहत उनको लाभान्वित किया था कि अब कोई बाप शराब भी पीता हो तो उसकी बेटी को शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यह सरकार आने के बाद पहले कन्या विद्या धन समाप्त करने का काम किया। एक माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि 10 हजार, 5 हजार रुपये लेकर कन्या विद्या धन देने का काम किया गया है यह झूठ का पुलिन्दा है। इस तरह की कोई बात नहीं है हमारे सारे विधायक अपने हाथ से इसको बांटने का काम किये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस सदन के अन्दर बार-बार प्रश्न आ रहे है कि पूरे प्रदेश में एक गांव को आदर्श गांव बनाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था हमारे जितने भी विधायक हैं वह अपने गांव को आदर्श गांव बनायें, अपने गांव में अस्पताल खुलवायें, स्कूल कालेज खुलवायें, अपने गांव में लाइब्रेरी बनवायें, अपने गांव को सड़कों से जोड़कर अच्छी सड़कें बनवायें यह आदर्श गांव की रूपरेखा है। इस दिशा में हम लोगों ने काम किया और मैं स्वयं अपने गांव में एक करोड़ रुपया खर्च करके उसे आदर्श गांव बनाने का काम किया है। आज जो हमने एक प्रश्न पूछा था सिंचाई मंत्री जी से कि क्या सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि क्या हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक गांव हरपुर विद्यवलिया है वह गांव गंडक नदी के किनारे है उस गांव को बचाने का कोई उपाय है क्या उस गांव को बाढ़ से खतरा है। मंत्री जी ने कहा खतरा तो जरूर है लेकिन उस गांव को खतरे से बचाने के लिए कोई उपाय इनके पास नहीं है। इससे यह लगता है कि यह बजट दिशाहीन है। मैं कहता हूं शहर के अन्दर इंजीनियर रहता है। लखनऊ शहर को गोमती नदी से बचाने के लिए इंजीनियर मानीटरिंग करेगा, शहर बचेगा। लेकिन ऐसी बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे जो गांव है उन गांव को बचाने के लिए शहर के अन्दर जो तटबन्ध के किनारे गांव है उस गांव को बचाने के लिए बजट के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बजट है यह निराशाजनक है। और इस बजट के अन्दर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी सरकार जो इसके पहले की सरकार थी उस सरकार ने जो काम किया था उस पर लीपापोती करने का काम है एक सूत्री काम है कि आज जो बजट रखा गया है डा0 लोहिया पर टिप्पणी हो रही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि डा0 लोहिया समाजवादी आन्दोलन के अग्रिम पंक्ति के नेता थे और डाक्टर लोहिया ने कहा था कि समाज की संरचना ऐसी होनी चाहिये कि सबको समान शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको

दवा मिले और दवा के अभाव में मरीज न मरने पायें, किसी के चेहरे पर झुर्री न दिखाई दे। इस तरह के सपनों का प्रदेश डा0 लोहिया बनाना चाहते थे लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि डा0 लोहिया के सपनों का प्रदेश आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बनाकर दिखा दिये हैं और डा0 लोहिया के सपने का प्रदेश बनते हुए हमारे कुछ साथियों से देखा नहीं गया।

(इस समय 5.00 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

आज जो यह कहा जा रहा है कि हम बहुमत के साथ जीतकर आये हैं तो यह बहुमत का घमंड बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। मैं कहना चाहता हूं, "अरू विक्रम वेषु दधीच गये जिन पारघ से अरू भारत ठाना। बाली गये बलरूप गये जिनकी कखरी दशकेध लुकाना। गये दुर्योधन ही नित ही जिन चौसठ कोस में छत्र बिताना। धरा का प्रमाण यही नित ही जो फरा सो इस जो बरा सो बुताना। धरा का प्रमाण यही नित ही जो फरा सो इस जो बरा सो बुताना।" तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं।.....

श्री अध्यक्ष-

अब तो आपकी पूरी बात आ गयी। इन शब्दों में आपने पूरी बात कह दी। अब कोई आपकी बात बची नहीं, अब आप बैठ जायें। मैंने माननीय त्रिभुवन दत्त जी को बुला लिया है।

श्री दीनानाथ कुशवाहा-

इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इस प्रदेश की जनता को कोई लाभ मिलने वाला है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा से ज्यादा सदस्य चर्चा में भाग ले सकें, ऐसा आपने प्रबन्ध कर दिया है। हमारी प्रार्थना दूसरी है कि समाजवादी पार्टी की सदस्य संख्या विपक्ष में ज्यादा है और बजट पर विपक्ष की बात ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिये। इसलिये बड़ी कृपा होगी श्रीमन् कि आप.....

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, जितने उधर के लोग बैठे हैं सबको विपक्ष मानते हैं कि अकेले अपने को ही। मैं तो सभी सदस्यों को बुला रहा हूं, जितने उधर बैठे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मेरी प्रार्थना दूसरी है। हमने आलरेडी सुबह ही आपको सूची दे दी थी और उस सूची में से अब तक सिर्फ 4 लोग बोल पाये हैं। सम्पूर्ण विपक्ष नहीं, मेरी इच्छा है सभी सदस्यों की बात आ जाय। 4 दिन चले चाहे और ज्यादा दिन चले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कृपापूर्वक अनेक सदस्य हैं जो सुबह से बैठे हैं, उन पर आप विशेष कृपा रखेंगे। मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के कम से कम 3 सदस्य बोलें तब किसी दूसरे दल का एक नम्बर आये तो ज्यादा ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, इस समय आपके दल से 6 लोग बोल चुके हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, चौधरी साहब की बात से जुड़ा हुआ एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, जो अम्बिका चौधरी जी ने कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि बराबर समय मिलना चाहिये। लेकिन विरोध पक्ष का मतलब सबसे है। अभी तक जैसे कांग्रेस और लोकदल से केवल एक-एक सदस्य बोले हैं। दूसरा नापने के दो रास्ते हो सकते हैं एक इंच से नाप लीजिये और दूसरा सेंटीमीटर से नाम लीजिये। मान्यवर, इनके यहां ऐसे-ऐसे धुरंधर हैं जो खड़े हो जाते हैं तो बैठने का नाम ही नहीं लेते हैं तो अगर मिनट से जोड़ा जाय, समय से जोड़ा जाय, संख्या से जोड़ा जाय तो जितने में यह बोले हैं उतने में तो मुख्यमंत्री जी का बजट और जितने सब बोले हैं, उसको मिला भी दिया जाय तो यह उससे ज्यादा बोल चुके हैं। तो मेरी राय यह है कि समय को पैमाना मानते हुये इनको कुछ देर विश्राम दिया जाय और कुछ देर इधर के लोगों को बुलवा लिया जाय। अम्बिका जी ने कितनी मेहनत की है, बोल कोई रहा हो लेकिन भाषा उसकी सब समझ रहे थे। किसने रिहर्सल कराया था सबको मालूम है। इसलिये मान्यवर, जो लोग नये-नये आये हैं, कांग्रेस से लोकदल से, इनको बोलने का मौका दें।

श्री त्रिभुवन दत्त-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं अपनी तरफ से, आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और मैं इस प्रदेश की मुख्यमंत्री करोड़ों-करोड़ दलितों-शोषितों की रहनुमा बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले महापुरुषों, संतों, गुरुओं के सिद्धान्त पर चलते हुये सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आधार पर जो उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं जैसा आप सभी लोगों को मालूम है हमारी सरकार ने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिससे इस प्रदेश का समुचित विकास और प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने में कोई कोर-कसर नहीं रहेगी। जहां तक हजारों वर्षों से उपेक्षित समाज की बात है जिन्होंने सुई से लेकर हवाई जहाज तक और खेतों से लेकर कारखानों तक खून-पसीने को बहाकर पूरे मुल्क को रोटी देने का काम किया। ऐसे समाज को पूर्ववर्ती सरकारों ने और देश की आजादी के बाद से बड़े पैमाने पर उपेक्षित किया गया है लेकिन हमारी नेता मा0 मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में गरीब जनता की न्यूनतम मजदूरी 58 रुपए से 80 रुपए करने का काम किया। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री बहन मायावती को सदन के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इतना ही नहीं आजादी के बाद से इस प्रदेश में ऐसे गांवों, ऐसे किसानों, ऐसे मजदूरों के विकास के लिए पूर्ववर्ती सरकारों ने ध्यान नहीं दिया लेकिन हमारी नेता बहन मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अम्बेडकर ग्राम विकास योजना चला करके उन गावों में जिनमें 59 साल की आजादी में ढिबरी के अलावा बिजली की

रोशनी देखने को नहीं मिली, जहां के लोगों के पास झोपड़ी के अलावा मकान नहीं हैं, कच्ची सड़कों के अलावा जहां पर काली सड़के नहीं मिलती। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी नेता मुख्य मंत्री बहन मायावती जी को जिन्होंने ऐसे गांवों में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की शुरुआत की और उन्हें सुख-सुविधाओं से संतृप्त करने का काम किया है। निश्चित रूप से विपक्ष के लोगों को भी इसका स्वागत करना चाहिए लेकिन आज दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि तमाम ऐसे विपक्ष के लोग कहते हैं कि दिशाविहीन बजट प्रस्तुत हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 59 साल की आजादी के बाद मान्यवर, आपको मालूम है कि जो भी प्रदेश में सरकारें बनीं उसमें निश्चित रूप से उनका विकास हुआ जिनका हमेशा से विकास हुआ था। लेकिन दलितों गरीबों का ध्यान पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं दिया, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जब ऐसे गरीब दलित समाज को भी बजट में प्रावधान करके विकास की दिशा से जोड़ने का काम किया तो निश्चित रूप से जो धन दूसरी ओर जा रहा था उसे सही दिशा देने का काम किया इसीलिये विपक्ष के लोगों को यह दिशाहीन बजट दिखायी पड़ रहा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट हमारी बहन मायावती जी ने गरीब दलित और सभी समाजों के लिए प्रस्तुत किया है। अम्बेडकर ग्राम योजना का स्वागत विपक्ष को भी करना चाहिए क्योंकि गरीब दलित का नाम लेकर सदन में आने का अवसर मिलता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जब महापुरुषों के अस्तित्व को भूल जाते हैं तो समाज का अस्तित्व कम हो जाता है। हमारी सरकार ने जिन सन्तों, गुरुओं और महापुरुषों को जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी इस समाज को समर्पित कर दी, ऐसे सन्तों के नाम पर तमाम जिलों और संस्थाओं को बनाने का काम किया था लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने उन महापुरुषों को बदनाम करने के लिए उनके नाम पर बनाये गये जिलों और संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया और अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय देने का काम किया था। लेकिन हमारी नेता बहन कुमारी मायावती ने ऐसे महापुरुषों को पुनः सम्मान देने के लिए उन जिलों को पुनः बहाल करने का काम किया। मैं अम्बेडकर नगर जिले की जहांगीरगंज विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आता हूं। वहां हजारों हजार दलित समाज के लोगों को रोजी रोटी देने के लिए कताई मिल स्थापित हुई थी। लेकिन उसे पूर्ववर्ती सरकार ने जो महापुरुषों के सम्मान का ढ़िंढ़ोरा पीटती है, कुशवाहा जी ने कहा कि लोहिया जी का बड़ा अपमान हुआ, कताई मिल को समाप्त करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। हजारों हजार मजदूर किसान भुखमरी की कगार पर पहुंचे हुये हैं। जिला समाप्त करके उसके अस्तित्व को समाप्त करने का काम किया गया था लेकिन आज कहना चाहता हूं अस्तित्व को समाप्त करने का काम किया गया था लेकिन आज कहना चाहता हूं यहां बैठे हुये समस्त सदन के लोगों से कि बहन मायावती जी ने महापुरुषों को सम्मान देने के लिए धन की व्यवस्था करके उसे विकसित करने का काम किया है। निश्चित रूप से उसका स्वागत और अभिनन्दन करना चाहिए। इसी के साथ यह भी कहना चाहता हूं कि विपक्ष के द्वारा कानून-व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न-चिन्ह लगाया जाता है कि डेढ़ महीने में बहुत खराब हो गयी है। इस सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जनता के द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इलाहाबाद में विधायक श्री राजू पाल की हत्या की जाती है। नौजवान गड़रिये के बेटे को डेढ़ किलोमीटर तक

दौड़ाया जाता है, वह नौजवान अपनी जान बचाने के लिए दोड़ता है, हमारे सामने बैठे हुए विपक्ष के लोगों को ख्याल नहीं था कि कानून व्यवस्था का पालन कैसे किया जाता है ? गाजीपुर में विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या की जाती है, एक जनप्रतिनिधि की दिन दहाड़े हत्या की जाती है लेकिन 24 घण्टे तक एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज किया जाता है। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि की हत्या होने के बाद 24 घण्टे तक एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज होती है। आमजन जो साधारण आदमी है अगर उन पर कोई गम्भीर अपराध हो जाए तो फिर 24 महीने तक रिपोर्ट नहीं दर्ज होती। आज सरकार ने ऐसे घृणित कार्यों के खिलाफ शासनादेश जारी करके कार्यवाही करने की बात कही है तो अपने आप में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों का शोषण व उत्पीड़न हो रहा है। इतना ही नहीं निश्चित तौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी एक महिला सदस्य कह रही थी कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं रखा है। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष ध्यान दिया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद में जब मदरसे के अन्दर हमारी नौजवान बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी तो उन बहनों के साथ हुई जुल्म ज्यादती पर मरहम लगाने के बजाय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी इलाहाबाद जाकर गंगा स्नान कर लखनऊ लौट आये लेकिन उन पीड़ित बहनों से नहीं मिले। उस समय बहन कुमारी मायावती जी इलाहाबाद जाती हैं और उन बहनों के आंसू पोछने का काम करती हैं, आंसू पोछने का काम ही नहीं 5 लाख रुपये की व्यवस्था करने का काम करती हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था का राज कायम हो रहा है तो विरोध करने के बजाय निश्चित तौर पर इस सदन में प्रशंसा करनी चाहिए और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

समय हो गया है। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री त्रिभुवन दत्त-

मान्यवर, समय हो गया है, तो मैं समाप्त कर रहा हूं क्योंकि प्रबोधन कार्यक्रम हो रहा था तो निश्चित तौर पर ध्यान आकर्षित कराया गया था कि नियमों और परम्पराओं का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। जबसे सदन चल रहा है इतनी पीड़ा होती है बहुत से ऐसे सदस्य नये जीतकर आये हैं, जो पाठ पढ़ाने के बजाय, वरिष्ठ सदस्य हैं इस तरह का आचरण करते हैं, अगर इस तरह का आचरण होता रहा कुछ दिनों बाद नियमों और परम्पराओं को तोड़कर मनमानी करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तरफ विचार करें। जिनको वरिष्ठ कहा जाता है वह वरिष्ठ इस तरह का आचरण न करें जिससे आने वाले लोग परम्पराओं को तोड़ने का काम करें। इसकी तरफ विशेष ध्यान दें। इन शब्दों के साथ जो बहन कुमारी मायावती जी ने बजट प्रस्तुत किया है इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता है मैं इसका पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। जहां हमारे देश के अन्दर विकास की दर 10 प्रतिशत रखी गई है मैं आपके समक्ष उत्तर प्रदेश के अन्दर जो बुन्देलखण्ड का क्षेत्र है उसके पिछड़ेपन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। प्रदेश के अन्दर सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र जिसकी आबादी एक करोड़ 30 लाख है असमानता और असंतुलित तस्वीरों से भरा हुआ है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं लेकिन बुन्देलखण्डवासियों के जीवन स्तर पर कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। उत्तर प्रदेश की विकास दर जो अभी 5 प्रतिशत है बुन्देलखण्डवासियों की विकास दर 2 प्रतिशत है। आज बुन्देलखण्ड के अन्दर 57 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। लगातार तीन चार वर्षों से वर्षा न होने के कारण 62 फीसदी लोग पलायन करके नगरों की ओर चले गये हैं। अनेकों ऐसी गांव हैं जो पूरे गांव के गांव खाली हो चुके हैं। बुन्देलखण्ड का सबसे ज्यादा जीविकोपार्जन का जरिया खेती है। 85 फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 जुलाई, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की है जो जनपद-सीतापुर में बेहटा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली घाघरा, शारदा और सरयू नदी द्वारा हो रहे भूमि कटाव तथा बचाव के लिए प्रस्तावित ठोकर के निर्माण को शीघ्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है,

दूसरी सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की है जो प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बांधों में शिल्ट जमाव से पानी की अनुपलब्धता तथा नहरों में समय से पानी न आने के कारण सूखे जैसी स्थिति के मद्देनजर बुन्देलखण्ड को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने तथा किसानों से बकायों की वसूली रोके जाने के सम्बन्ध में है,

तीसरी सूचना श्री राम किशुन की है जो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूलों में सरकारी किताबों के उपलब्ध न होने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में है,

चौथी सूचना श्री मदन चौहान की है जो जनपद-गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में प्रदूषित रासायनिक नाले के पानी के हैण्डपम्पों में आने से जन-जीवन के समक्ष उत्पन्न गम्भीर संकट के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई,

पांचवीं सूचना श्री कालीचरन राजभर की है जो जनपद-गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम- पाण्डेयपुर राधे में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र बनवाने के सम्बन्ध में है,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छठी सूचना डॉ0 राधा मोहनदास अग्रवाल की है जो गोरखपुर नगर निगम द्वारा लोमोफेन जैसी प्रतिबन्धित दवा के वितरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

सातवीं सूचना श्री भीमराव अम्बेडकर की है जो जनपद-इटावा के लखना क्षेत्र में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

आठवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की है जो जनपद-उन्नाव के सिकन्दरपुर कर्ण ब्लाक अन्तर्गत ग्राम-मेहरा मऊ के कोटेदार और लेखपाल द्वारा की जा रही मिट्टी के तेल और खाद्यान्न की कालाबाजारी के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई,

नवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की है जो जनपद-जौनपुर की मछलीशहर तहसील अन्तर्गत ग्राम-पौहां में चकबन्दी उपरान्त धारा-52 का प्रकाशन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है,

दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की है जो जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जिला योजना से अनुमोदित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के शीघ्र निर्माण के सम्बन्ध में है,

ग्यारहवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की जो है जनपद-बागपत और मेरठ के जिलाधिकारियों द्वारा शस्त्र लाइसेंसों के निर्गमन हेतु लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में है,

बारहवीं सूचना श्री सुन्दर सिंह की जो है जनपद-बुलन्दशहर के स्याना विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पाली आनन्दगढ़ी निवासी विद्युत स्पर्शाघात से मृत स्व0 जयकरण के आश्रितों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, तथा

तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है जो लखनऊ महानगर के कतिपय महाविद्यालयों में निर्धारित योग्यता न रखने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों के मानदेय पर प्रबन्ध समितियों द्वारा नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है पर शासन का ध्यानाकृष्ट किया गया।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री बैजनाथ दूबे,
2-श्री जसयन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह,
3-श्री विजय बहादुर यादव,
4-श्री शम्भू चौधरी,
5-श्री प्रमोद तिवारी,
6-श्री ओम प्रकाश ओ0 पी0 सिंह,
7-श्री सनातन पाण्डेय,
8-श्री सुरेश्वर सिंह,
9-श्री जोखू लाल यादव,
10-श्री श्रीपति आजाद,

11-श्री अरविन्द सिंह,
12-श्री मदन भैया,
13-श्री आलोक कुमार शाक्य,
14-श्री उदयराज,
15-श्री सुरेश कुमार खन्ना,
16-श्री शिवशंकर चौहान,
17-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,
18-डॉ0 अनिल चौधरी तथा
19-श्री अब्दुल वारिस खां।

प्रदेश में फल एवं सब्जियों को शीघ्र पकाये जाने हेतु आक्सीटोसीन के विषाक्त इन्जेक्शन का प्रयोग किये जाने तथा प्रतिबन्धित इन्जेक्शन की उपलब्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[मा0 सदस्या द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि फलों और सब्जियों में आक्सीटोसीन का विषाक्त इन्जेक्शन प्रतिबन्धित होने के बावजूद भी लगाया जा रहा है, जिसके प्रयोग से यकृत एवं गुर्दे प्रभावित होते हैं तथा हार्मोन असन्तुलित हो जाता है। प्रतिबन्धित होने के बावजूद जिन मेडिकल स्टोरों पर इसे बेचा जा रहा है, उनका लाइसेन्स निरस्त किया जाए। आक्सीटोसीनयुक्त पदार्थों का कारोबार अलीगढ़ एवं उसके पास के क्षेत्रों में हो रहा है। अतः उसके पास के क्षेत्रों पर रोक लगायी जाए।

वक्तव्य

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 3552/पांच-8-2005-30 विविध/2002, दिनांक 07-12-2005 द्वारा आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की अवैध बिक्री एवं अनुचित प्रयोग पर रोकथाम हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश की अवहेलना करने वाले उत्पादकों/विक्रेताओं के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तद्विषयक नियमावली, 1945 के अधीन अभियोजन संस्थित कराने के आदेश दिये गये हैं। जनपद अलीगढ़ की दुकानों पर मार्च, 2007 में छापामार कार्यवाही के दौरान एक दुकान राकेश कुमार, कल्यानगंज गुड़मण्डी तथा दूसरी दुकान सीताराम जनरल स्टोर के यहां से 8 से 10 पेटियों बिना लेबिल लगी आक्सीटोसीन इन्जेक्शन की प्लास्टिक की शीशियां पायी गयी। उक्त दोनों दुकानों से बरामद संदिग्ध आक्सीटोसीन इन्जेक्शनों को सीज कर जांच हेतु भेज दिया गया तथा सम्बन्धित दुकानदारों के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में मुकदमा/प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी। फलों के नमूनों की जांच के किसी भी नमूनें में अभी तक आक्सीटोसीन पाये जाने की सूचना नहीं है।

फलों एवं सब्जियों में कैल्शियम कार्बाइड, कापर सल्फेट एवं डेडली कलर मैटेरियल के अनियमित प्रयोग को रोकने हेतु भी शासनादेश दिनांक 06 जुलाई, 2006 द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देश भेजे गये इसी प्रकार शासनादेश दिनांक 06 जून, 2007 द्वारा प्रदेश में विशुद्ध खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने तथा दूषित/मिलावटी खाद्य सामग्री के नियंत्रण के निर्देश सभी जनपदों को निर्गत किये गये हैं। फलों एवं खाद्य पदार्थों के नमूने खाद्य निरीक्षकों द्वारा संग्रहीत किये जाते हैं तथा नमूने अपमिश्रित पाये जाने पर दोषी विक्रेता/व्यापारी के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा नियमावली, 1955 के अन्तर्गत दोषी निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाती है।]

जनपद प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ अन्तर्गत हरे पेड़ों की कटाई कर कोयला बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन राज्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

[श्री प्रमोद तिवारी, मा0 सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 29-6-2007 को यह सूचना दी गई है कि :-

"भूगर्भ में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों में काला सोना के नाम से विख्यात कोयला एक प्रमुख खनिज पदार्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है-जैसे भट्ठों में ईंटे पकाने, रेलगाड़ियों के इंजन में ईंधन प्रयोग एवं अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। जिससे सरकार को अरबों रुपये की प्रतिवर्ष आमदनी राजस्व के रूप में प्राप्त होती है। कुछ लोग अवैध रूप से लकड़ी जलाकर कोयले का कृत्रिम निर्माण कर रहे हैं जो पूरी तरह से प्रतिबन्धित है, किन्तु अवैध कोयले के निर्माता से स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण व्यापक पैमाने पर लकड़ी जलाकर कोयले का निर्माण किया जाता है जिससे बड़े पैमाने पर राजकीय क्षति हो रही है। तथा हरे पेड़ों का अवैध रूप से बड़े पैमाने पर कटान होने से जहां पर्यावरण दूषित हो रहा है वहीं वन विभाग को भी करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ के अन्तर्गत ग्राम विजई मऊ के निवासी एवं कुख्यात अपराधी श्री प्रदीप सिंह पुत्र श्री गिरेन्द्र सिंह, जिस पर दो दर्जन से अधिक संगीन अपराधों के मुकदमें दर्ज है तथा थाना संग्रामगढ़ का हिस्ट्रीशीटर अपराधी भी है,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा ग्राम अशोगी (ग्राम कैथा-फ्लोर मिल एवं ईट भट्ठे के समीप) में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कराकर, लकड़ी जलाकर कृत्रिम कोयले का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है जिससे जहां वन विभाग एवं सरकार को करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष का नुकसान हो रहा है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण उक्त दुर्दान्त अपराधी द्वारा खुलेआम निर्भय होकर इस कार्य को अन्जाम दिया जा रहा है। भय वश स्थानीय निवासी कुछ भी बोलने अथवा कार्यवाही कराने में पूरी तरह से असमर्थ है। प्रदेश सरकार के अपराधिक छवि के एक पूर्व मंत्री का खुला संरक्षण होने के कारण यह धंधा और भी फल-फूल रहा है।"

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी नियम-51 की सूचना में उल्लिखित बिन्दुओं पर प्रभागीय वनाधिकारी कौशाम्बी अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों तथा स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर जांच की। जांच टीम को ग्राम अशोगी (ग्राम कैथा-फ्लोर मिल एवं ईट भट्ठे के समीप) के निरीक्षण में कोई अवैध कटान नहीं मिला और न ही कोयला भट्ठी मिली तथा अवैध लकड़ी का कोई संग्रहण नहीं पाया गया। स्थानीय लोगों के बयान तथा उपलब्ध साक्ष्य से अवैध रूप से लकड़ी संग्रहण तथा कृत्रिम रूप से कोयला बनाने की पुष्टि नहीं हुई है। इस जांच आख्या से वन संरक्षक, इलाहाबाद, मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र तथा प्रमुख वन संरक्षक द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रदीप सिंह पुत्र गिरेन्द्र सिंह, निवासी बिजईमऊ के विरुद्ध दो दर्जन से अधिक संगीन अपराध दर्ज है तथा थाना-संग्रामगढ़ का हिस्ट्रीशीटर-एच0एस0-36ए है। ग्राम अशोगी कैथा फ्लोर मिल, ईंट भट्ठे के समीप अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई कराकर कृत्रिम कोयला का निर्माण बड़े पैमाने पर कराया जाना नहीं पाया गया। फ्लोर मिल पर न कोई भट्ठी, न लकड़ी और न ही कोई व्यक्ति पाया गया। यह जानकारी मिली है कि पत्थर का कच्चा कोयला मंगाकर उसे जलाकर पुनः सप्लाई किया जाता था। अभियुक्त प्रदीप सिंह आई0जेड0-232 गैंग का सदस्य है जो वर्तमान में फरार चल रहा है। स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत होने की बात असत्य पायी गयी है।]

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-20 पुकारे जाने पर)

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कृपापूर्वक मद संख्या-19 के वक्तव्य को देख लें। इसके पृष्ठ-2 पर आप देखें। (व्यवधान) मैं चौधरी साहब का मंतव्य समझ रहा हूं। मेरी शुभकानाएं हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि इनका मंतव्य पूरा हो। (व्यवधान) कुछ ऐसा होता है जिसको बोला जाता है और कुछ को आंखों से समझा जाता है। अब आप चौधरी साहब की बेचैनी समझ रहे होंगे।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ नहीं माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वक्तव्य जो आया है उसके सम्बन्ध में मुझे इतना कहना है कि वन विभाग की जो रिपोर्ट आई है। सरकार बदल जाने से अधिकारी, मंशा और नीयत नहीं बदल जाती। यह रिपोर्ट जो आई है वह गलत आई है। मुझे जानकारी है। इसको सही साबित करने के लिये दूसरी रिपोर्ट पुलिस की आई है। आधी आपके वन विभाग की है और आधी पुलिस विभाग की है। आप देखें पृष्ठ-2 पर। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रदीप सिंह पुत्र गिरेन्द्र सिंह, निवासी बिजईमऊ के विरुद्ध दो दर्जन से अधिक संगीन अपराध दर्ज है तथा थाना संग्रामगढ़ का हिस्ट्रीशीटर-एच0एस036ए है। ग्राम असोगी कैथा फ्लोर मिल, ईंट भट्ठे के समीप अवैध (व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, देखिये। चौधरी साहब का सिस्टम डिस्टर्ब नजर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो मुझे बड़ी देर से दिखाई पड़ रहा है। इनका सिस्टम करीब डेढ़ घंटे से कोलेप्स हुआ है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रमोद जी की परख सबको है। आपकी दृष्टि ठीक पड़ रही है इन पर।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं समझ सकता हूं गांव में अगर कोई दस नम्बरी हो जाय तो वह दूसरे को भी दस नम्बर बनाना चाहता है ताकि सारा भार उस पर न पड़े। यहां तक तो ठीक है, अब आप बचे रहियेगा। आप तो शरीफ आदमी हैं आप अम्बिका चौधरी जी के चक्कर में न पड़िए। नहीं तो इतने दिनों जो कमाया है, सब गायब हो जायेगा।

*श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, प्रमोद जी के आखिरी वाक्य को गौर करियेगा। इसको कार्यवाही में आने दीजियेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

नहीं मान्यवर, यह कार्यवाही का अंग बन जाय तो क्या बुरा है ? यह कार्यवाही न हो, यह ठीक है। यह कार्यवाही का अंग बन जाय तो क्या बुरा है ? मैं तो कार्यवाही बचाने का प्रयास कर रहा हूं। कार्यवाही का अंग बन जाय तो कोई आपत्ति नहीं।

श्री अध्यक्ष-

सबके अंग ठीक रहें और यह भी ठीक रहे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं तो कार्यवाही बचाने का प्रयास कर रहा हूं। कार्यवाही का अंग बन जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं सबका अंग ठीक रहे, यह भी ठीक रहें।

(हँसी)

श्री प्रमोद तिवारी-

एक विषय पर तो सत्तापक्ष और विपक्ष के लोग एक हैं। कोई वेल में तो नहीं आ रहा है। इनको बचाए रखिएगा यह वैल में न कूद जाएं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अब तो अध्यक्ष जी की रूलिंग हो गई। अब सत्तापक्ष और विपक्ष का क्या सवाल है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मैं कई सालों से कुएं में नहीं कूदा हूं यह रोज कूदते हैं। इनको बचाकर रखिएगा।

श्री अध्यक्ष-

यहां तक तो आ जाएं और कहीं न कूदें।

(हँसी)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं । वहां कुछ जानवरों को रस्सा बांध दिया जाता है अम्बिका चौधरी जी को भी ऐसे ही बांध दिया जाए।

(हँसी)

मान्यवर, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रदीप सिंह पुत्र गिरेन्द्र सिंह, निवासी विजईमऊ के विरुद्ध दो दर्जन से अधिक संगीन अपराध दर्ज हैं। इतना तो पुलिस ने स्वीकार कर लिया है तथा थाना-संग्रामगढ़ का हिस्ट्रीशीटर-एच0एस0-36ए है। हिस्ट्रीशीटर है यह भी स्वीकार कर लिया है। ग्राम असोगी कैथा फ्लोर मिल, ईंट भट्ठे के समीप अवैध रूप से हरे पेड़ों की कटाई कराकर कृत्रिम कोयला का निर्माण बड़े पैमाने पर कराया जाना नहीं पाया गया फ्लोर मिल पर न कोई भट्ठी, न लकड़ी और न ही कोई व्यक्ति पाया गया। यह जानकारी मिली है, यह बहुत महत्वपूर्ण है यह जानकारी मिली है कि पत्थर का कच्चा कोयला मंगाकर उसे जलाकर पुनः सप्लाई किया जाता था। तो यह पुलिस ने भी स्वीकार कर लिया मेरा कहना है कि लकड़ी जलाकर कोयला बनाया जाता था। आपका कहना है यानि पुलिस का कहना है, फारेस्ट विभाग ने तो पूरा का पूरा मना कर दिया। उसका कहना है कि पत्थर का कच्चा कोयला मंगाकर उसे जलाकर पुनः सप्लाई किया जाता था। अब यह अभियुक्त प्रदीप सिंह आई0जेड0-232 गैंग का सदस्य है जो वर्तमान में फरार चल रहा है। मेरा कहना यह है कि यहां लकड़ी का कोयला बन रहा था या कच्चा कोयला बनाकर सप्लाई किया जा रहा था। यह तो इन्होंने स्वीकार कर लिया है तो इसका कोई व्यापार कर होगा रजिस्ट्रेशन होगा। तभी तो मान्यवर, अनधिकृत रूप से तो नहीं किया जा सकता है और वह भट्ठी में ही चल रहा होगा। कच्चा कोयला पक्का बनाकर तो भट्ठी के माध्यम से चल रहा होगा। यानि भट्ठी का जलना स्वीकार हो गया। कच्चे कोयले को पक्का बनाकर बेचना स्वीकार हो गया। यह भी माना कि वह हिस्ट्रीशीटर है। मा0 मंत्री जी क्या

यह जानकारी देंगे कि यह जो कहा जा रहा है कि पत्थर का कच्चा कोयला मंगा कर उसे जलाकर पुनः सप्लाई किया जाता था। इसका कोई रजिस्ट्रेशन है इस पर कोई व्यापार कर दिया गया है। कितना बना है और कितना बेचा है इसका कोई रिकार्ड है अगर नहीं तो इसकी जांच करा लें और जो फरार चल रहे हैं इसमें जांच करायेंगे ? आपने स्वीकार किया है।

वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री फतेह बहादुर सिंह)-

मान्यवर, मा0 सदस्य की जो चिन्ता है वह बिल्कुल जायज है वन की सीमा के 15 किलोमीटर के अन्दर कोयला भट्ठी के स्थापित न किए जाने के प्राविधान उ0 प्र0 इमारती लकड़ी एवं उपज नियमावली 1978 के नियम 26(1) के प्रति आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। मान्यवर, इसके तहत हमने जांच कराई। डी0एफ0ओ0 कन्जरवेटर मौके पर गए। गांव के लगभग 15 लोगों ने यह बयान दिया कि यहां कोई भट्ठी नहीं है। लकड़ी से जलाकर कोयले का कोई निर्माण नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी एक जानकारी पुलिस विभाग से हमको प्राप्त हुई कि कच्चा माल लाकर के कोयले का निर्माण किया जा रहा है जिसका लाइसेंस हम लोगों ने नहीं दिया है और इसकी जांच कराने की व्यवस्था हम करेंगे। रिपोर्ट आ गई, अब इसके बाद जो लोग दोषी हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको यह सुनिश्चित कर दूं, माननीय तिवारी जी, माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उनके द्वारा चलाये जा रहे जो अभियान हैं उनके अन्तर्गत दबिश देकर के जो भी फरार लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी की जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आगे चलिये।

प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में निर्धारित मात्रा से अधिक कीटनाशक व रसायनिक खादों के प्रयोग से खाद्य पदार्थ के विषाक्त होने से निरन्तर बढ़ रही घातक बीमारियों के सम्बन्ध में चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मा0 सदस्य, विधान सभा, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा ...

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

श्री लालजी वर्मा-

[दिनांक 29 जून, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि कानपुर स्थिति चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मृदा और कृषि रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा एक रिपोर्ट में कहा है उनके द्वारा 21 सैम्पलों की

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जांच में गेहूं के घातक रसायनों के प्रभाव में होने की पुष्टि हुई है। गेहूं के आटे में कई घातक रसायन मिले हैं। यही मृदा विज्ञान और कृषि रसायन संकाय के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विभागाध्यक्ष डा0 वी0 ओ0 गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1970 में प्रति हैक्टेयर सिर्फ 18 किलोग्राम रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता था लेकिन अब 129 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर तक पहुंच चुका है। इससे गेहूं की औसत उत्पादकता तो बढ़ी है पर उर्वरकों के अति सूक्ष्म घातक तत्वों ने लोगों की जान को मुश्किल में डाल दिया है। डी0 डी0 टी0 लिन्डेन, क्लोरोडेन, इण्डोसल्फान, बीएचसी, गैमक्सीन, यूरिया व अन्य रसायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण गेहूं जहरीला हो गया है। गेहूं के आटे में उर्वरकों अवशेष नहीं मिलना चाहिये लेकिन जांच में इसकी मात्रा एक पीपीएम (पार्टस पर मिलियन) तक मिली है। यह निष्कर्ष गेहूं में जहरीले तत्वों का समावेश होने की पुष्टि कर रहा है। सीएसए वैज्ञानिकों को आटे की जांच में बायोरेट ओर क्लोरोबेंजीन सरीखे तत्व मिले हैं इससे यह साबित होता है कि गेहूं का लम्बे समय तक प्रयोग जानलेवा साबित हो सकता है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से खेती की उर्वरा शक्ति भी घटती जा रही है। जहरीले तत्व पेस्टिसाइड, यूरिया खाद, कीटनाशक स्प्रे आदि से मनुष्य के हृदय, लीवर, पेट, किडनी आदि को उक्त गेहूं व आटा खाने से प्रभावित कर रहा है। निकट भविष्य में यह बीमारी महामारी का रूप धारण करेगी। सरकार को चाहिये कि उक्त मामले में जहरीले रसायनों का प्रयोग बन्द करने की कोई नीति निर्धारित करे।

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराना है कि यह सत्य है कि वर्ष 1970-71 में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तत्व के रूप में 18.10 कि0 ग्र0 प्रति हैक्टेयर था, जो वर्ष 2003-04 में रासायनिक उर्वरकों की खपत प्रति हैक्टेयर बढ़ने के प्रतिफल 129.6 कि0 ग्रा0 प्रति हेक्टेयर हो गयी है। यह भी सत्य है कि वर्ष 1970-71 में औसत उत्पादकता 13.02 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी जो वर्ष 2003-04 में 27.90 कुन्तल प्रति हेक्टेयर रहा है।

उर्वरकों के साथ कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग के कारण गेहूं के जहरीला होने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डी0 डी0 टी0 जैसे रसायन 1970 के दशक में ही कृषि कार्य हेतु प्रयोग करने से प्रतिबन्धित हैं। शेष रसायन विषाक्तता की सम्भावनाओं के कारण भारत सरकार के स्तर से ही प्रतिबन्धित हो चुके हैं। मात्र इण्डोसल्फान रसायन का प्रयोग/उपयोग किया जा रहा है जिसे गेहूं में मिलाने की संस्तुति किसी भी स्तर पर अनुमन्य नहीं है। इण्डोसल्फान मात्र खड़ी फसलों में फली भेदक कीट के नियंत्रण में प्रयोग किये जाने की संस्तुति है।

गेहूं के आटे में विषाक्तता के अति न्यून सांद्रता के सम्बन्ध में प्राध्यापक/अध्यक्ष डा0 बी0 आर0 गुप्ता मृदा एवं कृषि रसायन विभाग, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा डा0 एस0 एन0 शुक्ला, सहायक निदेशक, सामान्य (एफ0 एफ0 सी0) इण्डियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर, नई दिल्ली को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 03 अप्रैल, 2006 द्वारा ऐसी विषाक्तता का खण्डन किया जा चुका है और तद्नुसार तकनीकी सचिव, कृषि

विश्वविद्यालय,कानपुर को भी अवगत कराया जा चुका हैं यह भी विशेषकर उल्लेखनीय है कि डी0 डी0 टी0 लिण्डेन, क्लोराडेन, बी0 एच0 सी0, गैमेक्सीन जैसे कीटनाशी रसायनों का प्रयोग/उपयोग प्रतिबंधित है एवं इण्डोसल्फान रसायन को गेहूं में मिलाने की संस्तुति किसी भी स्तर पर अनुमन्य नहीं है।]

जनपद आजमगढ़ के सदर क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[आजमगढ़ नगर की वर्ष 2007 की अनुमानित जनसंख्या 1,97,000 है तथा पेयजल की आवश्यकता 17.03 एमएलडी है। नगर में वर्तमान में 19 नलकूप कार्यरत हैं जिनसे 16 घन्टे पम्पिंग के आधार पर 18.14 एमएलडी जी की मात्रा उपलब्ध हो रही है। पेयजलापूर्ति की दृष्टि से आजमगढ़ नगर को 6 जोनों में बांटा गया है।

मोहल्ला बाजबहादुर कोट एवं जालन्धरी, बाजबहादुर जोन के अन्तर्गत आते हैं। बाज बहादुर जोन की जनसंख्या 24,455 है जिसके लिये 3.8 एमएलडी जल की आवश्यकता है। वर्तमान में 2 नलकूप है जिनसे 1.34 एमएलडी पेयजलापूर्ति हो रही है। शेष जलापूर्ति हैण्डपम्पों के माध्यम से हो रही है। मोहल्ला बदरका, पाण्डेय बाजार जोन के अन्तर्गत आता है। इस जोन की वर्तमान जनसंख्या 24,924 है जिसके लिये 3,87 एमएलडी जल की आवश्यकता है। वर्तमान में 5 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति नलकूपों से की जा रही है तथा हैण्डपम्पों से भी आपूर्ति हो रही है। मुहल्ला बदरका में मानक से अधिक जलापूर्ति हो रही है। मुहल्ला हर्रा की चुंगी हीरापट्टी जोन के अन्तर्गत आता है। इस जोन की वर्तमान जनसंख्या 17244 है जिसके लिये 2,67 एमएलडी पेयजल की आवश्यकता है। वर्तमान में 1.92 एमएलडी नलकूपों से शेष जलापूर्ति हैण्डपम्पों के माध्यम से की जा रही है।

आजमगढ़ नगर के अन्तर्गत 552 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं, उक्त हैण्ड पम्पों से भी जलापूर्ति की जा रही है। स्पष्ट है कि वर्तमान में पर्याप्त जलापूर्ति हो रही है और जलापूर्ति सन्तोषजनक है।]

जनपद मुजफ्फर नगर के थाना भौराकलां अन्तर्गत ग्राम आदमपुर निवासी पूर्व प्रधान की निर्मम हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[वादी श्री हरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 कृष्ण पाल सिंह निवासी भौराकलां द्वारा दिनांक 19-9-2006 को लिखित तहरीर सूचना के आधार पर थाना भौराकलां पर मु0 अ0

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सं0-117/2006 धारा 302 भा0दं0वि0 बनाम भूपेन्द्र आदि तीन व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। नामित 3 अभियुक्तों में से अभियुक्त भूपेन्द्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा एक अभियुक्त शीशपाल की मृत्यु हो चुकी है। हरेन्द्र उर्फ बबलू घटना के उपरान्त से फरार चल रहा है। वर्तमान में उक्त अभियोग की विवेचना सी0 बी0 सी0 आई0 डी0, मेरठ द्वारा की जा रही है।

वादी की सुरक्षा के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि घटना के परिप्रेक्ष्य में वादी को दिनांक 2-10-2006 को स्थानीय स्तर पर एक सुरक्षाकर्मी (गनर) उपलब्ध कराया गया था जिसे दिनांक 22-6-2007 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में वापस कर लिया गया। वादी एवं उसके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश शासन स्तर पर दिये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि मृतक स्व0 कृष्ण पाल सिंह के पुत्र वादी श्री हरेन्द्र कुमार को एक सुरक्षाकर्मी (गनर) उपलब्ध करा दिया गया है।]

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह केवल वक्तव्य हेतु है, मैं केवल ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि सी0बी0सी0आई0डी0, मेरठ को जांच दी और वह जांच कर रही है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि सी0बी0सी0आई0डी0 ने मुजफ्फरनगर पुलिस को बार-बार लिखा है कि उनके खिलाफ 82, 83 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए। लेकिन किसी प्रभाव के कारण कार्यवाही नहीं हो रही है। सी0बी0सी0आई0डी0 बार-बार लिख रही है कि कार्यवाही करें, मुल्जिम फरार है, उसके खिलाफ कार्यवाई करें। तो क्या मान्यवर, यह आश्वासन देंगे कि तुरन्त वह कार्यवाई की जायेगी जो सी0बी0सी0आई0डी0 चाह रही है ? और दूसरा मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वादी और उसके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था की है। साथ साथ यह भी चाह रहा हूं कि जो फरार मुल्जिम हैं, उसके खिलाफ 82-83 की कार्यवाई की जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

नियमों के अनुसार निश्चित रूप से कार्यवाई की जायेगी। अब यह तो कोर्ट का मामला है।

श्री हुकुम सिंह-

कोर्ट तो कहीं बीच में आई ही नहीं है। आपने लिखा है कि हरेन्द्र उर्फ बबलू घटना के उपरान्त से फरार चल रहा है। वर्तमान में उक्त अभियोग की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0, मेरठ द्वारा की जा रही है। अब यह तो विवेचना चल रही है, विवेचना के अन्तर्गत यह जो मुल्जिम फरार है, सी0बी0सी0आई0डी0 इतना चाहती है कि 82-83 सीआरपीसी के अन्तर्गत वहां की लोकल पुलिस कार्यवाई करे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

82-83 का आदेश कोर्ट से ही तो होता है।

श्री हुकुम सिंह-

हो चुका न कोर्ट का आदेश, 10 बार हो चुका है। पुलिस नहीं कार्यवाई कर रही है।

श्री लालजी वर्मा-

निचिश्त रूप से कार्यवाई की जायेगी। जो कोर्ट का आदेश है, उसका अनुपालन होगा।

(श्री दुर्गा प्रसाद यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 दुर्गा प्रसाद यादव जी, हम मद संख्या-22 पर आ गये हैं, आपका मद संख्या 21 पर था, वह केवल वक्तव्य के लिये था।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मान्यवर, यह सदन को गुमराह करने की रिपोर्ट है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उसके लिये नियम है।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमों में दे दीजिये।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

मैंने जो सूचना दी है, दो तीन मुहल्ले हैं, वहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है जो ट्यूबवेल लगे हैं, उनमें बहुत पुराने मोटर हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगर आपको कहीं शंका है तो उसके लिये नियम बने हैं आप उसमें लिखकर दे दीजिये। अब मद संख्या-23 लेते हैं।

जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में कोथला नामक झील के भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[जनपद गाजियाबाद में गढ़मुक्तेश्वर में कोथला नामक झील की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 29-06-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है।

प्रकरण में जिलाधिकारी, गाजियाबाद से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार प्रश्नगत झील पर कतिपय भूमाफियाओं का कब्जा तथा राजस्व अभिलेखों में झील की भूमि को

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फर्जी रूप से पट्टे के रूप में दर्ज पाया गया। तहसील गढ़मुक्तेश्वर में ग्राम कोथला खादर में राजस्व अभिलेखों में झील की भूमि को फर्जी रूप से पट्टे के रूप में दर्ज सभी प्रविष्टियां को न्यायालय के आदेश से निरस्त किया जा चुका है तथा सम्बन्धित भू-माफियाओं के विरुद्ध कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0 अ0 स0 332 दिनांक 9-9-2005 व मु0अ0स0 436/06, दिनांक 9-12-2006 को दर्ज कराई गयी हैं झील की लगभग 155 हे0 भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे को राजस्व टीम द्वारा जून 2006 में पैमाइश कराकर हटवा दिया गया है तथा मौके पर ग्राम सभा की ओर से पिलर लगवाकर जमीन का कब्जा ग्राम सभा को दिला दिया गया है। झील का सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु भी पर्यटन विभाग को पत्र भेजा जा चुका है।]

जनपद चन्दौली की कोतवाली मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम डाण्डी में डकैतों द्वारा गृह स्वामी की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशुन, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[दिनांक 21-6-07 को थाना मुगलसराय पर वादी श्री मनीश कुमार तिवारी उर्फ बुलबुल पुत्र श्री रविशंकर तिवारी उर्फ झुरावन, निवासी ग्राम पुरानी डांडी, थाना मुगलसराय द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 20/21-6-2007 की रात्रि को उनके परिवार के सभी सदस्य खाना खा पीकर सोये थे कि करीब रात्रि 1.00 बजे कुछ बदमाश हाथ में बांस का टुकड़ा, फरसा, रम्मा, तलवार आदि से लैस होकर चोरी करने की नियत से घर में घुसे। वादी के पिता व उसके द्वारा प्रतिरोध करने पर वादी व उसके पिता श्री रविशंकर तिवारी उर्फ झुरावन को बदमाशों द्वारा मारपीट कर गम्भीर चोट पहुंचायी गयी। श्री रविशंकर तिवारी को अधिक चोट लगने के कारण विनोद शंकर तिवारी व गांव के श्री रामजी पाण्डेय आदि उन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले गये। उक्त सूचना पर मु0अ0सं-279/07 धारा-382 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय द्वारा प्रारम्भ की गयी। घटनास्थल के निरीक्षण एवं विवेचना तथा रविशंकर तिवारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् जुर्म धारा 396 में परिवर्तित कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक, मुगलसराय द्वारा की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया गया है। घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर प्रभावी कार्यवाही करायी जा रही है। कार्यवाही में शिथिलता बरतने के आरोप में तात्कालीन प्रभारी निरीक्षक को दिनांक 22-6-07 को निलम्बित किया जा चुका है। वर्तमान में अभियोग की विवेचना निरीक्षक श्री महेश राम गौतम, प्रभारी आपरेशन (संगठित अपराध) द्वारा की जा रही है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल मिलेंगे, 11.00 बजे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सायंकाल 5 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 04 जुलाई, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्रश्न-7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

प्रेषक,

मुख्य विकास अधिकारी,
प्रतापगढ़।

सेवा में,

मा0 विधानसभा सदस्य पट्टी,
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह
गांधी निवास सदर, प्रतापगढ़।

पत्रांक-543/पू0वि0नि0/07 दिनांक 25-06-2007

महोदय,

कृपया आप अपने पत्र संख्या क-3 नं0 270586, सं0 क-3 नं0 270587 तथा सं0 क-3 नं0 270588 दिनांक 3-7-06 का अवलोकन करने की कृपा करें, उक्त पत्र के सम्बन्ध में आप अवगत हो कि क्रमांक 1 से 23 एवं 25, 34, 36 पर उल्लिखित 26 कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण तथा क्रमांक 24 एवं 26 से 31, 33, 35 तथा 37 से 49 तक उल्लिखित 22 कार्य अपूर्ण तथा धन के सापेक्ष पूर्ण। क्रमांक 50 पर उल्लिखित कार्य शासन के पत्र सं0 3796/23-14-06-05(11) प्रतापगढ़/06 दिनांक 4-1-07 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। क्रमांक 32 पर उल्लिखित कार्य और क्रमांक 27 पर उल्लिखित कार्य एक ही है। उक्त सभी कार्यों का स्थानीय सत्यापन कराया जा रहा है। जिन-जिन मार्गों पर विभाग द्वारा बोर्ड नहीं लगाया गया है। उन पर बोर्ड जल्द ही लगाया जाना प्रस्तावित है तथा अपूर्ण कार्यों का उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है। जिन पर शासन द्वारा कुछ आपत्तियां लगाई गई है। निराकरण करने के पश्चात् जल्द ही प्रेषित कर दिया जायेगा।

भवदीय,
(दिनेश कुमार सिंह)
मुख्य विकास अधिकारी,
प्रतापगढ़।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खण्ड, लो0 नि0 वि0/अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि0 मा0 विधायक जी के पत्र में उल्लिखित कार्य जिन पर बोर्ड न लगाया गया हो बोर्ड तत्काल लगाया जाय तथा कृत कार्यवाही से उन्हें सूचित कर दिया जाय।

मुख्य विकास अधिकारी,
प्रतापगढ़।

पी0एस0यू0पी0-एल0 263 विधान सभा (480)-1-10-2007-813 (कम्प्यूटर)।